मध्यप्रदेश शासन

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019–20

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

## वर्ष 2019–20

| | | |
|---|---|---|
| मंत्री | – | श्री जयर्वधन सिंह |
| प्रमुख सचिव | – | श्री संजय दुबे |
| आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास | – | श्री गुलशन बामरा |
| आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश | – | श्री राहुल जैन |
| आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल | – | सुश्री करलिन खोंगवार देशमुख |
| सचिव | – | श्री राजीव शर्मा |
| उप सचिव | – | श्री मनीष सिंह |
| उप सचिव | – | श्री शुभाशीष बनर्जी |
| वित्तीय सलाहकार | – | डॉ. सुषमा दुबे |

# प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग का वर्ष 2019–20 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

**(संजय दुबे)**
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

# प्रशासकीय प्रतिवेदन
# वर्ष 2019–20
## –: विषय सूची :–


| क्र. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | विभागीय संरचना | |
| 2. | विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं | |
| 3. | विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम | |
| 4. | विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय | |
| 5. | संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास | |
| 6. | संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश | |
| 7. | राजधानी परियोजना प्रशासन | |
| 8. | राज्य नगर नियोजन संस्थान | |
| 9. | मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल | |
| 10. | मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम | |
| 11. | परिशिष्ट | |

# विभागीय संरचना

## 1. नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः–

### 1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव के अधीन एक सचिव, दो उप सचिव, एक अवर सचिव तथा एक वित्तीय सलाहकार पदस्थ हैं।

## 2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं

(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।
(3) राजधानी परियोजना प्रशासन।
(4) राज्य नगर नियोजन संस्थान।
(5) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।
(6) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।

## 3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011
(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961
(14) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948
(15) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972
(16) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976
(17) मध्यप्रदेश नगर तथा परिक्रमा नियंत्रण अधिनियम, 1960
(18) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948
(19) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952
(20) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
(21) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975

## 4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण
(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय
(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन
(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन
(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम
(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले
(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं
(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन
(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना
(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही
(12) UIDSSMT, IHSDP, DAY-NULM, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल/अधोसंरचना विकास योजनाओं का क्रियान्वयन
(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन
(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन
(15) स्वच्छ भारत मिशन
(16) म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रशासन
(17) म.प्र. मेट्रो रेल कंपनी का प्रशासन
(18) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन
(19) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन
(20) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना
(21) शहरी अधोसंरचना
(22) शहरी गरीबों के लिये आवास
(23) शहरी पेयजल
(24) आग की रोकथाम
(25) शहरी सुधार कार्यक्रम
(26) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग

(27) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

(28) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण

(29) नगर विकास योजना तैयार करना

(30) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन

(31) नगर तथा ग्राम निवेश

(32) वास्तुकला

(33) नगरीय विकास

(34) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय

(35) आवास स्थान को भाड़े या उप–भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।

(36) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन

(37) राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय

———————

# संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास

## भाग – एक

## विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

**1. संभागीय कार्यालय**

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा एवं शहडोल में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

**2. राज्य शहरी विकास अभिकरण**

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

**3. जिला शहरी विकास अभिकरण**

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

**4.** विभाग के अंतर्गत गठित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

**5. नगरीय स्थानीय निकाय**

प्रदेश में कुल 386 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

| क्रमांक | निकाय की श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | नगरपालिक निगम | 16 |
| 2 | नगरपालिका परिषद | 98 |
| 3 | नगर परिषद | 272 |
| | योग | 386 |

5.1 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

————————

# भाग–दो

## बजट विहंगावलोकन

1. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 1607187.00 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक कुल रूपये 756832.00 लाख का व्यय किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से **योजना** मदों तथा **अनुदान** मदों में मदवार/ योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट–तीन (दो)** पर है।

3. विभागीय बजट में योजना मद के अन्तर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं बाह्य वित्त पोषित योजनाएं संचालित है।

4. राज्य योजना की प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना तथा शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्वे एवं मेट्रो रेल आदि हेतु बजट रखा गया है।

5. राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अन्य संस्थाओं से प्रदाय किए गए ऋणों की प्रतिभूति के विरूद्ध शासकीय अंश पुर्नभुगतान की व्यवस्था बजट में की गई है।

6. अनुदान मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार बेसिक ग्रांट एवं परफार्मेंस ग्रांट चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्री कर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।

———————

# भाग–तीन

## राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

### (अ) राष्ट्रीय योजनाएं

#### 1. स्मार्ट सिटी मिशन

1.1 भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की गाईडलाईन जारी की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार तथा नागरिकों की जीवन शैली में सुधार तथा क्षेत्रीय विकास है।

1.2 शहरों के लिये 100 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति शहर के मान से कुल 500 करोड़ रूपये तथा इतनी ही राशि राज्य शासन को मिलाये जाने का प्रावधान है।

1.3 भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के 16 नगर निगमों को प्रतिस्पर्धा हेतु आमंत्रित किया गया था तथा गाईडलाईन में जारी प्रावधान अनुसार 7 शहरों का चयन किया गया, जिसमें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना एवं सागर का चयन हुआ।

1.4 स्मार्ट सिटी के सुचारू संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है तथा शहर स्तर पर भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में दिये गये निर्देश अनुसार स्पेशल परपस वेहिकल्स (एसपीवी) का गठन किया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, कार्यपालक संचालक–नगर निगम के आयुक्त तथा प्रत्येक शहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किये गये है। एसपीवी अर्न्तगत अन्य मनोनीत अधिकारियों में चीफ प्लानर, चीफ फॉयनेंस ऑफिसर, प्रबंधक ई गवर्नेन्स अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी, अधीक्षण यंत्री आदि को शामिल किया गया है।

1.5 स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन सुनियोजित कार्य योजना अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2020 तक कुल–188 प्रोजेक्ट लागत रु. 2200.32 करोड के पूर्ण किये जा चुके हैं। 206 प्रोजेक्ट लागत रु. 6924.7 करोड के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 50 प्रोजेक्ट लागत रु. 5562.04 करोड के निविदा प्रक्रिया मे है।

**स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत शहरवार क्रियान्वित मुख्य परियोजनाओं की जानकारी**

#### 1.6 भोपाल स्मार्ट सिटी

1.6.1 **स्मार्ट स्ट्रीट लाईट पोलः–** भोपाल स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पीपीपी) के आधार पर रू. 690 करोड़ का अनुबंध किया गया है जिसके अन्तर्गत 400 इंटेलिजेन्टस पोल, 21,000 एलईडी आधारित एनर्जी एफीस्यिंट एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाये जा रहे हैं। इस कार्य हेतु नगर निगम को कोई राशि व्यय नही करना होगी तथा कम्पनी द्वारा 47 करोड़ की राशि नगर निगम को भुगतान की जाएगी। कम्पनी द्वारा उपरोक्त विवरण अनुसार 20400 खम्बों को ऑपटिकल फाईबर द्वारा जोड़ा जायेगा तथा कम्पनी उक्त केबल को अन्य कम्पनियों को लीज पर दे सकेगी। इसके अतिरिक्त कम्पनी को इन खम्बों पर विज्ञापन लगाये जाने के अधिकार भी होगें। जनवरी 2020 तक 20,700 स्ट्रीट लाईट को एलईडी लाईट में बदला जा चुका है तथा 150 स्मार्ट पोल लगाये जा चुके हैं।

1.6.2 **पब्लिक बाईक शेयरिंगः–** इसके अन्तर्गत 75 साइकिल स्टेशन बनाये गये हैं, जिसमें प्रत्येक डॉकिंग स्टेशन पर 10 साईकल उपलब्ध रहेगी। इसके लिये 5 मीटर चौड़ा एवं 12 कि.मी. लम्बाई के साथ बीआरटीएस के साथ–साथ निर्माण किया गया है। अभी तक 500 साईकल आ चुकी हैं तथा 40,000 से अधिक नागरिकों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

1.6.3 **कमांड एंड कंट्रोल सेंटरः–** भोपाल स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत यह देश का प्रथम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। भोपाल स्मार्ट सिटी को ''इन्नोवेटिव आईडियाज'' श्रेणी में कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर हेतु भारत सरकार से अवार्ड प्राप्त हुआ है। उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है तथा सतना स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर माह फरवरी, 2020 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इस कार्य हेतु भोपाल स्मार्ट सिटी को नोडल सिटी बनाया गया।

1.6.4 **इन्क्यूबेशन सेंटरः–** भोपाल स्मार्ट सिटी द्वारा इन्क्यूबेशन सेंटर–''बी नेस्ट''एवं जबलपुर इन्क्यूबेशन सेंटर का प्रारंभ किया जा चुका है। जिसका उद्देश्य नवीन विचारों को विकसित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करना है। इसके माध्यम से रोजगार हेतु कौशल विकास के लिए मंच प्रदान किया जा रहा हैं। वर्तमान मे भोपाल में 35 एवं जबलपुर में 30 से अधिक स्टार्ट–अप पंजीकृत हैं।

1.6.5 **धरोहर संरक्षण(Heritage Conservation)ः–** सदर मंजिल के धरोहर संरक्षण का प्रथम चरण फसाड अपलिफ्टमेंट पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में अधोसंरचना कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगतिशील है, जिसे मार्च 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य हैं।

1.6.6 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) :–** इसके अन्तर्गत 342 एकड़ भूमि में पुनर्विकास किया जाना हैं, इस हेतु स्मार्ट सिटी द्वारा क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान नोटीफिकेशन जारी किया जा चुका है। भूमि मुद्रीकरण (Land Monetization) हेतु निविदा जारी करने की कार्यवाही प्रगतिशील है।

1.6.7 भोपाल स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–

मिशन अंतर्गत जनवरी, 2020 तक कुल 32 प्रोजेक्ट लागत रू. 1087.03 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। 42 प्रोजेक्ट लागत रू. 1754.15 करोड के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। 11 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रू. 3525.12 करोड़ के निविदा प्रक्रिया मे है।

## 1.7 इन्दौर स्मार्ट सिटी

1.7.1 **सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट**–अंतर्गत शहर के दस ट्रासंफार्मर पर सोलर पेनल लगाये जाकर लगभग 1.5 मेगावॉट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।

1.7.2 **बॉयोमेथेनाईजेशन प्लांट**–चौइथराम सब्जी मण्डी में बॉयोमेथेनाईजेशन प्लांट स्थापित कर सीएनसी उत्पन्न की जाकर बसों के संचालन में उपयोग की जा रही है।

1.7.3 **स्मार्ट रोडः–** इन्दौर स्मार्ट सिटी एरिया में दो रोड़ सेक्शन को स्मार्ट रोड़ बनाने के लिये अनुबंध किये जा चुके हैं। योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। ABD क्षेत्र में स्मार्ट रोड के निर्माण के साथ एक Bridge का निर्माण किया जाना है। प्रोजेक्ट की समयावधि 03 वर्ष और लागत लगभग 172 करोड़ है।

1.7.4 **धरोहर संरक्षण (Heritage Conservation)**:–राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, होल्कर छत्री, हेरीटेज वॉक आदि स्मारकों के धरोहर संरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

1.7.5 **रिवर फ्रंट डेवलपमेंटः**– कान नदी के संरक्षण, संवर्धन एवं सफाई की कार्रवाई प्रगति पर है। नदी के आसपास पार्क निर्माण, आठ क्षेत्रों में 3.9 कि.मी. लंबाई का कार्य प्रचलन में है, इस हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल अपेक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ सी.ई.सी. में इंदौर शहर को आवार्ड प्रदान किया गया।

1.7.6 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) :–**इंदौर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 742 एकड़ भूमि पर पुर्नविकास एवं रेट्रोफिटिंग मॉडल अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास किया जाना है। क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। भूमि मुद्रीकरण (Land Monetization) हेतु निविदा जारी करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

1.7.7 इन्दौर स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–

मिशन अंतर्गत जनवरी, 2020 तक इन्दौर शहर के 94 प्रोजेक्ट लागत रू. 306.73 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। इन्दौर शहर के 52 प्रोजेक्ट लागत रू. 1298.34 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। इन्दौर शहर के 13 प्रोजेक्ट लागत रू. 1034.80 करोड़ के निविदा प्रक्रिया मे हैं।

## 1.8 जबलपुर स्मार्ट सिटी

1.8.1 **Multi Level Parking:**– जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के सिविक सेंटर स्थित मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है।

1.8.2 **इन्क्यूबेशन सेंटरः**–जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य नवीन विचारों को विकसित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करना है। इसके माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल विकास के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है।

1.8.3 **Gulauaa Talab Development & Musical Fountion :-** जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा तालाबों के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण अंतर्गत गुलउआ तालाब का विकास कार्य एवं म्युजिकल फॉउंटेन निर्माण किया गया है।

1.8.4 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) :–** इसके अन्तर्गत चयनित एजेंसी द्वारा क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है एवं मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण की जाकर नोटीफिकेशन जारी किया जा चुका है।

1.8.5 **जबलपुर स्मार्ट सिटी** एसपीवी द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–

मिशन अंतर्गत जनवरी, 2020 तक जबलपुर शहर के 33 प्रोजेक्ट लागत रू. 433.77 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। जबलपुर शहर के 31 प्रोजेक्ट लागत रू. 437.72 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। जबलपुर शहर के 11 प्रोजेक्ट लागत रू. 178.15 करोड के निविदा प्रक्रिया मे है।

## 1.9 उज्जैन स्मार्ट सिटी

1.9.1 **ई–रिक्शा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण करते हुए यातायात प्रबंधन का कार्य किया गया है, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.5 करोड़ है।**

1.9.2 **स्मार्ट क्लास रूम–** उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा विद्यार्थियों को उन्नत टेक्नालॉजी के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 5 विद्यालयों में 97 स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अंतर्गत Interactive Digital Classrooms, Digital Library आदि सम्मिलित है।

1.9.3 **बॉयोमेथेनाईजेशन प्लांट–** इसके अंतर्गत सब्जी मण्डी आदि से प्राप्त जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। प्लांट की केपेसिटी 5TPD एवं इसकी लागत 1.74 करोड़ रूपये है।

1.9.4 **स्वीमिंग पुल का निर्माण**– उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा खेल–कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु नागरिकों के लिये ऑलंपिक साईज स्वीमिंग पुल का निर्माण किया गया है।

1.9.5 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development-ABD)** अंतर्गत मास्टर प्लान तैयार करने एवं मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की कार्रवाई प्रगति में है।

1.9.6 उज्जैन स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–

मिशन अंतर्गत जनवरी, 2020 तक उज्जैन शहर के 14 प्रोजेक्ट लागत रू. 216.89 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। उज्जैन शहर के 11 प्रोजेक्ट लागत रू. 1102.36 करोड के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं।

## 1.10 ग्वालियर स्मार्ट सिटी

1.10.1 पेन सिटी अंतर्गत लेडीज पार्क, शिवाजी पार्क एवं नेहरु पार्क पुनर्विकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

1.10.2 Rain Water Harvesting- Phase I अंतर्गत शहर के शासकीय भवनों आदि मे Rain Water Harvesting System लगाये जा चुके हैं एवं Phase II अंतर्गत शहर की बावड़ियों में RHS लगाने की कार्रवाई प्रचलन मे है।

1.10.3 One City One App अंतर्गत शहर की नगरीय सेवाओं एवं सुविधाओं को समस्त नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने हेतु One City One App एप्लीकेशन बनाया गया है।

1.10.4 स्मार्ट क्लास रूम (Smart Class Room- Phase I) अंतर्गत शहर के 37 स्कूलों में स्मार्ट तरीके से विद्यार्थीयों को शिक्षा सुलभ कराई जा रही है। जिसमें विद्यार्थियों को कन्टेंट हिन्दी व अंग्रेजी में ऑनलाईन व ऑफलाईन उपलब्ध कराया गया है।

1.10.5 मल्टीलेवल पार्किगं– शहर में 24 स्थानों पर मल्टीलेवल स्मार्ट पार्किंगं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.10.6 क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development-ABD) हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटिंग का चयन किया जाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है एवं मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन मे है।

1.10.7 ग्वालियर स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–

मिशन अंतर्गत जनवरी, 2020 तक ग्वालियर शहर के 12 प्रोजेक्ट लागत रू. 112.98 करोड के पूर्ण किये जा चुके हैं। 31 प्रोजेक्ट लागत रू. 576.39 करोड के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। ग्वालियर शहर के 07 प्रोजेक्ट लागत रू. 513.72 करोड के निविदा प्रक्रिया मे है।

## 1.11 सागर स्मार्ट सिटी

1.11.1 सागर स्मार्ट सिटी द्वारा नागरिकों के लिये चंद्रा पार्क का विकास कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत ओपन ऐयर थेयटर का निर्माण भी किया गया है। सागर स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–

सागर शहर के 02 प्रोजेक्ट लागत रू. 42.82 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। 16 प्रोजेक्ट लागत रू. 1106.24 करोड के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। 6 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रू. 280.36 करोड डीपीआर बनाये जाने की प्रक्रिया में है।

## 1.12 सतना स्मार्ट सिटी

1.12.1 सतना स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः—

सतना शहर के 1 प्रोजेक्ट लागत रू. 0.10 करोड के पूर्ण किये जा चुके हैं। 23 प्रोजेक्ट लागत रू. 649.50 करोड के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। 24 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रू. 826.27 करोड़ डीपीआर बनाये जाने की प्रक्रिया में है।

## 2 अमृत मिशन

2.1 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारम्भ किया गया है। इसमें प्रदेश के एक लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों तथा धार्मिक महत्व एवं नदी तट पर स्थित ओंकारेश्वर को सम्मिलित किया गया है।

2.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

2.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सेवा स्तरीय बेंच मार्क को प्राप्त किया जाना है।

2.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, शहरी सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार है :—

### 2.5 जलापूर्ति

2.5.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।

2.5.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जलापूर्ति प्रणाली।

2.5.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।

2.5.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुर्नरूद्धार।

### 2.6 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

2.6.1 प्रत्येक परिवार को जल—मल निस्तारण के लिये सीवेज कनेक्शन सुलभ हो ।

2.6.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ।

2.6.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापना।

2.6.4 लाभकारी प्रयोजन के लिये शोधित जल का पुर्नचक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

2.6.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन एवं शोधन।

2.6.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

2.6.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे—ऊर्जा उत्पादन, सोलर सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके)।

## 2.7 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

2.7.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिये फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।

2.7.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।

2.7.3 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRTS)

## 2.8 वर्षा जल नालों का विकास

2.8.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

## 2.9 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

2.9.1 बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए अनुकूल विशेष प्रावधानों के साथ हरित क्षेत्र एवं पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों का निर्माण एवं उन्नयन।

2.9.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिये झूले आदि की व्यवस्था।

2.9.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिये वाकिंग ट्रेक (पाथ वे) का निर्माण।

2.9.5 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

## 2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

2.10.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क निर्माण घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.4 अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं उनकी प्रगति का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है

# 3. मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से

3.1 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के शहरी गरीबों को पट्टा एवं पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को "मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी)" का शुभारम्भ किया गया है। मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से किया जा रहा है।

3.2 योजनातंर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी हैः–

- ✓ "स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास ("In Situ" Slum Redevelopment)
- ✓ क्रैडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम् से किफायती आवास (Affordable Housing through Credit Linked Subsidy)
- ✓ भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership)
- ✓ लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction)

**इसके साथ–साथ किराया–सह–स्वामित्व (Rent to Own) घटक का क्रियान्वयन भी योजनातंर्गत किया जाना प्रस्तावित है।**

3.3 नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती हैं।

3.4 योजनातंर्गत निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:–

| क्रं. | योजना के विकल्प | केन्द्रांश | राज्यांश | पात्र हितग्राही |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "In-Situ" Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource. | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) हितग्राहियों को राशि **रु. 1.00** लाख प्रति आवासीय इकाई | भूमि उपलब्ध कराई जाती है। | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) |
| 2 | Affordable Housing through Credit Linked Subsidy. | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) मध्यम आय वर्ग–1 (MIG-1) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 9.00 लाख तक के गृह ऋण पर 4.00 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) मध्यम आय वर्ग–2 (MIG-2) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 12.00 लाख तक के गृह ऋण पर 3.00 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) | – | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग–1 (MIG-1) और मध्यम आय वर्ग–2 (MIG-2) |
| 3 | Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors. | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई | मलिन बस्तियों में निवासरत हितग्राहियों के लिए राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई एवं भूमि उपलब्ध कराई जाती है। | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) |
| 4 | Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction. | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई | राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई एवं भूमि उपलब्ध कराई जाती है। | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) |

3.5 प्रदेश के समस्त 378 नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3.6 प्रदेश के समस्त 378 नगरीय निकायों की 1,455 परियोजनाओं में कुल 7,93,823 आवासीय इकाई जिनमे 7,26,877 आवासीय इकाई EWS श्रेणी के, 48,708 आवासीय इकाई LIG श्रेणी के एवं 18,238 आवासीय इकाई MIG-1/MIG-2 श्रेणी के स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 48,511 हितग्राहियों को योजना के CLSS घटक से भी लाभान्वित किया गया है।

3.7 योजनांतर्गत नगरीय निकायों को क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रू. 8,980.49 करोड़ आवंटित की जा चुकी है।

3.8 स्वीकृत योजनाओं में CLSS को सम्मिलित करते हुए 2.50 लाख से अधिक आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष इकाइयों पर निर्माण की कार्रवाई प्रचलित है।

3.9 इस योजना अंतर्गत प्रदेश में यह प्रयास किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों के साथ कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के सामाजिक स्तर में भी सुधार तथा निर्मित किये जाने वाले परिसर का संचालन, संधारण भी नियमित रूप से हो सके। मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों से होने वाले आय से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को भी क्रॉस सब्सिडी के विकल्प को भी ध्यान में रखा गया है।

3.10 इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिको को राशि रु. 1 लाख तक अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.11 मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को भूखण्ड/आवास उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदाय करने के लिये मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिये आवास गारंटी अधिनियम, 2017 बनाया गया है।

3.12 योजना अवधि में कुल 11.52 लाख आवासों का निर्माण किया जाना लक्षित है।

3.13 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अभिसरण से मुख्यमंत्री शहरी आवास मिशन लागू किया जा रहा है इस हेतु संक्षेपिका मंत्रीमण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है।

## 4 स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी ) मध्यप्रदेश

4.1 प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन, शहरी को प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त रखना, शहरी ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, नागरिकों के स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास और नगरीय निकायों का क्षमता वर्धन आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

| निर्धारित लक्ष्य | | |
|---|---|---|
| क्र. | विवरण | वर्ष 2014–2019 तक अनुमानित भौतिक लक्ष्य |
| 1. | व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण | 7,31,971 |
| 2. | सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलाएं एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से) | 1200 |
| 3. | सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण ( 1 सीट/25 महिलाएं एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से) | 500 |
| 4. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 378 |
| 5. | क्षमतावर्धन | 378 |

### 4.2. व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण :–

4.2.1 प्रदेश में नागरिकों की मांग के आधार पर उन्हें व्यक्तिगत शौचालयों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें अनुदान की सीमा निम्नानुसार है :–

| क्र | इकाई लागत | केन्द्रांश | राज्यांश | निकाय अंशदान | हितग्राही अंशदान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13600/– | 4000/– | 6880/– | 1360/– | 1360/– |

4.2.2 वर्ष 2019–20 तक व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण व व्यय की स्थिति निम्नानुसार रही ।

| 378 निकायों में कुल स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालय | निर्मित कुल व्यक्तिगत शौचालय | वर्ष 2019 के दौरान प्रगति | वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान जारी राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 6,87,153 | 5,71,150 | 47,214 | 1144.62 |

वित्तीय वर्ष में प्रदेश के समस्त 378 निकाय खुले में शौच से मुक्त होने का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किया गया है।

## 4.3 सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

4.3.1 प्रदेश में चलित जनसंख्या को लक्षित करते हुए सार्वजनिक स्थानों सार्वजनिक शौचालय और उन बस्तियों में जहां व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए शासन द्वारा निम्नानुसार अनुदान प्रावधानित किए गए हैं:–

| क्र. | निकाय | केन्द्रांश | राज्य शासन अनुदान | निकाय अंशदान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर परिषद | 39200/– | 32500/– | 6500/– |
| 2 | नगर पालिका परिषद | 39200/– | 32500/– | 6500/– |
| 3 | नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर को छोड़कर) | 39200/– | 29250/– | 9750/– |
| 4 | नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर के लिये) | 39200/– | 26000/– | 13000/– |

4.3.2 प्रदेश के निकायों में वर्ष 2019–20 तक सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण व व्यय की स्थिति निम्नानुसार दर्ज की गई है :–

| 378 निकायों में कुल स्वीकृत सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या | निर्मित कुल सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या | वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रगति | वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जारी राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 24233 | 18783 | 9901 | 721.12 |

4.3.3 इसके अलावा भ्रमणशील जनसामान्य जैसे तीर्थ यात्री आदि के लिये मोबाईल टायलेट नगरीय निकायों को प्रदान किये गये है जिसके अंतर्गत कुल 118 इकाई मोबाईल टॉयलेट प्रदान कर नदियों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यवाही की गयी है। जिससे खुले में शौच की समस्या को स्थाई रूप से समाप्त किया जा सके।

4.3.4 प्रदेश में स्वच्छता को संवहनीय बनाने के लिए अधिक सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 234 निकायों को ओडीएफ + एवं 107 निकायों को ओडीएफ + + प्रमाणित किया गया है।

*ओडीएफ + का अर्थ शहर में 100 प्रतिशत लक्षित व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ 10 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयों में विश्वस्तरीय सुविधाएं एवं शेष 90 प्रतिशत में समस्त आधारभूत सुविधाएं होना चाहिए। इसी प्रकार ओडीएफ + + का अर्थ 100 प्रतिशत लक्षित व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ 50 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयों में विश्वस्तरीय सुविधाएं एवं शेष 50 प्रतिशत में समस्त आधारभूत सुविधाओं के साथ सभी शौचालयों फीकल मल के उपचार के लिए सुविधा होना चाहिए। यह प्रमाणीकरण भारत सरकार द्वारा अनुबंधित तृतीय पक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन, सिटीजन फीडबैक एवं निर्धारित मानकों के तहत प्रमाणित किया जाता है।

4.3.5 निकायों द्वारा सभी निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का विधिवत रखरखाव किए जाने के साथ साथ उनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष सभी सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव, रंगरोगन, सौंदर्यीकरण आदि पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों को निरंतर साफ रखने के दृष्टव्य सौदर्यवृद्धि को भी इस वर्ष लक्ष्यों में शामिल किया गया था।

## 4.4 सूचना, शिक्षा, संप्रेषण तथा प्रचार–प्रसार

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत नागरिकों को शहरी स्वच्छता में जोड़ने और सहयोग के लिए आगे आने के लिए निरंतर जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों का संचालन किया जाता है। निकायों में 360 डिग्री संचार रणनीति के तहत इन गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसमें नागरिकों तक पहुंचने के लिए समस्त आवश्यक शहरी प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। नागरिकों को स्वच्छता से सीधे जोड़ने के लिए अंर्तवैयक्तिक संचार को प्रंमुखता से शामिल करते हुए समूह व जनसंचार माध्यमों के उचित समन्वय से जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस वर्ष संचालित की गई प्रमुख संचार गतिविधियां और उनकी पहुंच का विवरण निम्नानुसार हैं –

| क्रमांक | गतिविधि व लक्षित समूह | संख्या विवरण | लक्षित नागरिकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | स्वच्छता रैलियों का आयोजन | 7887 रैलियां | 08 लाख से अधिक शहरी नागरिकों की सहभागिता |
| 02 | शालाओं में छात्रों के साथ स्वच्छता चर्चा कार्यक्रम | 9884 शालाएं | 7.8 लाख छात्रों तक सीधे पहुंच |
| 03 | निकायों में स्वच्छता गृहभेंट अभियान | 36.15 लाख परिवार | 1.65 करोड़ नागरिकों तक पहुंच |
| 04 | निकायों में स्वच्छता आधारित मोहल्ला सभाओं का आयोजन | 27508 सभाएं | 17.55 लाख नागरिकों की सहभागिता |
| 05 | स्व सहायता समूहों की सहभागिता | 3187 समूह बैठक | 3.20 लाख सदस्यों की सहभागिता |

4.4.1 उक्त के अलावा जनसंचार माध्यमों और स्वच्छता व्यवहारों को लक्षित कर तैयार की गई प्रचार सामग्री से भी शहरी जनसंख्या तक पहुंचने का प्रयास किया गया। सभी गतिविधियां निकायों के नेतृत्व में आयोजित की गईं जिससे निकायों में जहां एक ओर क्षमता वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर शहरों में व्यापक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। निकायों को नेतृत्व देने का परिणाम यह निकला कि नगरों में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई है। सभी नगरीय निकायों को सूचना शिक्षा संप्रेषण के प्रचार–प्रसार, व्यवहार परिवर्तन हेतु नगरीय निकायों को फरवरी 2020 तक राशि रू. 1602.17 लाख करोड़ प्रदान किये गये है।

## 4.5 संवहनीयता

निकायों में स्वच्छता संवहनीयता को लक्षित करते हुए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। प्रयास यह है कि नागरिक और नागरिक समूहों की शहरी स्वच्छता गतिविधियों अभिरूचि का निरंतर विकास हो जिससे शहरी स्वच्छता की संवहनीयता सुनिश्चित की जा सके।

4.5.1 निकायों में 186 झोला बैंकों की स्थापना की गई है जिनके माध्यम से शहर में पॉलीथीन कैरी बैग के स्थान पर कपड़े का झोला प्रयोग करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाता है। इनके अलावा नागरिकों व सीएसआर संस्थाओं के सहयोग से कपड़े के 2.5 लाख से अधिक झोलों का वितरण किया गया।

4.5.2 सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल की कटलरी आदि का प्रयोग रोकने के उद्देश्य निकायों व नागरिक संस्थाओं द्वारा 1532 बर्तन बैंकों का संचालन किया जा रहा है। इन बर्तन बैंकों के माध्यम से नाममात्र का शुल्क लेकर व्यक्तिगत या सामाजिक आयोजनों के लिए बर्तन उपलब्ध कराए जाते हैं।

4.5.3 प्रदेश में कचरे के प्रबंधन को संवहनीय और प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से निकायों में 151 मटेरियल रिकवरी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन मटेरियल रिकवरी केन्द्रों में प्राप्त होने वाले सूखे कचरे को उनके विभिन्न अवयवों में विभाजित करते हुए रिसाइकिल करने के लिए प्रदान किया जाता है।

## 4.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

4.6.1 राज्य के नगरीय क्षेत्रों में उत्सर्जित कचरे का प्रबंधन नगरीय निकायों का ही दायित्व माना गया है। इसी आधार पर ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के विहित प्रावधानों के अनुसार यह जिम्मेदारी निकायों को ही प्रदान की गई है। इस जिम्मेदारी को निकाय या वार्ड स्तर पर पृथक्कीकरण किया जाकर, माइक्रो लेवल वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था को अपनाते हुए शहरों में जीरो लैंडफिल की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

4.6.2 निकायों में दैनिक आधार पर उत्सर्जित होने वाले कचरे का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2019–20 में प्रदेश के 378 निकायों में सभी माध्यमों से 23.45 लाख टन कचरे का उत्सर्जन रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से निकायों द्वारा 20.70 लाख टन (87प्रतिशत) कचरे का निपटान व प्रसंस्करण किया गया है।

4.6.3 इसके अलावा निकायों द्वारा लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निपटान, और वर्तमान डंपसाइटस को सुरक्षित रूप से हटाए जाने या कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उपरांत भूमि वापस प्राप्त किए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में इस वित्तीय वर्ष में 91.55 करोड़ रू. की राशि व्यय की गई है। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में क्षमता वृद्धि मद में 766.73 करोड़ राशि का व्यय किया गया है।

## 4.7 फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन

4.7.1 प्राकृतिक जल स्त्रोतों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना राज्य सरकार का दायित्व है, परंतु सेप्टिक टेंक से निकलने वाले स्लज एवं तरल अपशिष्ट प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में एक है। जनगणना–2011 के आंकडो के अनुसार राज्य की नगरीय जनसंख्या 2.02 करोड है। इसके आधार पर राज्य में लगभग 40 लाख परिवार निवास करते है, इनमें से केवल 20 प्रतिशत परिवार सीवर नेटवर्क से जुडे हुये हैं, जबकि 52 प्रतिशत परिवार सेप्टिक टेंक व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित है। इन 52 प्रतिशत परिवारों के सेप्टिक टेंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज के प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं भू–जल स्त्रोत के प्रदूषित होने की संभावना है। प्रदेश में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन को मानक बनाए जाने के उद्देश्य से कार्य नीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा 20 निकायों में सेप्टेज प्रबंधन, तकनीकी, आईईसी आदि विषयों को समाहित करते हुए क्षमता वृद्धि कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

# 5 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

5.1 केन्द्र प्रवर्तित ''स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)'' के स्थान पर 12वी. पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना ''डे–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)'' अक्टूबर 2013 से लागू की गई है।

## 5.2 उद्देश्य

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए ''दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

## 5.3 योजना के चरण

### प्रथम चरण – वर्ष 2013–16

जनगणना 2011 के अनुसार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा सभी जिला मुख्यालय शहर (जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है) शामिल किये गये हैं।

| क्र. | जनसंख्या | प्रदेश के शहर | शहर संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 लाख से ऊपर | इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर | 04 |
| 2 | 5 लाख से 10 लाख | उज्जैन | 01 |
| 3 | 3 लाख से 5 लाख | सागर | 01 |
| 4 | 1 लाख से 3 लाख | देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर, डबरा | 27 |
| 5 | जिला मुख्यालय शहर 1 लाख से नीचे | शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ़, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सिहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बड़वानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ़, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिण्डोरी, धार, आगर | 22 |
| | | **कुल शहर** | **55** |

### द्वितीय चरण वर्ष 2017–18

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 (पचास हजार) से अधिक जनसंख्या वाले 15 निकाय | मण्डीदीप (रायसेन), आष्टा (सीहोर), सिरोंज (विदिशा) , गंजबासौदा (विदिशा), गोहद (भिण्ड), सेंधवा (बडवानी), गाडरवाडा (नरसिंहपुर), मैहर (सतना), बीना–इटावा (सागर), खुरई (सागर), जावरा (रतलाम), राघोगढ–विजयपुर (गुना), मकरोनिया (सागर), शुजालपुर (शाजापुर), सारणी (बैतूल) | 15 |

### तृतीय चरण वर्ष 2018–19

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,000 (तीस हजार) से अधिक जनसंख्या वाले केवल 10 निकाय | अम्बाह (मुरैना), ब्यावरा (राजगढ), पिपरिया (होशंगाबाद), पांढुर्ना (छिन्दवाडा), धनपुरी (शहडोल), सिहोरा (जबलपुर), नौगांव (छतरपुर), सनावद (खरगोन), बडनगर (उज्जैन) एवं मलाजखंड (बालाघाट) | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28,000 (अठ्ठाईस हजार) से अधिक जनसंख्या वाले 30 निकाय | सारंगपुर (राजगढ), जौरा (मुरैना), सबलगढ (मुरैना), पोरसा (मुरैना), डोगरपरासिया (छिन्दवाडा), राऊ (इन्दौर), खाचरोद (उज्जैन), बेगमगंज (रायसेन), चन्देरी (अशोकनगर), बानमोर (मुरैना), बिजुरी (अनूपपुर), हटा (दमोह), नरसिंहगढ (राजगढ), धामनौद (धार), महिदपुर (उज्जैन), बरेली (रायसेन), राहतगढ (सागर), बैरसिया (भोपाल), बण्डा (सागर), गढाकोटा (सागर), मनावर (धार), रहली (सागर), आमला (बैतूल), सिवनी–मालवा (होशंगाबाद), मऊगांव (इन्दौर), करेरा (शिवपुरी), कुक्षी (धार), आरोन (गुना) एवं निवाडी | 30 |

## 5.4 योजना के घटक :–

5.4.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास
(Social Mobilisation And Institution Development)

5.4.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार
(Employment Through Skills Training And Placement)

5.4.3 स्वरोजगार कार्यक्रम
(Self-Employment Programme)

5.4.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
(Capacity Building & Training)

5.4.5 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायता
(Support to Urban Street Vendors)

5.4.6 शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना
(Shelter For Urban Homeless)

## 5.5 घटकवार विवरण एवं वर्षवार प्रगति

### 5.5.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास

घटक अंतर्गत समूहों की त्रिस्तरीय संगठनात्मक रचना की गई है। प्रथम स्तर पर 10 से 20 महिलाओं को मिलाकर स्व–सहायता समूह का गठन किया जायेगा। द्वितीय स्तर पर 10–20 स्व–सहायता समूहों के चिन्हित सदस्यों से एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। तृतीय स्तर पर 10–20 एरिया लेवल फेडरेशन के सदस्यों से सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। इस संघीय संरचना का उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इस संरचना से समूहों के निर्माण, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी, बैंक लिंकेज, निरंतर आजीविका, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि में सहायता मिलेगी। उक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

प्रगति

| क्र. | वर्ष | लक्ष्य | स्व–सहायता समूह गठन | समूह को प्रदान की गई आवर्ती निधि (रिवाल्विंग फंड) (रू. लाख में) | कुल बैंक ऋण (रू. लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बैंक ऋण | ब्याज अनुदान | योग (6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2014–15 | 2500 | 1382 | 0.32 | 226.12 | 11.30 | 237.42 |
| 2 | 2015–16 | 3000 | 3870 | 113.60 | 529.10 | 26.45 | 555.55 |
| 3 | 2016–17 | 3000 | 3668 | 272.10 | 551.10 | 27.60 | 578.7 |
| 4 | 2017–18 | 12000 | 8514 | 529.90 | 1740.18 | 87.00 | 1827.18 |
| 5 | 2018–19 | 4000 | 5945 | 1433.90 | 2295.20 | 91.80 | 2387.00 |
| 6 | 2019–20 | 4000 | 1710 | 901.00 | 1173.80 | 46.95 | 1220.75 |
| कुल योग | | **28500** | **25089** | **3250.82** | **6515.5** | **291.1** | **6806.6** |

### 5.5.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार

घटक अंतर्गत शहरी गरीबों को विभिन्न पाठ्यक्रमों (कोर्स) में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण संपादित कराया जाता है। प्रशिक्षण तकनीकी एवं गैर–तकनीकी क्षेत्रों में किए जाते है। तकनीकी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम, आटो मोबाईल सेक्टर आदि आते है तथा गैर–तकनीकी क्षेत्र में ब्यूटीशियन, गारमेंट मेकिंग, रिटेल, नर्सिंग आदि आते है।

**प्रमुख विशेषताएँ :**

- न्यूनतम 200 घण्टे का कौशल प्रशिक्षण।
- भारत सरकार द्वारा अधिकृत शासकीय संस्थाओं ''एन.सी.व्ही.टी एवं सेक्टर स्किल कॉउन्सिल'' के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण।
- कम से कम 70% प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार/स्वरोजगार में नियोजन।
- प्लेसमेंन्ट उपरांत 14 माह तक हितग्राहियों की ट्रेकिंग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

प्रगति

| क्र. | वर्ष | लक्ष्य | कुल प्रशिक्षित हितग्राही | नियोजित हितग्राही | नियोजन के प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2014–15 | 40000 | 1118 | 373 | सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल, गारमेंट मैंकिग, नर्सिंग, बैंकिंग और अकाउन्टिग, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोटिव, कन्सट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन, वूड वर्क, सिक्योरिटी, ट्यूरिज्म, टैलीकॉम इत्यादि |
| 2 | 2015–16 | 40000 | 48535 | 9582 | |
| 3 | 2016–17 | 40000 | 40843 | 40035 | |
| 4 | 2017–18 | 49000 | 20620 | 5701 | |
| 5 | 2018–19 | 25000 | 45624 | 30420 | |
| 6 | 2019–20 | 41000 | 26482 | 3031 | |
| कुल योग | | **235000** | **183222** | **89142** | |

### 5.5.3 स्वरोजगार कार्यक्रम

घटक अंतर्गत हितग्राहियों को लघु उद्यमिता विकास, स्वरोजगार स्थापना, वित्तीय पोषण एवं उद्यमिता आधारित सेवायें, तकनीकी एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है–

- घटक अंतर्गत व्यक्तिगत हितग्राहियों को अधिकतम 2.00 लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
- समूह ऋण के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
- स्व सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। स्व सहायता समूहों को नियमित भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है।

**प्रगति**

| क्र. | वर्ष | लक्ष्य | लाभान्वित हितग्राही | कुल वितरित ऋण राशि (रू. लाख में) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ऋण राशि | ब्याज अनुदान सहायता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2014–15 | 12000 | 3245 | 2432.65 | 11.30 |
| 2 | 2015–16 | 12000 | 14327 | 9730.42 | 56.59 |
| 3 | 2016–17 | 12000 | 15466 | 1177.63 | 101.27 |
| 4 | 2017–18 | 30000 | 19570 | 16892.38 | 272.19 |
| 5 | 2018–19 | 16000 | 14393 | 15948.54 | 146.00 |
| 6 | 2019–20 | 10000 | 1623 | 1874.73 | 505.19 |
| **कुल योग** | | **92000** | **68624** | **48056.35** | **1092.54** |

**क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण**

घटक अंतर्गत राज्य स्तर पर स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट तथा निकाय स्तर पर सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर वर्तमान में 5 राज्य मिशन प्रबंधक, निकाय स्तर पर 92 सिटी मिशन प्रबंधक तथा 149 सामुदायिक संगठक कार्यरत हैं।

**शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता**

घटक अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा उचित स्थान यथा– हाकर्स कार्नर निर्माण व संधारण का प्रावधान है। पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पहचान पत्र तैयार करना, वेन्डर्स जोन बनाना, वेंडर मार्केट निर्माण करना, स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार स्थापित कराना, पथ विक्रेताओ को कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत 1 से 2 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराना। 81,509 पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है एवं 74 हजार को परिचय पत्र वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 तक रूपये 1 करोड़ 39 लाख व्यय कर 7 हाकर्स कार्नर निर्मित किये जा चुके हैं।

### शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना

घटक अंतर्गत शहरी आश्रयहीन को उपयुक्त आश्रय स्थल का प्रावधान है। वर्तमान में 55 नगरीय निकायों में 133 आश्रय स्थल संचालित किये जा रहे है। इन आश्रय स्थलों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधायें यथा– स्वच्छ पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, निरंतर बिजली, हवादार कमरे, स्वच्छ बिस्तर, टी.वी, कूलर, पंखे, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आसपास के क्षेत्रों से निरंतर आवागमन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आश्रय स्थल रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, मण्डी तथा जिला चिकित्सालयों के समीप स्थापित किये गये हैं। सभी आश्रय स्थल 24 घण्टे के लिए संचालित है एवं इनका संचालन निकायों व गैर–शासकीय संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है।

### वित्तीय व्यवस्था

योजनांतर्गत केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 की प्रतिशत हिस्सेदारी है।

### योजना में प्राप्त आवंटन एवं व्यय

(रू. लाख में)

| वर्ष | आवंटन | व्यय |
|---|---|---|
| स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना की शेष राशि का आवंटन | 3538.96 | - |
| 2014-15 | 4273.63 | 2425.02 |
| 2015-16 | 2604.18 | 5325.91 |
| 2016-17 | 5633.15 | 5463.95 |
| 2017-18 | 6958.33 | 5875.09 |
| 2018-19 | 3600.00 | 7240.77 |
| 2019-20 | 8126.76 | 4217.19 |
| **Total** | **34735.01** | **30547.93** |

## 6. छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

6.1 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझौले शहरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से यूआईडीएसएसएमटी योजना प्रारंभ की गई है।

6.2 योजना के अंतर्गत परियेाजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्ध राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

6.3 योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है।

6.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी मनोनीत है।

6.5 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2014 तक रू. 2849.36 करोड़ राशि की 114 नगरों की 179 परियोजनायें (पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) स्वीकृत की गई है। इसमें से 117 परियोजनाओं (92 जलप्रदाय, 63 सड़क एवं 04 सीवरेज) का कार्य पूर्ण हो चुका है।

6.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है।

## (ब) राज्य योजनाएं

### 1. मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना

1.1 प्रदेश में दिनांक 22 फरवरी 2019 से शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना आरंभ की गई है। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. के शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या लगभग 2.00 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्र में निवासरत् 21–30 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले युवाओं की जनसंख्या लगभग 17 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग में से 17 प्रतिशत रोजगार पाने के आकांक्षी है। इस अनुपात में वर्ष 2019 की स्थिति में रोजगार पाने के आकांक्षी युवाओं की यह संख्या 6.50 लाख होना संभावित है। प्रदेश के इन 6.50 लाख युवाओं को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने के लिये व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। साथ ही कल्याणकारी राज्य का यह नैतिक दायित्व बनता है, कि जीवन–यापन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक इन महत्वकांक्षी युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान किये जाए। प्रस्तावित युवा स्वाभिमान योजना के द्वारा इस दोहरे उद्देश्य यथा– दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता हेतु व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण एवं जीवनयापन की तात्कालिक आवश्यकता हेतु वर्ष में एक निश्चित अवधि तक रोजगार प्रदान करना, को साधने का प्रयास किया जा रहा है।

### 1.2 उद्देश्य

नगरीय क्षेत्र में निवासरत युवाओं को व्यावसायिक कौशल–प्रशिक्षण प्रदान करते हुए भविष्य हेतु क्षमता संवर्धन करना तथा जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकता हेतु एक वर्ष में सौ दिवस का अस्थाई रोजगार एवं समानुपातिक स्टाइपेण्ड प्रदान करना।

### 1.3 पात्रता

योजना हेतु निम्न युवा अभ्यर्थी पात्र होंगे–

1. मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र के निवासी हों।
2. 01 जनवरी 2019 को जिनकी आयु 21 ये 30 वर्ष के मध्य हो।
3. परिवार की वार्षिक आय रू. 2 लाख से कम हो।

### 1.4 क्रियान्वयन एजेंसी

नगरीय विकास एवं आवास विभाग नोडल एजेंसी के रूप मे कार्य करेगा तथा म.प्र. रोजगार निर्माण एवं कौशल विकास बोर्ड तथा मैप–आईटी के समन्वय से योजना का संचालन करेगा।

### 1.5 योजना का परिचालन

#### 1.5.1 प्रक्रिया

1.5.1.1 पात्र हितग्राही योजना के पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर पंजीयन करते है। ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी हितग्राही का आधार–आधारित–सत्यापन (e-KYC) करेगें तथा निकाय स्तरीय दस दिवसीय प्रशिक्षण भी संचालित करेंगे।

1.5.1.2 इसके पश्चात् 90 दिवस तक 4–5 घंटे नगरीय निकाय द्वारा आंवटित विहित कार्य में नियोजन एवं 4 घंटे कौशल एवं तकनीकी विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमे न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी को कृत कार्य के समानुपातिक भुगतान की आर्हता होगी। यह न्यूनतम उपस्थिति कार्य में 33% एवं प्रशिक्षण में 70% होगी।

1.5.2 **ऑनबोर्डिंग एवं कार्य आंवटन** – निकाय के नोडल अधिकारी पोर्टल पर हितग्राहियों की ऑनबोर्डिंग, आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC द्वारा करेगें और हितग्राहियों को एक सुपरवाइजर से जोड़ेगें।

1.5.2.1 निकाय में नोडल अधिकारी सुपरवाइजरों के माध्यम से 10 दिवसीय (8 घंटे प्रतिदिन) निकाय स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेंगे एवं उन्हें वही कार्य दिया जायेगा, जो कार्य शेष 90 दिवस में उन्हें निकाय में प्रतिदिन 4–5 घंटे सम्पादित करना है।

1.5.3 **कौशल प्रशिक्षण** – निकाय पर 10 दिवस के प्रशिक्षण के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा 90 कार्य दिवस तक प्रतिदिन 4–5 घंटे विहित कार्य एवं 4 घंटे कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।

### 1.6 योजना की अद्यतन प्रगति

योजनांतर्गत दिनांक 01/01/2020 तक कुल 4,24,412 हितग्राहियों द्वारा पंजीयन कराया गया है। जिसमें से 79,133 हितग्राहियों द्वारा ऑनबोर्डिंग कराई गई है। वर्तमान में योजना 166 नगरीय निकायों में संचालित है। इन निकायों में कुल 38 ट्रेडों में कुल 29,734 युवा (14,845 युवाओं का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है एवं 14,889 युवा प्रशिक्षाणरत् हैं) प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 18,151 पात्र हितग्राहियों को 14.60 करोड़ रूपये स्टाइपेंड के रूप में वितरित किये जा चुके हैं।

## 2. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 58341 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

## 3. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आई. टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल उन्नयन किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में रू. 2,000.00 पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 72137 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

## 4. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012

प्रदेश में शहरी फेरीवालों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 से लागू की गयी है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 37664 हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। तथा प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं।

## 5. केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्पी का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना वर्ष 2013 में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 12406 हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

## 6. मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना, 2017

शहरी गरीबों के शारिरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी। वर्तमान तक 1665 हितग्राहियों को ई–रिक्शा एवं ई–लोडर प्रदान किये गये हैं।

## 7. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

योजना अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अंत्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी), पंजीकृत हाथठेला चालक एवं साइकिल रिक्शा चालक, पंजीकृत पथ विक्रेता, पंजीकृत केश शिल्पी एवं पंजीकृत शहरी घरेलू कामकाजी महिला हितग्राहियों के लिये स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50,000.00 तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 15–50 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान तक 52902 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

## 8. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50,000.00 से अधिक 10.00 लाख रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 15–30 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 07 वर्षों तक (अधिकतम रूपये 25000.00 प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जाता है। योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान तक 53383 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

## 9. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

यह योजना वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत केवल कृषक पुत्री/पुत्र को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत राशि रूपये 50,000.00 से अधिक 2.00 करोड़ रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 15–20 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी गई है। ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 07 वर्षों तक (अधिकतम रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान तक 122 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

## 10. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना

योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 51 जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों का आगमन होता है। कार्य एवं व्यवसाय की तलाश में आने वाले गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था हेतु यहॉ वहॉ भटकना पड़ता है। साथ ही कई गरीब शहरी परिवारों को भी वर्तमान में सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए इस योजना के माध्यम से स्वच्छ, सस्ता एवं पौष्टिक भोजन पॉच रूपये प्रति व्यक्ति की दर से दोपहर के समय उपलब्ध कराया जा रहा है।

## 11. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

11.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रांरभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

11.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जा रहा है, जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा राशि रू. 1000.00 करोड़ की प्रदान की गई है। इसी प्रकार बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु भी राशि रू. 500.00 करोड़ एवं 260.24 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना हेतु कुल राशि रू. 1760.24 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में 155 नगरीय निकायों की कुल योजना राशि रू. 2100.93 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 54 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रू. 132.25 करोड़, वर्ष 2013–14 में राशि रू. 90.00 करोड़, वर्ष 2014–15 में प्रावधानित राशि रू. 139.00 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 76.00 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में राशि रू. 106.92 करोड़, वर्ष 2017–18 में राशि रू. 27.70 करोड़, वर्ष 2018–19 में राशि रू. 4.41 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में राशि रू. 7.20 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किया गया है। वर्तमान तक स्वीकृत 155 नगरीय निकायों में से 104 नगरीय निकायों का कार्य पूर्ण, 48 नगरीय निकायों में योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। विवरण **परिशिष्ट–छः** पर है।

## 12. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

12.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना 2012 में प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क, शहरी यातायात, सौन्दर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान, धरोहर संरक्षण आदि कार्य कराया गया है।

12.2 योजना के प्रथम चरण अंतर्गत लागत रू. 1428.00 करोड़ है, जिसमें 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत राशि ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

12.3 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का द्वितीय चरण राशि रू. 1800 करोड़ का वर्ष 2016 में स्वीकृति हुआ है, योजना में स्वीकृत राशि का 20% अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा एवं 80% प्रतिशत राशि ऋण के रूप में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा नगरीय निकायों को उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत राशि ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

12.4 योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत 378 नगरीय निकायों में 472 परियोजनाओं को रू. 1800.00 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। योजनांतर्गत 439 परियोजनाओं में निकायों को तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा 392 परियोजनाओं में वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से 21 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा शेष निकायों में कार्य प्रगतिरत है।

12.5 योजना के द्वितीय चरण में 14 नगरीय निकायों को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें से अमरकंटक, मैहर, मुंगावली, सिंगरौली, चित्रकूट, गंजबासौदा, सीधी, गुना (भाग–1 एवं भाग–2), दतिया, चंदिया, रतलाम, पन्ना (भाग–1 एवं भाग–2), ओरछा एवं शिवपुरी, कुल 14 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इन 14 निकायों में मिनी स्मार्ट सिटी योजना का कियान्वयन MPUDC द्वारा किया जा रहा है।

12.6 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को निरंतर रखते हुए योजना के तृतीय चरण की मंत्रि–परिषद के आदेश आयटम क्र. 14 दिनांक 16.01.2020 से रू. 536.00 करोड़ की स्वीकृति है जो वर्ष 2020–21 से 2023–24 चार वर्षों के लिये स्वीकृत की गई है योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में निम्नानुसार कार्य कराये जायेगें –

- निकायों की आय वृद्धि के लिए आवश्यक अधोसंरचना कार्य।
- सड़कों को पक्का किया जाना एवं नालियों का निर्माण।
- पार्कों तथा हरित क्षेत्रों का विकास।
- स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण
- स्मार्ट रोड बनाने का कार्य
- नवगठित एवं अन्य नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास कार्य।

## 13. एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

13.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्न परियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

13.2 एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 11 नगरीय निकायों की योजना राशि रू. 157.45 करोड़ की स्वीकृत की गई है तथा इन नगरीय निकायों को कुल राशि रू. 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 11 निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है।

## 14. विशेष निधि से वित्त पोषित नगरों की सीवरेज परियोजना

14.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत सीवरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वित्त व्यवस्था म.प्र. शासन के विशेष निधि के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है ।

14.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यो में 08 नगरों में मलजल निस्तारण की योजना प्रस्तावित है ।

14.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण एवं उपचार योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे स्थित 7 नगर क्रमशः बुधनी, शाहगंज, नेमावर, अमरकंटक, डिण्डोरी, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर एवं इनके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी के शुद्धीकरण हेतु चित्रकूट नगर सीवरेज परियोजनाओं में कार्य आरंभ किये जा चुके हैं ।

14.4 परियोजना की कुल लागत रू. 215.00 करोड़ है ।

14.5 नर्मदा नदी के किनारे स्थित 07 नगर एवं मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट नगर की सीवरेज परियोजनाओं में कार्य आरंभ किये जा चुके हैं ।

14.6 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है ।

## (स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

### 1. एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम

1.1 अन्य वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए 128 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जल प्रदाय तथा पर्यटन/धरोहर/धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 10 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण सहायता लेते हुए मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 128 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रथम चरण में 69 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय चरण में शेष 59 नगरों की जलप्रदाय योजनाएं ली जाएंगी। साथ ही परियोजना के प्रथम चरण में 4 नगरीय निकायों तथा द्वितीय चरण में 6 नगरीय निकायों की मलजल निस्तारण एवं उपचार योजनाएं प्रस्तावित है।

1.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू. 5400.00 करोड़ अर्थात् 829 मिलियन यू.एस. डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

1.4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋणों के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

1.5 योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 69 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना एवं 4 मलजल योजना की डीपीआर तैयार की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 28 पैकेजों के अंतर्गत 69 नगरीय निकायों की जल प्रदाय एवं 4 निकायों की मलजल की व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। इनमें 25 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग रू. 2494.30 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मो को जारी कर दिये गये है।

1.6 योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 59 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना एवं 6 मलजल योजना की डी.पी.आर. तैयार की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 34 पैकेजों में से 18 पैकेजो के अंतर्गत 36 नगरीय निकायों की जल प्रदाय व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इनमें 9 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग 595.04 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मों को जारी कर दिये गये हैं।

1.7 म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए पी.एम.सी. (परियोजना प्रबंधन सलाहकारिता फर्म) फर्म मेसर्स टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स लिमिटेड का चयन कर फर्म के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है। फर्म के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

1.8 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 19 जून, 2017 को प्रथम चरण का ऋण अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

## 2. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना

2.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए नगरों की जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण (ऋण) से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।

2.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 7 नगरों में मलजल निस्तारण एवं उपचार तथा 5 नगरों में जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है।

2.3 प्रस्तावित मलजल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारें एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 4 नगर क्रमशः भेड़ाघाट, नसरूल्लागंज, महेश्वर एवं धरमपुरी तथा 3 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः शाजापुर, छिंदवाड़ा, शहडोल सम्मिलित है।

2.4 जल प्रदाय योजना बुरहानपुर, मुरैना, खरगौन, सेवढ़ा एवं श्योपुर कला में प्रस्तावित है ।

2.5 परियोजना की कुल लागत रू. 1080.00 करोड़ (166.00 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान एवं 70 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

2.6 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

2.7 विश्व बैंक के साथ दिनांक 12 जून, 2017 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है ।

2.8 बुरहानपुर और खरगौन नगर की जल प्रदाय योजना तथा छिंदवाडा, महेश्वर, नसरूल्लागंज, धरमपुरी एवं शाजापुर नगर की सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है। भेड़ाघाट की सीवरेज योजना तथा सेवढ़ा जलप्रदाय योजना की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। शहडोल सीवरोज योजना की निविदा शीघ्र आमंत्रित की जा रही है। शेष सभी योजनाओं की डी पी आर में विश्व बैंक के सुझावों के अनुसार संशोधन किये जा रहे है।

2.9 परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

## 3. केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वायरमेंट प्रोग्राम

3.1 प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण उन्नत करने के लिये सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वार्यमेंट प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है।

3.2 योजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 5 नगरों क्रमशः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, बड़वानी एवं सेंधवा में मलजल निस्तारण एवं उपचार प्रस्तावित है ।

3.3 परियोजना की कुल लागत रूपये 525.00 करोड़ (75 मिलियन यूरो) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान तथा 70 प्रतिशत केएफडब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

3.4 केएफडब्ल्यू बैंक के साथ दिसम्बर, 2017 को अनुबंध किया जा चुका है।

3.5 होशंगाबाद, बड़वानी एवं सेंधवा नगर की सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है तथा मंडला एवं नरसिंहपुर सीवरेज योजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

3.6 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमपेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

## (द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

### 1 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है :–

(1) जनरल बेसिक ग्रांट – (वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक)

(2) परफॉरमेंस ग्रांट – (वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक)

1.2 वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार से जनरल बेसिक ग्रांट की प्रथम किश्त की राशि रूपये 621.18 करोड़ प्राप्त हुई, जिसे प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया गया है।

1.3 वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 की परफॉरमेंस ग्रांट की राशि रूपये 229.75 करोड़, भारत सरकार से प्राप्त पात्र 195 नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

### 2 नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये हैं।

2.3 वर्ष 2019–20 में माह मार्च तक इस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये 19740.43 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

### 3 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

3.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया है।

3.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमेन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है।

3.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

3.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

3.5 नगरीय निकायों में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से पेयजल, सीवेज परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

3.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों का गठन किया जा रहा है।

3.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidary Company बनाया गया है।

## 4 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी

4.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) द्वारा दिनांक 11.09.2018 को अनुमोदित किया गया एवं केन्द्रीय मंत्रि–परिषद द्वारा दिनांक 03.10.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी हैः–

- माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश मेट्रो कंपनी एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मेट्रो कंपनी की कार्यकारी समिति का गठन किया जा चुका है।
- भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA) द्वारा जारी परियोजनाओं की स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के साथ भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियाजनाओं के स्वीकृति पत्रों दिनांक 30.11.2018 में प्रदर्शित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के अनुसार भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत रू. 6941.40 करोड़ तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत रू. 7500.80 करोड़ है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत दो कॉरीडोरों का जिनकी कुल लंबाई 27.87 किलोमीटर है एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक रिंग कॉरीडोर जिसकी कुल लंबाई 31.55 किलोमीटर है का अनुमोदन अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सिविल पैकेज (Viaduct Length - 6.225 किमी, लागत – रू. 247.06 करोड़) तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सिविल पैकेज (Viaduct Length - 5.290 किमी, लागत – रू. 228.96 करोड़) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु European Investment Bank (EIB) को तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु Asian Development Bank (ADB) तथा New Development Bank (NDB) को Pose किया गया है।

- भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु DB Engineering and Consulting GmbH in consortium with Louis Burger SAS & Geodata Engineering S.p.A. को जनरल कंसल्टेंट चयनित किया गया है।

- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास दिनांक 26.09.2019 को एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास दिनांक 14.09.2019 को माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा किया गया।

4.2 भोपाल के लिए अनुमोदित मेट्रो परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

| कॉरिडोर | कॉरिडोर का विवरण | लगभग लम्बाई (किमी) | लगभग लागत (करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| Purple Line | करोंद चौराहा–भोपाल टॉकिज–रेल्वे स्टेशन–भारत टॉकिज–पुल बोगदा–सुभाष नगर अंडर पास–डी.बी. मॉल–बोर्ड ऑफिस चौराहा–हबीबगंज नाका–अल्कापुरी बस स्टेंड–एम्स | 14.99 | 4406.57 |
| Red Line | डिपो चौराहा–जवाहर चौक–रोशनपुरा चौराहा––मिंटो हॉल–लिली टॉकिज–जिंसी चौराहा–पुल बोगदा–प्रभात चौराहा–अप्सरा टॉकिज–गोविंदपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया–रत्नागिरी तिराहा | 12.88 | 2534.83 |
| | **कुल** | **27.87** | **6941.40** |

4.3 इंदौर के लिए अनुमोदित मेट्रो परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

| कॉरिडोर नंबर | कॉरिडोर का विवरण | लगभग लम्बाई (किमी) | लगभग लागत (करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| Yellow Line | ननोद–सुपर कॉरिडोर–भंवरसाला चौराहा–एम.आर. टेन फ्लाईओवर–विजय नगर चौराहा–रेडिसन चौराहा–बंगाली चौराहा–पलासिया चौराहा–राजवाड़ा–बड़ा गणपति–कलानी नगर–एयरपोर्ट–ननोद | 31.53 | 7500.80 |
| | **कुल** | **31.53** | **7500.80** |

4.4 स्वीकृति के अनुसार परियोजना का वित्त पोषण निम्नवत होगा :–

| स. क्र. | परियोजना का नाम | कुल लागत | विभिन्न संस्थाओं का अंशदान/योगदान | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भारत सरकार | राज्य सरकार/ MPMRCL (यथा प्रयोज्य) | बाह्य एजेंसी | |
| 1. | भोपाल मेट्रो रेल परियोजना | रू. 6941.40 करोड़ | रू. 1164.44 करोड़ | रू. 1843.62 करोड़ | रू. 3493.34 करोड़ (EIB ऋण) | रू. 440.00 करोड़ PPP Component |
| 2. | इंदौर मेट्रो रेल परियोजना | रू. 7500.80 करोड़ | रू. 1276.36 करोड़ | रू. 1955.33 करोड़ | रू. 3200.00 करोड़ (ADB एवं NDB ऋण) | रू. 440.00 करोड़ PPP Component |

## 5 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

5.1. प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई है।

5.2. मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम का मंत्रि–परिषद से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में अवैध होर्डिंग हटाये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.3. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2019 बनाई गई है। उक्त नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन, मोटर व्हीकल टैक्स, पार्किंग शुल्क इत्यादि में रियायत प्रदान की जायेगी।

5.4. प्रदेश के 04 जेएनएनयूआरएम मिशन शहरों यथा– भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन में Organized City बस सेवा संचालित है।

5.5. प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में प्रथम चरण में 20 शहरों में से 15 शहरों (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, सिंगरौली एवं छिंदवाड़ा) में शहरी एवं अंर्तशहरी मार्गो पर क्रमशः 378 बसे एवं 440 बसों (कुल–818 बसें) के संचालन हेतु निविदाएँ प्राप्त हुई है जिसमें से 325 शहरी एवं 284 अंर्तशहरी बसों के संचालन की कार्यवाही की जा रही है।

5.6. प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में द्वितिय चरण में प्रदेश के 04 बड़े शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं उज्जैन) में 1130 बसों के संचालन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। सफल निविदाकार का चयन दिनांक 15 मार्च, 2020 तक कर लिया जायेगा।

5.7. FAME-I योजनान्तर्गत इंदौर शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है एवं राज्य के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए 340 इलेक्ट्रिक बसों (इंदौर–100, भोपाल–100, जबलपुर–50, उज्जैन–50 एवं ग्वालियर–40) का संचालन किया जाना है। सफल निविदाकार का चयन किया जा चुका है। अनुबंध की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.8. प्रदेश में महिलाओं की आय बढाने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 100 ई–रिक्शा का संचालन नगरीय निकाय, इंदौर में सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों द्वारा प्रति माह 16 से 20 हजार आय अर्जित की जा रही है। प्रदेश की शेष 15 नगरीय निकायों में ई–रिक्शा संचालन हेतु प्रक्रिया प्रचलन में है।

5.9. प्रदेश सरकार के वचन पत्र में वर्णित बिन्दु क्रमांक 31.7 **'नगरों की पार्किंग व्यवस्था शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समिति को देगें'** को मध्यप्रदेश पार्किंग नियम में समाहित किया गया है।

5.10. DUTF में जो राशि जारी की गई है, उस राशि के विरूद्ध फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, बस टर्मिनल, बस स्टेण्ड, पार्किंग, लोक परिवहन एवं यातायात को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार–प्रसार, आधुनिक तकनीकी संस्थापन जैसे– सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, जी.पी.एस., ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, फुटपॉथ निर्माण आदि कार्य किये जा रहे है।

5.11. प्रदेश के 20 शहरों में अमृत योजना अन्तर्गत बस सेवा संचालन के द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ITMS उपकरण ( GPS, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सूचना के लिए पैनिक बटन इत्यादि) लगें होंगे एवं कन्ट्रौल कमाण्ड सेंटर द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। यात्री बस की टिकट ऑनलाईन माध्यम से भी खरीद सकेंगे, जिसके लिए विभाग द्वारा वेबसाईट एवं मोबाईल एप बनाने का कार्य प्रस्तावित है।

5.12. नगरीय निकायों के अधिनस्त बस स्टेण्डों पर रेलवे की भाति बसों के आने–जाने की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है।

5.13. वर्ष–2019 में चिन्हित 15 ब्लैक स्पॉटों के परिशोधन की कार्यवाही की गई।

## 6 शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार योजना'' लागू की गई है, जिसे परियोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 12.12.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्वि–प्रविष्टी लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना। | वर्तमान में कुल 154 निकायों में संभूति आधारित द्वि–प्रविष्टी लेखा प्रणाली का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 187 निकायों में कार्य प्रगति पर है एवं शेष 37 निकायों के कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है। |
| 2. | जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना। | 1. जी.आई.एस. आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत सभी 244 नगरीय निकायों का आधार मानचित्र कार्य पूर्ण तथा 244 नगरीय निकायों में से ही 73 नगरीय निकायों का सम्पत्ति सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना अनुश्रण हेतु मैपआईटी, भोपाल की सहायता से वेब पोर्टल तैयार किया गया है।<br>2. शेष 119 नगरीय निकायों के जी.आई.एस. आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाकर कार्य प्रगति पर है। |

## 7 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है। तद्नुसार राजस्व संग्रहण के लिये प्रथम पाँच नगर निगमों, 10 नगरपालिका परिषद् एवं 10 नगर परिषदों को प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किये जा रहे हैं।

## (इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

### 1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लिये संचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जा रहा है। साथ ही नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 15448 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 20.18 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1733 प्रकरण निराकृत किये गये, जिसमें उपदान के रूप में रूपये 41.58 करोड़ का भुगतान किया गया। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 252.00 करोड़ का व्यय हुआ।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से नियमित रूप से पेंशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही दिनांक 31.12.2014 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भारतीय स्टेट बैंक की गोविंदपुरा, भोपाल स्थित केन्द्रीयकृत प्रक्रिया इकाई के माध्यम से पेंशन का वितरण किया जा रहा है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

## 2. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गई है।

2.2 योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों/ नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर परिषदों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं।

2.3 अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों को आवंटित DDO Registration Number के अंतर्गत NSDL मुम्बई द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को Permanent Retirement Account Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1210 अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित किये गये एवं योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 8445 कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं। जिन कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उनके संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके Data & Fund NSDL/NPS Trust को अंतरित किये जा रहे हैं।

## 3. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

3.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/ कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार हैः–

| अधिकारी/ कर्मचारी की श्रेणी | यूनिट की संख्या | यूनिट का मूल्य | अंशदान की राशि | बीमा मूल्य | बीमा धन | बचत राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| चतुर्थ श्रेणी | 1 | 100 | 100 | 1,25,000 | 35 | 65 |
| तृतीय श्रेणी | 2 | 100 | 200 | 2,50,000 | 70 | 130 |
| द्वितीय श्रेणी | 4 | 100 | 400 | 5,00,000 | 140 | 260 |
| प्रथम श्रेणी | 6 | 100 | 600 | 7,50,000 | 210 | 390 |

3.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजना के अंतर्गत कुल 771 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 4.65 करोड़ का भुगतान किया गया।

**4. सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, 1988**

4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

4.2 वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रू. 1,00,000.00 सफाई कर्मचारियों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

4.3 वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 48 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 24.00 लाख का भुगतान किया गया।

## भाग–चार

## अन्य प्रशासनिक विषय

**1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम**

1.1 74$^{वें}$ संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिये विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान की स्थापना वर्ष 2013 में की गई है। साथ ही संस्थान का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दिनांक 12.09.2013 को किया गया है।

1.2 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजा भोज अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप भौंरी, वार्ड क्र.3, जोन क्र. 1, भोपाल नगर निगम क्षेत्र में प्रदान की गयी है। वर्तमान में संस्थान को आवंटित की गयी भूमि पर प्रशिक्षण एवं आवासीय भवनों के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

1.3 राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान ''अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट'' (UDI) नाम से विकसित किये जाने की कार्यवाही भी प्रचलित है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेन्स (CUG) की स्थापना के दृष्टिगत अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के साथ दिनांक 21 फरवरी, 2019 को एमओयू (MoU) किया गया है। इस क्रम में ''अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट'' (UDI) की स्थापना हेतु मंत्री–परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीयन एवं संस्थान के गठन संबंधी प्रशासनिक कार्यवाही गतिशील है। तदुपरान्त AIGGPA संस्थान अंतर्गत गठित कोर ग्रुप ऑफ एक्सपर्टस (CGE) की द्वितीय बैठक दिनांक 11.04.2019 द्वारा राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान (NIGUM) का नाम संशोधित किया जाकर अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (UDI) के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है एवं तद्नुरूप संशोधित मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (MOA) अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है।

1.3.1 AIGGPA संस्थान द्वारा विभाग के अंतर्गत नगरीय निकायों में पदस्थ नवनियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर प्रथम बैच का दो सप्ताह की अवधि का विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 21 नवम्बर, 2019 से 03 दिसंबर, 2019 की अवधि में आयोजित किया गया है। शेष लगभग 150 नवनियुक्त एवं पदोन्नत मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये कार्यवाही प्रचलित है।

1.4 संस्थान द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, नवनियुक्त लोकसेवकों, पूर्व से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नगरीय विकास से सरोकार रखने वाली सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वसहायता समूहों के लिये व्यवस्थित उन्मुखीकरण, परिचयात्मक एवं आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाता है।

1.5 संस्थान द्वारा स्थानीय सहयोगी प्रशिक्षण संस्थाओं यथा – आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, आपदा प्रबंधन संस्थान एवं अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान भोपाल के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित रहे प्रतिभागियों का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. | संवर्ग (प्रतिभागियों का स्तर) | प्रशिक्षण की संख्या | प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | नव निर्वाचित जन प्रतिनिधि | 5 | 244 |
| 2. | नव नियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी | 3 | 90 |
| 3. | आयुक्त एवं प्रशासकीय अधिकारी | 4 | 212 |
| 4. | सहायक यंत्री | 1 | 34 |
| 5. | उपयंत्री एवं अन्य तकनीकी अधिकारी | 6 | 394 |
| 6. | सहायक लेखाधिकारी | 2 | 65 |
| 7. | नव नियुक्त स्वच्छता निरीक्षक | 1 | 37 |
| 8. | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 1 | 07 |
| | | **23** | **1083** |

1.6 उपरोक्त प्रशिक्षणों में भारत सरकार द्वारा एकीकृत क्षमता संवर्धन परियोजना अंतर्गत अनुबंधित राष्ट्रीय संस्थानों में आयोजित कुल 15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संचालनालय, नगरीय निकायों, संभागीय कार्यालयों, जिला शहरी विकास अभिकरण में पदस्थ कुल 417 प्रतिभागियों के नामांकन किये जाकर प्रशिक्षित किया गया है।

1.7 पूर्व वर्ष की भॉति राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान द्वारा वर्ष 2020–21 के लिये विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए लगभग 3000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है। इस वर्ष के प्रशिक्षण पंचाग में नवनियुक्त लोकसेवकों एवं नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने की कार्ययोजना है।

## 2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

## 3. ई–नगर पालिका

3.1 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS) के सफल क्रियान्वयन को देखते हुये विभाग द्वारा समस्त 378 नगरीय निकायों में ERP आधारित ई–नगर पालिका एप्लीकेशन का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों को एक ही एप्लीकेशन पर लाया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों के द्वारा प्रदत्त समस्त नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नागरिक मोबाईल एप द्वारा भी समस्त नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे निकायों में नागरिक सेवाओं की पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ी है।

3.2 नगरीय निकायों की आंतरिक व्यवस्था को भी ई–नगर पालिका अंतर्गत सम्पूर्ण रूप से कम्प्युटराईज्ड किया गया है। समस्त प्रकार के भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किये जाने के प्रावधान को अनिवार्य कर, समस्त भुगतान नेटबैंकिंग द्वारा किये जाने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाकर कैशलेस अर्थव्यवस्था एवं डिजीटल इंडिया हेतु व्यापक योगदान दिया जा रहा है। समस्त निकायों में नागरिकों को सुगमता एवं सरलता से सेवा प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन भुगतान के समस्त मोड्स एवं पीओएस मशीन की सुविधा को ई–नगरपालिका से जोड़ा गया है।

3.3 नगरीय निकायों में पारदर्शिता को बढ़ाये जाने हेतु समस्त बजट एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों को ई–नगरपालिका में एकीकृत कर, अब संचालनालय स्तर से निकायों को दी जाने वाली अनुदानों का भुगतान भी ई–नगरपालिका के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार ई–नगरपालिका बेहतर बजटिंग द्वारा कार्य कुशल ई–गवर्नेंस का अनूठा उदाहरण है।

3.4 निकाय अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारीयों के डेटा को कम्प्यूटराईज्ड किया गया है तथा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान ई–नगरपालिका द्वारा ही किया जा रहा है।

## 4. ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS)

4.1 मध्यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों में यूनिफार्म एवं पारदर्शी तरीके से भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु ऑटोमेंटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम लागू किया गया है। ऑटोमेंटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम के अंतर्गत निकाय कार्यालय में उपस्थित हुये बिना ही भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन ऑनलाईन स्वीकृत किये जाते हैं एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के प्रोसेस की जाती है यहां तक कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण के समय भी मोबाईल एप द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर, सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है। दिनांक 01.04.2019 से अब तक कुल 106781 भवन अनुज्ञा स्वीकृत की गई है।

4.2 मध्यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों में भूमि विकास नियम में दिये गये प्रावधानों अनुसार ऑनलाईन कम्पाउन्डिग (प्रशमन) लागू किया गया है। ऑनलाईन कम्पाउन्डिग प्रणाली में शुल्क भी सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है एवं शुल्क भुगतान के लिए सभी ऑनलाईन भुगतान विकल्प का उपयोग किया जाता है।

4.3 ऑटोमेंटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र पूर्णतः ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

4.4 भवन अनुज्ञा के लिए अनिवार्य दस्तावेजो की संख्या को 16 से घटाकर 5 और साइट निरीक्षण चेकलिस्ट बिंदुओं को भी 43 से घटाकर 26 कर दिया गया है।

4.5 फीस मेमो सिस्टम द्वारा स्वतः ही शुल्क जनरेट किया जाता है तथा शुल्क भुगतान हेतु समस्त प्रकार के ऑनलाईन माध्यम स्वीकार किये जाते है।

4.6 प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूमि में वास्तुकार को भवन अनुज्ञा जारी किये जाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

## 5. वीडियो कांफ्रेसिंग

5.1 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

## 6. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर

6.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को मुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

6.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनों की बचत हुई है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है। वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है।

———————

# संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

## भाग – एक

### 1.1 विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वर्तमान में ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल में स्वयं के भवन में दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना होता है एवं एक नियमित अंतराल पर उस विकास योजना का नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है। इस कार्य को संपादित करने के लिये विभाग की वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः–

### 1.2 अधीनस्थ कार्यालय

वर्ष 1999 में जिला सरकार की अवधारणा एवं वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन होने के पश्चात संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में तब्दील किया गया, जिसके अनुसार वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 28 जिला कार्यालय, जिसमें 7 संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, 10 उप संचालक कार्यालय– होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, रतलाम सिंगरौली शहडोल, खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना एवं 11 सहायक संचालक कार्यालय– बैतूल, राजगढ़, विदिशा, कटनी, मण्डला, भिण्ड, छतरपुर, झाबुआ, अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन वर्तमान में कार्यरत है ।

### 1.3 अमला

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है–**

| स.क्र | पदनाम | श्रेणी | स्वीकृत पद |
|---|---|---|---|
| 1. | आयुक्त सह संचालक/ संचालक | भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (प्रथम श्रेणी) | 01 |
| 2. | अपर संचालक | प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी ) | 02 |
| 3. | संयुक्त संचालक | प्रथम श्रेणी अधिकारी ( नियोजन में योग्यताधारी ) | 11 |
| 4. | उप संचालक(नियोजन) | प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी ) | 15 |
| 5. | उप संचालक(सर्वे) | प्रथम श्रेणी अधिकारी (सर्वे में योग्यताधारी ) | 02 |
| 6. | उप संचालक(रिसर्च) | प्रथम श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी ) | 01 |
| 7. | उप संचालक(स्था) | प्रथम श्रेणी अधिकारी (विभागीय सेवा ) | 01 |
| 8. | सहायक संचालक(योजना) | द्वितीय श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी ) | 26 |
| 9. | सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट) | द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सर्वे/प्रोजेक्ट में योग्यताधारी) | 07 |
| 10. | सहायक संचालक (रिसर्च) | द्वितीय श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी ) | 05 |
| 11. | सहायक संचालक(स्था) | द्वितीय श्रेणी (विभागीय सेवा) | 01 |
| 12. | लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से) | प्रथम श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का) | 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.** | कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से) | द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का) | 01 |
| **14.** | संपरीक्षक(आडीटर) (प्रतिनियुक्ति से) | द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का) | 01 |
| **15.** | सूचना प्रोद्योगिक अधिकारी(प्रोग्रामर) | संविदा सेवा पर | 01 |
| **16.** | सहायक सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी | संविदा सेवा पर | 02 |
| **17.** | मानचित्रकार | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 45 |
| **18.** | सहायक मानचित्रकार | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 50 |
| **19.** | अनुरेखक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 73 |
| **20** | उपयंत्री | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 40 |
| **21.** | वरिष्ठ भू–मापक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 21 |
| **22.** | कनिष्ठ भू–मापक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 30 |
| **23.** | वरिष्ठ रिसर्च सहायक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 13 |
| **24.** | रिसर्च सहायक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 13 |
| **25.** | अन्वेषक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 26 |
| **26.** | स्टेनोग्राफर ग्रेड–1 (स्टाफ आफिसर) | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 02 |
| **27.** | स्टेनोग्राफर ग्रेड–2 (निज सचिव) | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 04 |
| **28.** | स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (निज सहायक) | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 11 |
| **29.** | स्टेनो टायपिस्ट | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 22 |
| **30.** | अधीक्षक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 10 |
| **31.** | सहायक अधीक्षक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 10 |
| **32.** | सहायक ग्रेड–1 | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 25 |
| **33.** | सहायक ग्रेड–2 | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 46 |
| **34.** | सहायक ग्रेड–3 | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 66 |
| **35.** | स्टोर कीपर | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 10 |
| **36.** | कोडर/केड आपरेटर/ फोटोग्राफर/ मॉडलर /सहा. मॉडलर/ कलाकार/ नीलमुद्रक के पदो को डाइंग केडर घोषित कर इनकी सेवा निवृत्ति के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के नवीन पद | डाईंग केडर घोषित होने के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवा नियुक्ति | 41 |
| **37.** | ग्रन्थपाल | तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 01 |
| **38.** | वाहन चालक | तृतीय श्रेणी कर्मचारी–12<br>संविदा पर –09 | 21 |
| **39.** | दफ्तरी | चतुर्थ श्रेणी | 13 |
| **40.** | प्रेसमेन | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 02 |
| **41** | चौकीदार | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **42.** | भृत्य | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–57<br>संविदा सेवा पर–41 | 98 |
| **43.** | चैनमैन | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–28<br>संविदा सेवा पर–06 | 34 |
| **44.** | वाटरमैन | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1 |
| **45.** | स्वीपर | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1 |

उल्लेखनीय है, कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2012 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत 525 पदो के स्थान पर 836 पद स्वीकृत किये गये हैं।

### 1.4 विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायें

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है। जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

| नगर विकास प्राधिकारी | | विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी | |
|---|---|---|---|
| 1 | भोपाल विकास प्राधिकरण | 1 | ग्वालियर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट) |
| 2 | इंदौर विकास प्राधिकरण | 2 | पचमढ़ी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
| 3 | ग्वालियर विकास प्राधिकरण | 3 | खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
| 4 | जबलपुर विकास प्राधिकरण | 4 | महेश्वर–मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
| 5 | उज्जैन विकास प्राधिकरण | 5 | ओरछा, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
| 6 | देवास विकास प्राधिकरण | 6 | चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
| 7 | रतलाम विकास प्राधिकरण | | |
| 8 | कटनी विकास प्राधिकरण | | |
| 9 | अमरकंटक विकास प्राधिकरण | | |
| 10 | सिंगरौली विकास प्राधिकरण | | |

## 2. संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व

**2.1** संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

**2.2** **प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना –** मध्य प्रदेश राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की प्रादेशिक विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर प्रकाशित की जा चुकी हैं एवं भोपाल केपीटल रीजन (रीजनल प्लान) 1:50,000 पर तैयार किया गया है, तथा ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन की प्रादेशिक योजना का कार्य आई.टी.पी.आई. द्वारा किया गया है। इन्दौर एग्रो रीजन की योजना तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना को योजना क्रमांक 2621–विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण के साथ समाहित किया गया है।

2.3 **नगर विकास योजना तैयार करना** – राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 97 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिसमें से 88 विकास योजनायें अंगीकृत की गई हैं :–

| क्र. | नगर का नाम | प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि | विकास योजना अनुमोदन की तिथि | कियान्वयन संस्था | योजना कालावधि | नगर का स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. |
| 1 | इंदौर | 10.06.1974 | 01.03.1975 | विकास प्राधि. | 1991 | जिला मुख्यालय |
| 2 | भोपाल | 19.11.1974 | 25.08.1975 | विकास प्राधि. | 1991 | जिला मुख्यालय |
| 3 | उज्जैन | 20.05.1975 | 28.10.1975 | विकास प्राधि. | 1991 | जिला मुख्यालय/ धार्मिक |
| 4 | खजुराहो | 26.10.1975 | 11.10.1977 | नगर पंचायत | 1991 | पर्यटक |
| 5 | जबलपुर | 26.08.1977 | 28.09.1979 | विकास प्राधि. | 1991 | जिला मुख्यालय |
| 6 | ग्वालियर | 09.03.1979 | 21.10.1980 | विकास प्राधि. | 1991 | जिला मुख्यालय/ पर्यटक |
| 7 | देवास | 04.09.1979 | 10.03.1986 | विकास प्राधि. | 1991 | जिला मुख्यालय/ औद्योगिक |
| 8 | शिवपुरी | 25.04.1987 | 05.08.1988 | नगर पालिका | 2001 | जिला मुख्यालय/ पर्यटक |
| 9 | चंदेरी | 27.06.1987 | 24.01.1989 | नगरपालिका | 2001 | पर्यटक/ हथकरघा औघोगिक |
| 10 | रतलाम | 24.06.1985 | 28.05.1990 | नगर निगम | 2001 | जिला मुख्यालय/ औद्योगिक |
| 11 | रीवा | 28.03.1987 | 27.11.1990 | नगर निगम | 2001 | जिला मुख्यालय |
| 12 | सतना | 29.08.1986 | 18.04.1991 | नगर निगम | 2001 | जिला मुख्यालय /औघोगिक |
| 13 | बुरहानपुर | 26.02.1993 | 08.06.1995 | नगर निगम | 2005 | जिला मुख्यालय/ हथ करघा औघोगिक |
| 14 | नव हरसूद | 23.01.1995 | 14.02.1997 | साडा | 2011 | तहसील मुख्यालय |
| 15 | दमोह | 04.07.1994 | 19.03.1998 | नगर पालिका | 2005 | जिला मुख्यालय |
| 16 | चित्रकूट | 06.09.1994 | 03.08.1998 | नगर पंचायत | 2005 | पवित्र/धार्मिक |
| 17 | बीना | 15.04.1999 | 14.01.2000 | नगरपालिका | 2011 | तहसील मुख्यालय/ औघोगिक |
| 18 | सागर | 05.06.1999 | 03.03.2000 | नगर निगम | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 19 | सांची | 01.11.1999 | 11.07.2000 | नगर पंचायत | 2011 | पर्यटक |
| 20 | नीमच | 25.10.1999 | 05.07.2000 | नगर पालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 21 | पन्ना | 21.10.1999 | 17.05.2000 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 22 | ग्वालियर साडा | 22.10.1999 | 24.04.2000 | साडा | 2011 | साडा |
| 23 | इटारसी | 22.02.2000 | 09.03.2001 | नगरपालिका | 2011 | तहसील मुख्यालय |
| 24 | खण्डवा | 29.02.2000 | 09.03.2001 | नगर निगम | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 25 | मैहर | 18.09.2000 | 31.08.2001 | नगरपालिका | 2011 | पवित्र/धार्मिक |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | मांडव | 24.01.2001 | 02.11.2001 | नगर पंचायत | 2011 | पर्यटक |
| 27 | छिंदवाड़ा | 14.02.2001 | 09.08.2002 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 28 | शहडोल | 22.01.2001 | 05.12.2002 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 29 | खरगौन | 16.03.2002 | 05.12.2002 | नगर पालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 30 | जावरा | 25.03.2002 | 16.12.2002 | नगर पालिका | 2011 | तहसील मुख्यालय |
| 31 | विदिशा | 10.08.2001 | 21.01.2003 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 32 | मंदसौर | 29.09.2002 | 12.05.2003 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 33 | पाण्ढुर्ना | 21.01.2003 | 29.08.2003 | नगरपालिका | 2011 | तहसील मुख्यालय |
| 34 | गुना | 29.03.2003 | 29.08.2003 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 35 | झाबुआ | 05.05.2003 | 10.10.2003 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 36 | सीहोर | 27.06.2001 | 31.05.2004 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 37 | भिण्ड | 04.09.2003 | 28.05.2004 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 38 | टीकमगढ़ | 28.02.2004 | 17.12.2004 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 39 | सिहोरा | 23.06.2004 | 28.01.2005 | नगरपालिका | 2011 | तहसील |
| 40 | बड़वानी | 06.07.2004 | 17.12.2004 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 41 | सिंगरौली | 20.08.2004 | 20.05.2005 | नगर निगम | 2011 | जिला मुख्यालय/ माइनिंग |
| 42 | अमरकंटक | 30.10.2004 | 20.05.2005 | नगर पंचायत | 2015 | पवित्र नगर/ धार्मिक |
| 43 | बैतूल | 10.12.2004 | 30.08.2005 | नगरपालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 44 | महेश्वर | 22.03.2005 | 12.09.2005 | नगर पंचायत | 2015 | पवित्र नगर/ धार्मिक |
| 45 | होशंगाबाद | 27.04.2005 | 03.02.2006 | नगर पालिका | 2011 | जिला मुख्यालय |
| 46 | बालाघाट | 29.06.2005 | 26.05.2006 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 47 | शाजापुर | 06.09.2005 | 12.05.2006 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 48 | ओंकारेश्वर | 18.11.2005 | 11.08.2006 | नगर पंचायत | 2021 | पवित्र नगर/ धार्मिक |
| 49. | राजगढ़ | 16.01.2006 | 11.08.2006 | नगर पंचायत | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 50. | उमरिया | 18.03.2006 | 09.03.2007 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय/ माइनिंग |
| 51. | मण्डला | 31.05.2006 | 09.03.2007 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय/ पवित्रनगर |
| 52. | ओरछा | 03.08.2002 | 18.05.2007 | नगर पंचायत | 2011 | पवित्र नगर |
| 53. | सीधी | 25.09.2006 | 17.09.2008 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 54 | छतरपुर | 15.02.2007 | 17.09.2008 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 55 | अशोकनगर | 30.06.2007 | 04.10.2008 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 56 | अलीराजपुर | 30.08.2007 | 04.10.2008 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 57 | दतिया | 05.01.2008 | 04.10.2008 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 58 | रायसेन | 21.01.2008 | 04.10.2008 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 59. | मुरैना | 28.03.2008 | 04.10.2008 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 60. | हरदा | 27.03.2006 | 08.10.2008 | नगरपालिका | 2015 | जिला मुख्यालय |
| 61 | बैरसिया | 29.07.2006 | 08.10.2008 | नगर पंचायत | 2011 | तहसील |
| 62. | सिवनी | 14.08.2007 | 08.10.2008 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 63. | कटनी | 31.03.2006 | 19.06.2009 | नगरनिगम | 2021 | जिला मुख्यालय/ औद्योगिक |
| 64. | अनूपपुर | 05.09.2008 | 27.06.2009 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | नरसिंहपुर | 29.07.2006 | 30.03.2010 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 66. | श्योपुर | 22.07.2008 | 16.04.2010 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 67. | धार | 12.01.2009 | 16.04.2010 | नगरपालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 68. | डबरा | 07.07.2009 | 16.04.2010 | नगरपालिका | 2021 | तहसील एवं औद्योगिक |
| 69. | मुलताई | 12.10.2009 | 04.03.2011 | नगरपालिका | 2021 | तहसील/ पवित्र नगरी |
| 70. | गोहद | 08.03.2013 | 19.09.2013 | नगर पालिका | 2031 | तहसील |
| 71. | गंजबासौदा | 10.05.2013 | 20.06.2014 | नगर पालिका | 2031 | तहसील |
| 72. | पिपरिया | 11.08.2011 | 01.08.2014 | नगरपालिका | 2021 | तहसील |
| 73. | शुजालपुर | 22.02.2014 | 27.02.2015 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 74. | सेंधवा | 22-10-2011 | 16.03.2015 | नगरपालिका | 2021 | तहसील |
| 75. | रामपुर बाघेलान | 30.03.2012 | 26.08.2015 | नगर परिषद | 2021 | तहसील |
| 76. | खुरई | 22.10.2009 | 12.02.2016 | नगरपालिका | 2021 | तहसील |
| 77. | भेड़ाघाट | 15.09.2011 | 16.09.2016 | नगर पंचायत | 2021 | तहसील |
| 78. | बांधवगढ | 17.09.2012 | 16.09.2016 | नगर पंचायत | 2031 | पर्यटक स्थल |
| 79. | हनुवंतिया | 21.04.2016 | 08.12.2016 | नगर पंचायत | 2035 | पर्यटक |
| 80. | आगर मालवा | 29.01.2015 | 27.03.2017 | नगर पंचायत | 2041 | जिला मुख्यालय |
| 81. | चाकघाट | 08.02.2012 | 18.08.2017 | नगर पंचायत | 2021 | तहसील |
| 82. | सलकनपुर | 23.12.2011 | 22.09.2017 | नगर पंचायत | 2021 | पवित्र नगर |
| 83. | मण्डीदीप | 24.05.2013 | 27.07.2017 | नगर पालिका | 2031 | औद्योगिक |
| 84. | नरसिंहगढ | 29.09.2006 | पुनःप्रकाशन किया जाना है | नगरपालिका | 2021 | तहसील |
| 85. | डिंडोरी | 31.07.2009 | पुनःप्रकाशन किया जाना है | नगर पालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 86. | नौगांव | 11.02.2010 | — | नगर पालिका | 2021 | तहसील |
| 87. | गरौठ | 10.08.2011 | — | नगर पंचायत | 2021 | तहसील |
| 88. | मढई | 05.10.2011 | — | नगर पंचायत | 2021 | पर्यटक |
| 89. | नागदा | 10.10.2011 | 22.6.2018 | नगर पालिका | 2021 | औद्योगिक |
| 90. | ब्यावरा | 22.12.2011 | पुनःप्रकाशन किया जाना है | नगर पालिका | 2021 | तहसील |
| 91. | सौसर | 23.12.2011 | — | नगर पालिका | 2021 | तहसील |
| 92. | आमला | 22.03.2012 | 12.10.2018 | नगर पालिका | 2021 | तहसील |
| 93. | कुक्षी | 30.03.2012 | 22.06.2018 | नगर परिषद | 2031 | तहसील |
| 94. | आलोट | 30.03.2012 | 21.09.2018 | नगर पंचायत | 2031 | तहसील |
| 95. | सिरोंज | 30.03.2012 | 09.02.2018 | नगर पालिका | 2031 | तहसील |
| 96 | आष्टा | 30.08.2006 | पुनःप्रकाशन किया जाना है | नगर पालिका | 2021 | तहसील |
| 97 | पचमढी | 11.8.1998 | पुनःप्रकाशन किया जाना है | साडा | 2011 | पर्यटक |

**2.4** **पुनरीक्षित विकास योजना** – इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत 43 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 32 विकास योजनाऐं प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है –

## पुनरीक्षित विकास योजनायें

| क्र. | नगर का नाम | प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि | विकास योजना अनुमोदन की तिथि | क्रियान्वयन संस्था | योजना कालावधि | नगर का स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. |
| 1. | भोपाल | 17.10.1994 | 09.06.1995 | विकास प्राधि. | 2005 | जिला मुख्यालय |
| 2. | खजुराहो | 04.03.1994 | 05.06.1995 | नगर पंचायत | 2011 | पर्यटक |
| 3. | ग्वालियर | 29.10.1995 | 19.03.1998 | विकास प्राधि. | 2005 | जिला मुख्यालय/ पर्यटक |
| 4. | जबलपुर, (प्रथम चक्र) | 29.12.1995 | 08.12.1998 | विकास प्राधि. | 2005 | जिला मुख्यालय |
| 5. | देवास | 18.03.2002 | 17.12.2002 | विकास प्राधि. | 2011 | जिला मुख्यालय/ औद्योगिक |
| 6. | उज्जैन | 13.08.2005 | 06.06.2006 | विकास प्राधि. | 2021 | जिला मुख्यालय/ पवित्र नगर |
| 7. | इंदौर | 13.07.2006 | 01.01.2008 | विकास प्राधि. | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 8. | जबलपुर (द्वितीय चक्र) | 09.02.2007 | 01.10.2008 | विकास प्राधि | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 9. | रीवा | 21.01.2009 | 30-03-2010 | नगर निगम | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 10. | सतना | 30.06.2009 | 30-03-2010 | नगर निगम | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 11. | बुरहानपुर | 02.07.2009 | 30-03-2010 | नगर निगम | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 12. | रतलाम | 22.10.2009 | 14-6-2013 | नगर निगम | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 13. | बैतूल | 13.01.2013 | 19-09-2013 | नगर पालिका | 2021 | जिला मुख्यालय |
| 14. | दमोह | 15.03.2013 | 19-09-2013 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 15. | होशंगाबाद | 14.06.2013 | 20-6-2014 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय एवं धार्मिक नगर |
| 16. | ग्वालियर | 12.08.2011 | 12-09-2014 | नगर निगम | 2031 | जिला मुख्यालय पर्यटक |
| 17. | मैहर | 28.02.2014 | 16-3-2015 | नगर पालिका | 2031 | धार्मिक नगर |
| 18. | सिंगरौली | 21.02.2014 | 27-3-2015 | विकास प्राधिकरण | 2031 | औद्योगिक |
| 19. | शहडोल | 28.01.2014 | 31-3-2015 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 20. | खण्डवा | 0.5.09.2012 | 11-11-2016 | नगर निगम | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 21 | सीहोर | 28.06.2014 | 11.11.2016 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 22. | इटारसी | 05.03.2015 | 28.10.2016 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | नीमच | 07.02.2014 | 27.03.2017 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 24. | ओकारेश्वर | 30.09.2016 | 02.05.2017 | नगर पंचायत | 2021 | धार्मिक नगर |
| 25 | सागर | 28.02.2014 | 28.07.2017 | नगर निगम | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 26 | टीकमगढ | 28.12.2016 | 08.09.2017 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 27 | शिवपुरी | 18.01.2011 | – | नगर पालिका | 2021 | जिला मुख्यालय पर्यटक |
| 28 | बीना | 02.12.2011 | – | नगर पालिका | 2021 | औद्योगिक |
| 29 | विदिशा | 25.01.2012 | 22.6.2018 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 30 | देवास | 09.10.2012 | 17.8.2018 | नगर निगम | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 31 | गुना | 28.02.2014 | 24.3.2018 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालीय |
| 32 | हरदा | 27.08.2015 | 22.6.2018 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 33 | पांढुर्ना | 28.12.2016 | – | नगर पालिका | 2031 | तहसील |
| 34 | माण्डव | 17.02.2017 | – | नगर परिषद | 2031 | पर्यटक नगर |
| 35 | चन्देरी | 27.02.2017 | – | नगर पालिका | 2031 | पर्यटक / हथकरघा उद्योग |
| 36 | भिण्ड | 23.03.2017 | 13.7.2018 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 37 | छिन्दवाड़ा | 31.05.2017 | – | नगर निगम | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 38 | जावरा | 22.07.2017 | – | नगर पालिका | 2031 | तहसील |
| 39 | दतिया | 02.02.2018 | 12.10.2018 | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 40 | राजगढ | 26.03.2018 | | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 41 | खरगौन | 21.01.2019 | | नगर पालिका | 2031 | जिला मुख्यालय |
| 42 | ओकारेश्वर | 01.10.2019 | | नगर परिषद | 2031 | अमृत नगर |
| 43 | खजुराहो | 01.11.2019 | | नगर परिषद | 2031 | पर्यटक नगर |

## 3. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व

**3.1** नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।

**3.2** नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।

**3.3** नव गठित विकास प्राधिकरणों को स्वीकृत अनुदान की राशि को मुक्त कर उपयोगिता प्रमाण पत्रों की शासन एवं महालेखाकार, ग्वालियर को भेजना।

**3.4** मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं भूमि विकास नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन संस्थाओं से अनाधिकृत विकास पर नियंत्रण करवाना।

## 4. अन्य दायित्व

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना। संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके। भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है।

## 4.1 विशेषतायें

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं ।

## 4.2 बेबसाईट प्रदर्शन

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in / www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 आदि भी शामिल किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर के साथ–साथ संचालनालय से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों, विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है।

## 4.3 महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

| क्रमांक | गतिविधियां | उपलब्धि (नगर) |
|---|---|---|
| 1 | निवेश क्षेत्र का गठन | 160 |
| 2 | विशेष क्षेत्र का गठन | 06 |
| 3 | भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन | 105 |
| 4 | विकास येाजना प्रकाशित / प्रभावशील | 97 / 88 |
| 5 | जिला मुख्यालय नगर / विकास योजना प्रकाशित | 52 / 51 |
| 6 | पुनरिक्षित विकास योजना प्रकाशित / प्रभावशील | 40 / 32 |
| 7 | मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील | 145 |
| 8 | नगर विकास प्राधिकरण | 10 |
| 9 | विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | 6 |

नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 97 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की लगभग 77 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

भारत सरकार की अमृत योजना के उपयोग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के 34 अमृत नगरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार की जा रही है ।

# भाग – दो

## 1. बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :–

| वर्ष | आयोजना बजट आवंटन (लाख रूपये में) | व्यय (लाख रूपये में) |
|---|---|---|
| 2019–20 | 233.00 | 88.22 |

## भाग – तीन

1. **राज्य प्रवर्तित योजना :** विगत तीन वर्षो की उपलब्धि

| क्र | योजना का नाम | वर्ष | भौतिक | | वित्तीय (रू.लाख में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1. | 2621 विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण | 2017–18 | 12 नगर | 6 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित<br>2 नगरों की योजना प्रगति पर<br>8 नगरों की विकास योजना शासन से अनुमोदित | 129.00 | 105.00 |
| | | 2018–19 | 12 नगर | 1 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित<br>3 नगरों की योजना प्रगति पर<br>5 नगरों की विकास योजना शासन से अनुमोदित | 259.00 | 118.00<br>व्यय कम होने का मुख्य करण यह रहा है कि इस योजना में योजना क्रमांक 6754 को भी समाहित किया गया है जिसकी राशि विभाग को माह नवम्बर–18 में प्राप्त हुई |
| | | 2019–20<br>8 कार्या./8 नगर<br>(31 दिसम्बर 2019 तक) | 12 नगर | 1 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित ।<br>9 नगरों की योजना अंतिम चरण में है । | 233.00 | 88.22 लाख<br>(इस योजना में स्टेशनरी मद में आवंटित 97 लाख को व्यवसायिक मद में पुनर्विनियोजन नही होने के कारण व्यय में कमी आई है ।) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अमृत योजना के अन्तर्गत 34 नगरों के जी. आई.एस. वेस मास्टर प्लान तैयार करना | वित्तीय वर्ष 2019–20 में 34 नगरों की जी.आई. एस. वेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है | 34 नगर | एन.आर.एस.सी हैदराबाद द्वारा 29 नगरों का जी. आई.एस. डेटा प्राप्त हो गया है जिसमें से 22 नगरों के जी.आई.एस.डेटा का भौतिक सत्यापन एवं पुनरीक्षण कर एन.आर.एस. सी., हैदराबाद को प्रेषित किया जा चुका है। 7 नगरों के फाईनल बेसमैप एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त हो गये है जिसमें से पांच नगरों की प्रारूप विकास योजना अमृत योजना की मार्गदर्शिका में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार तैयार की गई है। जिसमें से ओंकारेश्वर विकास योजना का प्रारूप प्रकाशन हो चुका है एवं डबरा विकास योजना प्रकाशन हेतु कार्यवाही अंतिम चरण में है तथा बैतूल विकास योजनाा का प्रारूप प्रकाशन हेतु तैयार है। | 546.00 लाख | 545.82 लाख |

**टीपः–** सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके समस्त 28 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस योजना हेतु शासन द्वारा म0प्र0 विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया हैं। राज्य नगर नियोजन संस्था (सिटोप) द्वारा 4 नगरों की बेव बेस्ड जी आई एस एप्लीकेशन तैयार की जाकर प्रचलन में है। इसके साथ ही आम जनता की सुविधा को देखते हुए सायबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑन लाईन शुल्क जमा कराया जाकर सभी अनुमतियॉ ऑन लाईन जमा करने के साफ्टवेयर विकसित किये गये हैं ।

Geo t&cp साईट पर वर्तमान में 16 नगरों (आमला, गंजबासौदा, गुना, गोहद, दमोह, नागदा, नीमच, बैतूल, बांधवगढ, भेड़ाघाट, मैहर, शुजालपुर, शहडोल, सेंधवा, होशंगाबाद एवं इटारसी) में ऑनलाईन भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र प्रदान करने की व्यवस्था प्रचलन में है ।

## 1. वर्ष 2019–2020 (दिसम्बर 2019 तक) की उपलब्धियॉ

### भौतिक उपलब्धियॉ

| | | |
|---|---|---|
| (अ) | प्रारुप विकास योजना प्रकाशित (3 नगर) | 1. खरगौन , ओंकारेश्वर, खजुराहो |
| (ब) | प्रारूप विकास योजना प्रगति पर (9 नगर) | 1. भिण्ड, 2. डबरा, 3. बैतूल, 4. मंदसौर 5. झाबुआ, 6. अमरकंटक, 7. बैरसिया 8. भोपाल, 9. उज्जैन |

## भाग – चार

## 1 न्यायालयीन कार्यों की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2019 की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 76 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये जिसमें से 70 प्रकरणो में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये, तथा 8 प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जिसमें से 2 प्रकरणों में निर्णय पारित हो चुका है।

### 1.1 प्रशासकीय गतिविधियॉ

(अ) सीधी भरती के 12 अधिकारियों 4 कर्मचारियों की नियुक्ति एवं 3 कर्मचारी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है।

(ब) कुल स्वीकृत 836 पदों के विरूद्ध 420 पद भरे हुए है जिसमें 441 पद रिक्त है।

### 1.2 विधायी से संबंधित कार्यकलाप

**1.2.1** विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है ।

**1.2.2** इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है ।

### 1.2.3 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम नियम /नियम में संशोधन

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं ।

1. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 की धारा 16 के उपनियम 1 में (1),(2) एवं (3) नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में संशोधन किया गया है ।
2. म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 2 में संशोधन किया गया।
3. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 में संशोधन किया गया ।
4. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 38 में संशोधन किया गया ।
5. म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 49 में संशोधन किया गया।
6. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 में संशोधन किया गया ।
7. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50(क) में संशोधन किया गया।
8. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 56 में संशोधन किया गया।
9. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 59 में संशोधन किया गया ।

10. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 60 में संशोधन किया गया।
11. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 78 में संशोधन किया गया।
12. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 85 में संशोधन किया गया।
13. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 87 में संशोधन किया गया।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 कें नियम 17, 48, 53, नियम 53 (4)(ख) की टिप्पणी (3) 61, 86 एवं 93 में संशोधन के प्रस्ताव शासन को प्रेषित ।
15. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 अन्तर्गत व्यावसायिक भवन हेतु उर्जा संरक्षरण भवन संहित एवं नियम की अधिसूचना के प्रस्ताव शासन को प्रेषित ।
16. एफ.ए.आर.10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक किये जाने के प्रस्ताव शासन को प्रेषित।
17. मैरिज गार्डन /विवाह स्थल की उपविधि बनाने के प्रस्ताव शासन को प्रेषित ।
18. म.प्र. औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि विकास नियम के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 48 में अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव शासन को प्रेषित ।
19. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17–क(1) तथा 18(3) में संशोधन के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये ।
20. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्य करण ) अधिनियम 2017 एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 में संशोधन बाबत धारा 2, 17, 40, 48, 49, 50, 56, 59 एवं 60

## भाग – पांच

### 1. प्रकाशन

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

## भाग – छः

### 1. राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 98 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 23 प्रतिशत है।

## भाग – सात

### 1. सारांश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 160 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 105 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है। 97 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें से 88 विकास योजनाएं अंगीकृत है। 42 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 32 नगरो की योजनाऐं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी है । वर्तमान में भारत सरकार की अमृत योजना की उपयोजना में प्रदेश के 34 अमृत शहरों के GIS आधारित विकास योजना (नवीन/पुनरीक्षित) बनाने का कार्य प्रगति पर है।

———

# राजधानी परियोजना प्रशासन

## भाग – एक

## संरचना

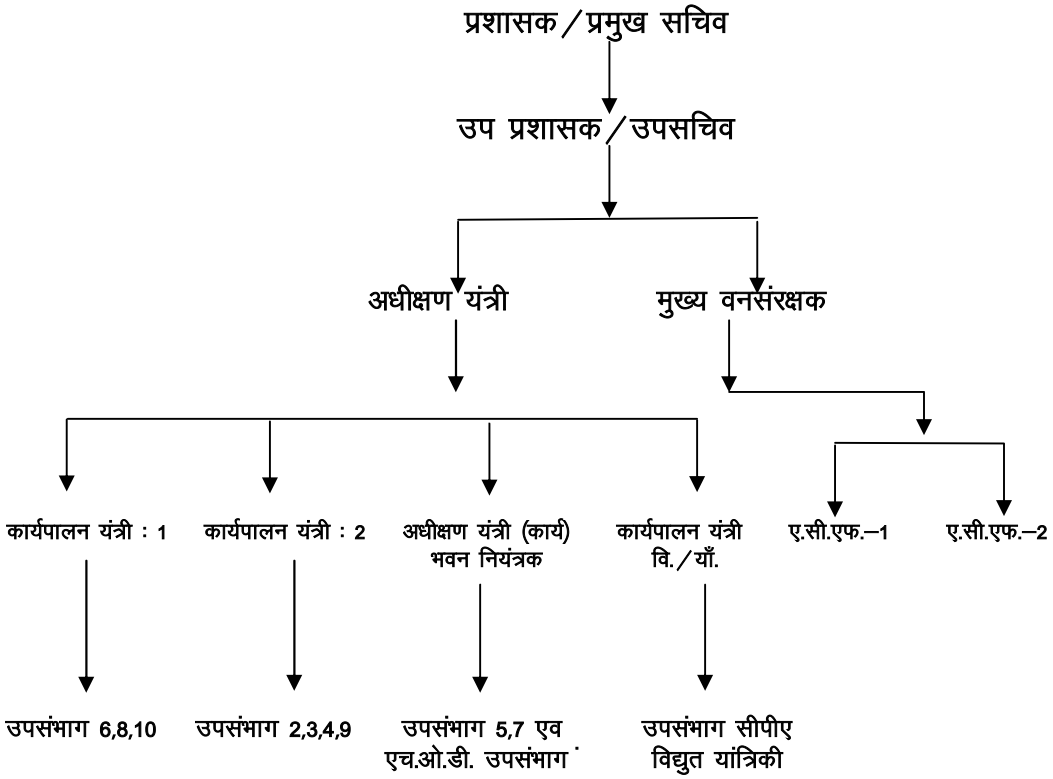


## दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तब यह प्रतीत हुआ कि भोपाल प्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है। इसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। राजधानी के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया।

राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10 – 11 गुना बढ चुका है। और क्षेत्रफल/विस्तार में भी शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ चुका है। क्रमशः भोपाल महानगर के रुप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना राजधानी में विभिन्न आधारभूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप शासकीय भवन/कार्यालयों/आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बडे पैमाने पर वृक्षारोपण बाग बगीचों का विकास आदि कार्य। उस समय जितना प्रारम्भिक कार्य आवश्यक था उसकी प्रासंगिकता आवश्यकता आज 10–15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः दो शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैः–

## 1. मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य, मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य, डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय सतपुड़ा भवन/विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधान सभा भवनों का रख–रखाव संबधी कार्यों के साथ ही बाग– बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों का चौडीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विद्युतीकरण संबधी अनकों कार्य किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत एक अधीक्षण यंत्री कार्यालय, एक अधीक्षण यंत्री (कार्य) विधान सभा के लिए तीन कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं नौ उपसंभागीय कार्यालय एवं अधीनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत हैं।

## 2. वनमण्डल राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वनमंडल कार्यालय का गठन दिनांक 21.2.1986 को किया गया। भोपाल शहर पहाडी एवं पथरीला होने के कारण यहां की भूमि को बड़े ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उसका रख–रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवांछनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमि के अवैध उत्खनन एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकता अनुसार फेंसिग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना, नालों के आस–पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटावों को भू–संरचना उपायों से रोकना।

## भाग – 2

**बजट प्रावधान–लक्ष्य व्यय (पूंजी अनुभाग)**

राशि रू लाख में

| क्र | योजना का नाम | 2017–2018 | | 2018–2019 | | 2019–2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रावधान | व्यय | प्रावधान | व्यय | प्रावधान | व्यय 02/2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3115 भूमि भूअर्जन हेतु मुआवजा (भारित) | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 2 | 0284 अरिहायसी भवन | 422.39 | 422.39 | 300.00 | 283.13 | 500.00 | 35.13 |
| 3 | 3763 रिहायसी भवन | 51.40 | 51.40 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 4 | 4339 सड़क एवं पुल | 2000.00 | 1991.86 | 2832.00 | 2799.03 | 1900.00 | 1255.92 |
| 5 | 1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण आदि | 696.00 | 696.00 | 700.00 | 697.19 | 700.00 | 349.00 |
| 6 | 5872–64 वार मेमोरियल का निर्माण(सर्वेक्षण अन्वेक्षण रूपाकन ) | 237.26 | 32.48 | 234.44 | 234.44 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | 3296–63 मशीन एवं संयंत्र | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | 7218–मंत्रालय का विस्तार | 12962.75 | 12962.75 | 19359.00 | 19358.99 | 1575.00 | 1016.16 |
| 9 | 7715 –नवीन विधायक विश्राम गृहों में (वृहत निर्माण कार्य) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |

## भाग – तीन

### अ. राज्य योजनायें

### (1) वर्ष 2019–20

मांग संख्या 22 शीर्ष 4217 पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल हेतु वर्ष 2019–20 के लिये रुपये 9027.04 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य कराये गये एवं प्रस्तावित है।

### (2) संचालित कार्य

1. विधायक विश्राम गृह परिसर में नवीन रेस्टॉरेन्ट का निर्माण कार्य।
2. विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृहों का नियमित संधारण कार्य।
3. विधानसभा सचिवालय एवं विधायक विश्राम गृहों में विधानसभा सचिवालय के निर्देशानुसार तथा प्रदान की गई अनुमति/सहमति के आधार पर विभिन्न सिविल/विद्युत संबंधी कार्य।
4. मन्दाकिनी शिर्डीपुरम से दानिशकुंज चौराहे तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य।
5. कोलार रोड से मंदाकिनी, शिर्डीपुरम एवं चारबत्ती चौराहे होते हुये हिनोतिया आलम तक मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य। (लम्बाई 4.50 कि.मी.)
6. ऋषिपुरम फेस–1 से विवेकानन्द विद्यापीठ, भेल मास्टर प्लान मार्ग पर आ रहे 11 के.वी.एवं 33 के.वी.विद्युत लाईन का शिफ्टिंग कार्य।
7. सोनागिरी से रजत नगर भेल होते हुए अयोध्या बायपास तक मास्टर प्लान मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 1200मी.)
8. 9 बी साकेत नगर से अल्कापुरी के पश्चिम दिशा से होते हुए शक्ति नगर तक 24 मीटर चौड़े मास्टर प्लान मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 0.1237 कि.मी.)
9. इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांधी नगर के समीप प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग–12 से बायपास को जोड़ने वाले लिंक रोड (आदर्श मार्ग) का निर्माण कार्य। (लम्बाई 760मी.)
10. कलियासोत नहर से कुंजन नगर साधना एन्क्लेव तक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 855मी.)
11. वर्ष 2019–20 में 90994 पौधों का रोपण/रख–रखाव के साथ ही वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक 204929 पौधों का रख–रखाव, 12 पार्क एवं नगर वन का रख–रखाव 4 नग वनरोपणियों का रख–रखाव।

(ii) भोज वेट लैण्ड परियोजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 तक रोपित 1768038 पौधों तथा वर्ष 1986 से 2015–16 तक रोपित 1511772 पौधों का सुरक्षा कार्य।

(iii) वर्ष 2019–20 में उक्त कार्यों हेतु रू.465.40 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2020 तक रू. 445.96 लाख का व्यय हुआ।

### (3) प्रस्तावित कार्य (नवीन)

1. मंत्रालय वल्लभ भवन के उन्नयनीकरण का कार्य।
2. स्व.श्री एम.एन. बुच की स्मृति में कोलार रोड स्थित पार्क का निर्माण कार्य।

3. गौरा गाँव से डी.पी.एस.तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।

4. हरदेव अस्पताल से सीहोर नाके को जोड़ने हेतु एक बायपास मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।

5. अयोध्या नगर फेस–5 से अरहेड़ी तक सड़क का निर्माण।

6. खेजड़ा बरमाद से ग्राम सेवनिया ओमकारा तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।

7. एक्सटॉल कॉलेज तिराहे से चंद्रिका चौराहे (ग्राम सलैया को जोड़ने वाले मार्ग पर) बावड़ियाकला भोपाल तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।

8. विधायक विश्राम गृह परिसर में माननीय सदस्यों हेतु सर्वसुविधा युक्त नवीन विधायक विश्राम गृह के रूप में 102 नवीन आवास गृहों का निर्माण कार्य।

9. मध्यप्रदेश विधानसभा के परिसर में विधायक विश्राम गृह क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय स्टाफ हेतु 40 स्टाफ क्वाटर्स (20 'एच' एवं 20 'आई' टाईप) का निर्माण कार्य।

10. विंध्याचल भवन स्थित विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आंतरिक नवीनीकरण कार्य।

11. दानिश हिल्स से वाल्मी हिल्स तक मार्ग का निर्माण कार्य।

12. आनन्द नगर बायपास से शान्ति नगर होते हुए बैरसिया मार्ग तक मार्ग निर्माण कार्य।

13. पारस सिटी के समीप अण्डरब्रिज–दानापानी मार्ग में पुलिया के निर्माण सहित उन्नयनीकरण का कार्य।

14. नेहरू चौराहे के दाहिने ओर दुकानों के सामने सौन्दर्यीकरण का कार्य।

15. नेहरू नगर स्थित मदर टेरेसा आश्रम के समीप रोड़ साईड़ में सी.सी. पेविंग ब्लॉक एवं पुलिस लाईन ग्राउंड के समीप नाली एवं जाली लगाने का कार्य.।

16. मुख्य मार्ग क्रमांक–3 से आराधना नगर जाने वाले मार्ग के बायी ओर खुले स्थान का विकास कार्य।

17. वार्ड–27 स्थित मुख्य मार्ग क्रमांक–3 से कोटरा सुल्तानाबाद के सी.सी.रोड का निर्माण कार्य.।

18. महात्मा गांधी चौराहे से अवधपुरी तक टू–लेन मार्ग का डामरीकरण कार्य।

19. सेवाए काम्प्लेक्स से ईश्वर नगर (दानापानी) तक 24.00 मी0 मास्टर प्लान मार्ग में स्लेब कलवर्ट एवं सरफेज ड्रेन का निर्माण कार्य.।

20. शाहपुरा छावनी (मोरवन हिल्स) से अहिल्याबाई चौराहा तक मार्ग का नवीनीकरण कार्य।

21. बाग मुगालिया मार्ग में कॉरपोरेशन बैंक के समीप बॉक्स कलवर्ट, ड्रेन एवं सी.सी.शोल्डर का कार्य।

22. मार्गो का चौड़ीकरण एवं लेफ्ट टर्न सुधार का कार्य।

23. बाग सेवनिया से रेत बाजार तक मार्ग का नवीनीकरण का कार्य।

24. डिपो चौराहे से भदभदा चौराहे तक मार्ग का नवीनीकरण का कार्य।

25. चार इमली वार्ड क्रमांक–46 में पार्क का विकास कार्य।

26. 5 नंबर शापिंग काम्प्लेक्स से 6 नंबर स्टॉप तक नाले की दीवार का निर्माण कार्य।

27. 6 नंबर स्टॉप के समीप पार्क का विकास कार्य।

28. सिंधु भवन से 6 नंबर स्टॉप तक नाले का निर्माण कार्य।

29. कोलार रोड स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में जिम एक्यूपमेन्ट्स लगाने का कार्य।

30. मुख्य मार्ग क्रमांक 3 स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में जिम एक्यूपमेन्ट लगाने का कार्य।

31. मुख्य मार्ग क्रमांक 3 स्थित श्री गोविन्द सिंह पार्क (एकान्त पार्क में जिम एक्यूपमेन्ट्स लगाने का कार्य।

32. अरेरा कालोनी ई – 7 स्थित आरोग्य पार्क में जिम एक्यूपमेन्ट्स लगाने का कार्य।

33. वार्ड क्रमांक–27 में कोटरा सुल्तानाबाद तिराहे के सामने ग्रिल लगाने का कार्य।

34. नेहरू नगर स्थित साईंबाबा मंदिर एवं एम.आई.जी. डी–19 सी सेक्टर वार्ड कार्यालय के समीप पार्क का उन्नयनीकरण एवं नवीनीकरण का कार्या।

35. राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत ऋषभ देव पार्क, एकान्त पार्क, ई–1, ई–2, ई–3, ई–5 स्थित पार्क, मयूर पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, स्वर्णजयंती पार्क, चिनार पार्क जवाहर बाल उद्यान में स्ट्रीट लाईट, पॉस्ट टॉप लान्टेन, सबमर्सिबल पम्प एवं मोटर, स्टर्टर, केबल आदि का मरम्मत एवं प्रदाय कार्य।

36. शाहपुरा के ए.बी.सी. सेक्टर एवं त्रिलंगा के जी–1, जी–2 के पार्क का उन्नयनीकरण एवं मरम्मत का कार्य।

37. नालंदा स्कूल के समीप–3 अरेरा कॉलोनी स्थित पार्क का विकास कार्य।

38. विन्ध्याचल भवन स्थित विधि एवं विधायी कार्य विभाग में प्रथम तल पर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय में आंतरिक साज सज्जा एवं नवीनीकरण कार्य।

39. विन्ध्याचल भवन स्थित विधि और विधायी कार्य विभाग में भूतल पर एम.पी. आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हेतु आंतरिक साज–सज्जा एवं नवीनीकरण का कार्य।

40. राज्य योजना आयोग विन्ध्याचल भवन में आंतरिक साज सज्जा एवं नवीनीकरण का कार्य।

41. स्वर्ण जयंती पार्क का विकास कार्य।

42. वर्ष 2019–20 में 70994 पौधों का रोपण/रख–रखाव, के साथ ही वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक 204929 पौधों का रख–रखाव 12 पार्क एवं नगरवन का संधारण, 4 नग वन रोपणियों का संधारण।

(ii) भोज वेटलैण्ड परियोजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 तक रोपित 17,68,038 पौधों तथा वर्ष 1986 से 2015–16 तक रोपित 15,11,772 पौधों का सुरक्षा कार्य।

(iii) वर्ष 2018–19 में उक्त कार्यों हेतु रू. 11.50 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2019 तक रू.9.39 करोड़ का व्यय हुआ है।

(iv) वर्ष 2019–20 के लिए रू.565.40 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2020 तक रू.445.96 लाख व्यय हुआ।

(v) भोपाल शहर की हरित भूमि (ग्रीन बेल्ट) के अतिक्रमण मुक्त रखना।

**ब. केन्द्र प्रवर्तित योजना : – निरंक**

**स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं : – निरंक**

**द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं : – निरंक**

## ई. अन्य योजनाऐं

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, नेशनल इन्टीटयूट आफ फैशन टेक्नोलाजी भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

## भाग – चार

### (1) सामान्य प्रशासनिक विषय

1. **विभागीय पदोन्नति :–** **– निरंक –**

2. **नियुक्ति :–** **दो पदों की पूर्ति सहायक ग्रेड–3 पर**

3. **विभागीय जांच :–** **– निरंक –**

4. **न्यायालयीन प्रकरण :–**

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायलयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाबदावे प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

## भाग – पाँच

### (1) अभिनव योजना

माननीय विधान सभा सदस्यों हेतु नवीन विश्राम गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 102 आवासीय इकाईयों का निर्माण होगा एवं यह समस्त आवास गृह आधुनिक आवश्यकतानुसार निर्मित किए जायेंगे तथा वर्तमान समय के अनुसार सुसज्जित किए जायेंगे।

## भाग – छः

**– निरंक –**

## भाग – सात

### (1) महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम एवं यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

## भाग – आठ

### (1) सारांश

1. राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में नवीन विधान सभा भवन, सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भारत भवन, संस्कृति भवन, लोकायुक्त भवन कार्यालय शौर्य स्मारक मंत्रालय वल्लभ भवन का विस्तार कार्य इत्यादि अतिमहत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संधारण संबधी कार्य भी किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरुप आवश्यकताओं के अनुसार कई सडकों का निर्माण/चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा हैं एवं इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2005 की प्रमुख 24 सड़कों के सर्वे एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर नवीन मास्टर प्लान सड़को के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भविष्य में राजधानी परियोजना वासियों को सुगम मार्ग एवं स्वच्छ पर्यावरण का लाभ होगा, इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लगभग 6000 शासकीय आवास गृहों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक शासकीय आवास गृहों निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पार्कों का विकास किया गया है तथा श्री गुरु गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, 5 नं पर जवाहर बाल उद्यान, स्वराज पार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं बोरवन पार्क इत्यादि के संधारण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुन्दर तथा हरा भरा बनाने का पूरा श्रेय भी राजधानी परियोजना प्रशासन को ही है।

————————

# स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग

(राज्य नगर नियोजन संस्थान)

## भाग–एक

**1. विभागीय संरचना**

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | – | श्री जयवर्द्धन सिंह, मंत्री, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग |
| महानिदेशक | – | श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग |
| कार्यपालन संचालक | – | श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश |

**2. अधीनस्थ कार्यालय** – निरंक

**3. विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण** – निरंक

**4. सदस्य संस्थाऐं** – प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –10 विकास प्राधिकरण – भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक 06–विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण –पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा, महेश्वर मण्डलेश्वर एवं चित्रकूट सदस्य संस्थायें तथा 03 नगरीय निकाय खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा संस्थान की एसोसिएट सदस्य हैं।

**5. उद्देश्य एवं लक्ष्य**

5.1. मध्यप्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की शहरी/ग्रामीण नियोजन से संबंधित विषयों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।

5.2. विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, पारिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों के संग्रहण, अनुश्रवण तथा इनसे संबंधित क्रियान्वयन विषयों में योजनाऐ तैयार करना, सूक्ष्म परीक्षण तथा मूल्यांकन में सहायता।

5.3. विभिन्न राज्यों के साथ–साथ देश के विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार करना। जिसके आधार पर नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा निवेश विकास के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवाऐं प्रदान करना।

5.4. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 क (1) (ख) के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण व समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसायें नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।

5.5. धारा 16 अंतर्गत भोपाल के सभी प्रकरणों का परीक्षण व समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसायें नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।

5.6. डाटाबेस का सृजन तथा अद्यतन करना व ई–सुशासन।

5.7. मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षैत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण।

5.8. पुनर्सघनीकरण परियोजनाओं का परीक्षण।

5.9. पर्यावरण अधिनियम क्रमांक 8(क) तथा (ख) के लिये नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा हाथ में ली जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर पर्यावरणीय प्रभावी के आकलन का अध्ययन।

5.10. इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से आयोजन करना– (प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियों कार्यशालाओं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन तथा प्रचार)।

5.11. समय–समय पर सम्पन्न गतिविधियों से सदस्यों तथा अधिकारियों को अद्यतन रखे जाने के उद्देश्य से न्यूजलेटर जारी करना।

5.12. अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं से मेल–जोल विकसित करना।

5.13. तत्कालीन मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के जारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निष्पादन करना।

5.14. ऐसे समस्त दायित्वों तथा कृत्यों जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा द्वारा विहित किया जाए, का निष्पादन करना।

5.15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना।

5.16. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करना ।

5.17. विभिन्न संस्थाओं के कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान में पंजीबद्ध सलाहकारों के माध्यम से करवाना।

## 6. साधारण सभा

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं। साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 35 सदस्य शामिल है।

## 7. कार्यकारिणी समिति

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनंदिनीय कार्यो के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं महानिदेशक, राज्य नगर नियोजन संस्थान हैं। कार्यकारिणी समिति में कार्यपालन संचालक, सदस्य सचिव तथा अन्य 07 सदस्य शामिल हैं।

## 8. विभाग से संबंधित जानकारी

राज्य नगर नियोजन संस्थान, जिसका पूर्व नाम म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ था, प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं/नगरीय निकायों संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यों में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने में तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित करना।

## 9. सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (पूर्व नाम म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ) द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। साथ ही संस्थान में वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों का पेनल ऑफ कंसलटेंट बनाया गया है, जिनकी आवश्यकतानुसार सेवायें ली जाती है।

(ब) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र.एफ–6–9/10/32 भोपाल दि. 18.02.10 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया संस्थान द्वारा 04 नगरों हेतु जी.आई. एस. आधारित एप्लीकेशन को ऑनलाईन तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(स) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3/75/2013/32 द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान को धारा–16 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण हेतु आदेशित किया गया।

(द) म.प्र. नगर तथा ग्राम नियम–12 के नियम 15 (4) 15 के अंतर्गत म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ (संशोधित नाम राज्य नगर नियोजन संस्थान) को धारा 23 क (1)(ख) अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है।

## भाग–दो

### 1. बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत

1.1 राज्य नगर नियोजन संस्थान की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/बजट परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त परीक्षण शुल्क ही है। शासन से संस्थान को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।

### 2. बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एवं अंकेक्षण

2.1 वर्ष 2018–19 के आय व्यय क्रमशः रू. 720.40 लाख व रू. 651.33 लाख अनुमानित के विरूद्ध वास्तविक आय व्यय क्रमशः रू. 349.60 लाख व रू. 533.20 लाख है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुमानित आय–व्यय क्रमशः रू. 875.96 लाख व रू. 875.90 प्रस्तावित है।

2.2 राज्य नगर नियोजन संस्थान के वर्ष 2018–19 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है।

### 3. संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्यः– निरंक

### 4. स्वीकृत सेटअप

4.1 राज्य नगर नियोजन संस्थान के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 58 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में कार्यरत हैं एवं 22 पद रिक्त हैं। 05 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा 05 कर्मचारी मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ हैं। संस्थान में 02 अधिकारी/कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त संविदा सेवा में कार्यरत है। संस्थान में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है।

## भाग–तीन

### 1. राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

1.1 राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) को प्रदेश में संचालित दो प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा इन योजनाओं में से वर्तमान में आई.डी.एस.एम.टी. योजना (आवर्ती कोष) एवं सूचना प्रौद्योगिकी योजना का संचालन किया जा रहा है।

(अ) छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) वर्ष 1995–96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004–05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाएँ जिनकी स्वीकृत लागत रू.14370.49 लाख है, का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इन 97 नगरों में संभागवार नगरों की संख्या है:– (1) चंबल संभाग –3 नगर, (2) ग्वालियर संभाग –6 नगर, (3) उज्जैन संभाग – 16 नगर, (4) इंदौर संभाग – 9 नगर, (5) होशंगाबाद संभाग –2 नगर, (6) सागर संभाग –15 नगर, (7) रीवा संभाग – 18 नगर, (8) जबलपुर संभाग –12 नगर (9) भोपाल संभाग – 16 नगर

राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की कुल 645 योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया। इसके अन्तर्गत लगभग 410 घटकों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें मुख्यतः 165 वाणिज्यिक, 32 बस स्टैण्ड, 73 रोड़ उन्नयन एवं तिराहा, 140 घटक जिसमें सामुदायिक भवन, नाला, सब्जी मंडी, आवासीय योजनाये सम्मिलित है के विकास कार्य शामिल है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध विगत वर्षो में उपयोगिता केवल 99.39 प्रतिशत थी।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के तहत संस्थाओं द्वारा निर्मित व्यवसायिक घटकों की योजनाओं से आवर्ती कोष में 80 नगरों द्वारा राशि रू. 10204.46 लाख सूचित किया है। उक्त आवर्ती कोष के विरूद्ध 48 संस्थाओं से लगभग 182 घटकों की योजनाएँ तैयार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये, जिसमें से अभी तक 37 नगरों के 113 घटकों के कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन एवं मानचित्र लगभग राशि रू. 4238.25 लाख स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं। उक्त 37 नगरों के कार्य प्रेषित करने के उपरांत उनकी शेष आवर्ती कोष की लगभग राशि रू. 4274.95 लाख तथा 35 नगरों की आवर्ती कोष की लगभग राशि रू. 1691.26 लाख कुल लगभग राशि रू. 5966.21 लाख के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

संस्थान द्वारा आई.डी.एस.एम.टी योजनान्तर्गत निर्मित आवर्ती कोष से 10 नगरों के 16 योजना घटकों का वास्तुविदीय कार्य किया गया, जिसमें से नागौद, आगर, उमरिया, सीधी, बैरसिया, गोविंदगढ़, चुरहट, अकोदिया, सिहोरा, कटंगी नगरों की लगभग रू. 617.96 लाख की योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य संपादित किया गया।

**(ब) सूचना प्रौद्योगिकी**

1. 4 नगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में भू–उपयोग जानकारी एवं विकास अनुज्ञा आनलाइन जारी करने हेतु Web based Application (अल्पास) को मैप आई.टी. के माध्यम से जी. आई.एस. आधारित उन्नयन किया जा रहा है।

2 संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान कार्यालय में आधुनिक GIS स्टूडियों का निर्माण किया गया है।

**अन्य**

1 पर्यावरण स्वीकृति :– कटनी विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना (झिंझरी), जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्र. 62, 64 एवं 65 की पर्यावरण स्वीकृति का कार्य सलाहकार के माध्यम से कराया जा रहा है।

2 संचालनालय में गठित प्राधिकरण सेल में भी राज्य नगर नियोजन संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है।

3 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं नियम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन हेतु सलाहकार के माध्यम से संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है।

4 भोपाल एवं इंदौर नगर हेतु 3.00 लाख जनसंख्या हेतु सेटेलाईट टाउन की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु आर.एफ.पी. जारी की गई।

**(स) विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाऐं:–** निरंक

**(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐंः–** निरंक

**(ई) अन्य योजनाऐं /राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्य :–**

1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा कई नगरीय निकायों की स्व वित्तीय योजनाऐं भी तैयार की जा रही हैं ।

2. आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूॅजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

3. एम.पी.यू.डी.सी.एल. का कार्य कार्यालय में पंजीबद्ध सलाहकार से करवाया जा रहा है।

4. संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 10 नगरों क्रमशः चित्रकुट, झाबुआ, खरगोन, खजुराहों, नेपानगर, कैमोर, अमरपाटन, धनपुरी, ओबेदुल्लागंज एवं माधवराव काउंटर मेग्नेट, ग्वालियर नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य संस्थान को सौपा गया है। संस्थान द्वारा विकास योजना का कार्य निजी सलाहकारों के माध्यम से कराया जा रहा है। चित्रकूट, खजुराहो, खरगोन झाबुआ एवं सागर का प्रारूप विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित कर दिया गया है। शेष नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

5. अमृत योजनान्तर्गत इंटर्नस का चयन कर विभिन्न नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालयों में संलग्नीकरण किया गया।

6. राज्य शासन द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्यकलापों/आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य संस्थान को सौपे गये है :–

   I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों /विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करने हेतु सहयोग प्रदान करना। वर्ष 2019–20 में संस्थान द्वारा प्राप्त 13 विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये हैं।

   II सिंहस्थ, 2016 के अभिन्यास/नियोजन तैयार किये गए, जिसके देयक रू. 72.76 लाख की मांग शासन से की जाकर राशि प्राप्त किए जाने के प्रयास जारी है।

   III नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना तैयार करना।

   IV अमृत योजनान्तर्गत नागदा नगर के विकास योजना तैयार करने हेतु NRC के द्वारा प्रदाय डाटा का Ground Vetting का कार्य संपन्न किया गया एवं कटनी नगर का कार्य किया जाना है।

   V विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें/प्रशिक्षण आयोजित करना।

## भाग–चार

**1. सामान्य प्रशासनिक विषय**

राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को जी.आई.एस. प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

## भाग–पांच

### 1. अभिनव योजना

1.1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के लिये जी.आई.एस. स्टूडियो का निर्माण किया गया है।

1.2. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं नियम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन की कार्यवाही प्रगति पर है।

1.3. 34 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से तैयार कराना।

## भाग–छः

### 1. राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संस्थान द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में एक पांच सदस्यीय ''आंतरिक परिवाद समिति'' का गठन किया गया है। राज्य नगर नियोजन संस्थान में कार्यरत् महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है, उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है।

## भाग–सात

### 1. सारांश– आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

1.1. आगामी वर्ष में राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आईडीएसएमटी आवर्ती कोष योजनान्तर्गत नगरों के योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य।

1.2. नगरीय निकायों की स्वयं वित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

1.3. प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन तथा मार्गदर्शन प्रदान करना है।

1.4. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अन्तर्गत प्राधिकरणों को ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी आवास बनाने के लिये रियायती दर पर शासकीय भूमि के संबंध में योजनाओं का परीक्षण करना तथा योजनाओं का ले–आउट तैयार करना।

1.5. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 क (1) (ख) के अन्तर्गत उपान्तरण प्रकरणों का परीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं समिति की अनुशंसाएं नग्रानि को प्रेषित करना।

1.6. शासन के आदेश क्रमांक एफ–3/75/2013/32 दिनांक 05.07.2013 के परिपालन में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–16 के अधीन भोपाल के वृद्धित निवेश क्षेत्र में विकास अनुज्ञा अंतर्गत परीक्षण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15(5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं समिति की अनुशंसाएं नग्रानि को प्रेषित करना।

1.7. विभिन्न संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment का कार्य।

1.8. नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना/ जोनल प्लान तैयार करना। इसके अंतर्गत 4 नगरों की योजना तैयार कर नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित एवं शेष 06 नगरों की योजना का कार्य प्रगति पर है।

1.9. 34 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से तैयार कराना।

1.10. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं नियम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन का कार्य कराया जा रहा है।

1.11. विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजित करना।

1.12. आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करना।

1.13. एम.पी.यू.डी.सी.एल., अंतर्गत अमरकंटक भवन की आंतरिक एवं बाह्य साज–सज्जा का कार्य अंतिम चरण में है।

1.14. भोपाल एवं इंदौर हेतु रू. 3.0 लाख की जनसंख्या हेतु सेटेलाइट टाउन की डी.पी.आर. तैयार की जाना है।

1.15. विकास प्राधिकरण, उज्जैन अंतर्गत श्री महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु सलाहकार की नियुक्ति कर कार्य प्रगति पर है।

- भोपाल नगर के समग्र नगर की कार्य योजना तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।
- ओरछा मंदिर जीर्णोद्धार एवं अन्य विकास कार्यों हेतु वास्तुविद की नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- सतना एबीडी क्षेत्र के लिये टी.पी.एस. बनाने हेतु विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- लैंडवूल योजनान्तर्गत (विकास प्राधिकरण, उज्जैन) योजना तैयार करने हेतु प्लानर की नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

1.16. अमृत योजनान्तर्गत नागदा एवं कटनी नगर की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

1.17. रतलाम का पर्सपेक्टिव प्लान का कार्य।

1.18. 10 नगरों की विकास योजनाओं के कार्य निजी सलाहकारों के माध्यम से संपादित कराया जाना।

1.19. अमृत योजनान्तर्गत इंटर्न पॉलिसी 2018 अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को आवश्यक जानकारी प्रदान कर इंटर्न को चयन करने हेतु अधिकारियों को सहयोग प्रदान करना एवं इंटर्नस् के साक्षात्कार उपरांत नग्रानि जिला कार्यालय में संलग्नीकरण संबंधी कार्यवाही।

1.20. म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन का कार्य अंतिम चरण में है।

1.21. विकास प्राधिकरणों की विभिन्न योजनाओं को सलाहकार के माध्यम से करवाने हेतु प्रतियोगिता प्रपत्र, अनुबंध एवं सलाहकार नियुक्त करने बावत् आवश्यक कार्यवाही।

1.22. नगर विकास योजनाओं का कार्य सलाहकार के माध्यम से करवाना जैसे – जबलपुर, उज्जैन, सतना।

1.23. महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्य सलाहकार के माध्यम से करवाना।

1.24. म.प्र. रियल स्टेट नीति, 2019 के सौंपे गये कार्यों को करना।

1.25. अमृत योजनान्तर्गत नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा सौंपे गये विकास योजनाओं के कार्य।

2. संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने/परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाती है। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति/चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। संस्थान का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य ''इन हाउस'' किये जाये।

3. संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भू–उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस संस्थान के माध्यम से कराये जा रहे हैं। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

———0———

# मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

| | | | |
|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | श्री संजय दुबे<br>भा.प्र.से. | 07.02.2019 | निरंतर |
| आयुक्त | सुश्री करलिन खोंगवार देशमुख<br>भा.प्र.से. | 17.01.2019 | निरंतर |

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य शासन का यह सदैव प्रयास रहा है, कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का घर हो। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रदेश में आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन आवंटियों को विभिन्न श्रेणी के भवन एवं विकसित भूखण्ड, आवश्यक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् प्रयासरत है। मंडल द्वारा अपनी स्थापना वर्ष से 31 दिसम्बर 2019 तक विभिन्न आय वर्ग के लिये 184401 आवास का निर्माण तथा 162112 भूखण्डों का विकास कुल 346513 किया गया है। प्रदेश में शासकीय परिसरों के समुचित भूमि उपयोग हेतु शासन द्वारा जारी पुर्नघनत्वीकरण नीति अंतर्गत योजनाएं मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हैं।

## भाग – एक

### 1. अधीनस्थ कार्यालय

| कार्यालय का नाम | सिविल कार्यालय | विद्युत कार्यालय |
|---|---|---|
| उपायुक्त | 08 | 01 |
| संभागीय | 29 | 04 |
| उप संभागीय | 67 | 08 |

### 2. दृष्टिकोण

### 2.1 मंडल का हितग्राहियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ सुन्दर, सदृढ़ व किफायती मूल्य पर आवासीय भवनों का निर्माण।

ब आधुनिक एवं कम लागत के निर्माण की तकनीकी से निर्माण करना।

स परियोजना को समय पर एवं बिना मूल्य वृध्दि के पूर्ण करना।

द योजनाओं में आवंटियों को विक्रित भवनों बाबत् पूर्ण संतुष्टि प्रदान करना।

ई उचित स्थान।

एफ विश्वसनीयता।

### 2.2 मंडल का शासन के प्रति दृष्टिकोण :

अ शासन की विभिन्न नीतियों एवं वचनों को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं में प्रतिपूर्ति करना।

ब मण्डल द्वारा विभिन्न विभागों के आवासीय; अधोसंरचना, निक्षेप कार्य एवं अन्य कार्यो को समय अनुसार एवं निपूर्णता के साथ क्रियान्वयन करना।

स आवास निर्माण के क्षेत्र में निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिये आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा प्रदान निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।

द शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना।

ई शासन की प्रचलित नीति, निर्देशों अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

एफ. मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

### 2.3 मंडल का अपने कर्मियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उत्कृष्ट कार्य करने के अवसर प्रदान करना।

ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं अनुसार कार्य करना।

स. अच्छे कार्य करने वाले कमियों को चिन्हित कर पुरूस्कृत करना।

## 3 मण्डल के उद्देश्य

3.1 वर्षवार कार्य योजना निर्धारित कर क्रियान्वित करना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतो को अमल में लाना।

3.2 भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटो एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी अनुसार अच्छी गुणवत्ता के किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।

3.3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवास एवं भूखण्डों का निर्माण।

3.4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य संपादित करना।

3.5 शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

3.6 वेब साइट के माध्यम से मण्डल कर्मियों, आवंटियों एवं जन समुदाय हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना।

3.7 योजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप एवं समय सीमा अनुसार पूर्ण करना।

3.8 आवंटियों एवं निक्षेपकर्ता विभाग को जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ सेवा प्रदान करना।

## 4. स्थापना

4.1 म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल का गठन कर मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत मण्डल कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण, आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ–साथ केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं।

## 5. निर्माण एवं विकास कार्य

5.1 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से 31 दिसम्बर, 2019 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये **184401** आवास गृह तथा **162112** भूखण्डों का निर्माण एवं विकास कुल **346513** किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, ऑडिटोरियम, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन का निर्माण भी किया गया है।

5.2 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निक्षेप कार्य अंतर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस क्रम में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु धर्मस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, कौशल प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं। शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन भी मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

## भाग – दो

### 1. मण्डल की विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी

#### 1.1 भवन निर्माण

(निर्मित भवनों की संख्या)

| क्रमांक | विवरण | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 (31दिसम्बर 2019 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ई.डब्ल्यू.एस. | 1066 | 1150 | 1810 | 2311 | 565 |
| 2. | एल.आई.जी. | 566 | 454 | 1349 | 2154 | 372 |
| 3. | एम.आई.जी. | 319 | 339 | 352 | 259 | 160 |
| 4. | एच.आई.जी. | 246 | 290 | 494 | 508 | 539 |
| | **कुल** | **2197** | **2233** | **4005** | **5232** | **1636** |

#### 1.2 भूखण्ड विकास

(विकसित भूखण्डों की संख्या)

| क्रमांक | विवरण | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 (31दिसम्बर 2019 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ई.डब्ल्यू.एस. | 515 | 722 | 479 | 825 | 103 |
| 2. | एल.आई.जी. | 643 | 430 | 246 | 267 | 86 |
| 3. | एम.आई.जी. | 444 | 224 | 267 | 223 | 159 |
| 4. | एच.आई.जी. | 271 | 112 | 488 | 116 | 49 |
| | **कुल** | **1873** | **1488** | **1480** | **1431** | **397** |

#### 1.3 मण्डल की वित्तीय स्थिति

(राशि रू.करोड़)

| क्रमांक | विवरण | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 (31दिसम्बर 2019 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | टर्न ओवर | 790.00 | 855.80 | 880.00 | 756.84 | 607.39 |

## 1.4 स्वीकृत परियोजनाएँ

(राशि रू.लाख)

| क्रमांक | विवरण | | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 (31दिसम्बर 2019 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें | योजना | 178451.51 | 113672.91 | 13153.77 | 46162.72 | 10872.11 |
| | | संख्या | (60) | (35) | (07) | (17) | (07) |

## 1.5 प्रशासनिक व्यय

(राशि रू.लाख)

| क्रमांक | विवरण | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 (31दिसम्बर 2019 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रशाासनिक व्यय | 8893.00 | 8066.98 | 5951.00 | 8667.00 | 7160.28 |

## 1.6 कम्प्यूटराईजेशन का कार्य

1.6.1. मंडल के ऑनलाईन साफ्टवेयर का NICSI, New Delhi से पंजीकृत संस्था से Security Audit कराया गया।

1.6.2. मंडल के ऑनलाईन साफ्टवेयर को प्राप्त ISO 9001:2015 का नवीनीकरण।

1.6.3. एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ई–पंजीयन एवं ई–ऑफर की सुविधा प्रारंभ की गई दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक मण्डल को पंजीयन राशि निम्नानुसार प्राप्त हुईः–

ई–पंजीयन – राशि – 15,29,91,168.00

ई–ऑफर – राशि – 30,42,49,627.00

दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2019 तक कुल प्राप्ति – रू. 325,96,69,218.00

1.6.4. ऑनलाईन साफ्टवेयर एवं ऑनलाईन पंजीयन/ऑफर हेतु लगभग 3,00,000 SMS प्रेषित किये गये।

1.6.5. मण्डल के सभी उप संभागों को भी कम्प्यूटर, प्रिटर एवं इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई।

1.6.6. मण्डल की कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने एवं सभी कार्यो के समयबद्ध व सुचारू रूप से निष्पादन हेतु कम्प्यूटराईजेशन कार्य को अंतिम रूप दिया गया है।

1.6.7. म.प्र. शासन की ई–मेल नीति को मंडल द्वारा अंगीकार कर मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयो में पदस्थ अधिकारियों हेतु ई–मेल आईडी बनाकर सतत उपयोग किया जा रहा है।

1.6.8. मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यो की सतत Real Time मानिटरिंग हेतु Online PMIS (Project Monitoring Information System) विकसित किया गया है। उक्त के माध्यम से निक्षेपकर्ता विभाग को भी अपने कार्यो की ऑनलाईन Real Time मानिटरिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

1.6.9. अंकेक्षण शाखा अंतर्गत पेंशन/7th Pay fixation व अन्य sub activity के लिये Online reminder व्यवस्था विकसित कर सफलता पूर्वक क्रियांवित की गयी ।

1.6.10. मासिक समीक्षा बैठक हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित की गई ।

1.6.11. विभिन्न शाखाओ के प्रपत्रो हेतु ऑनलाईन फार्म विकसित किये गये। उक्त फार्मो के माध्यम से सम्भाग स्तर जानकारी प्रविष्ट कि जाती है। उक्त जानकारी को वृत्त स्तर पर उपायुक्त द्वारा परीक्षण कर ऑनलाईन रिमार्क डाला जाता है।

1.6.12. मंडल के स्व–वित्तीय, भाड़ा क्रय, एक–मुश्त आवंटियो के लेखे सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी द्वारा सत्यापन पश्चात् ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये। आवंटियो को किश्त, लीज रेंट आदि ऑनलाईन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है । लेखे ऑनलाईन होने की सूचना आवंटी को auto generated SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है ।

1.6.13. आवंटियो को ऑनलाईन लेखो मे दावा–आपत्ति हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित की गई। आवंटियो के दावा–आपत्ति के सत्यापन/निराकरण की ऑनलाईन प्रक्रिया भी विकसित की गई है। लेखो मे विसंगति होने पर आवंटी दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाईन दावा–आपत्ति दर्ज कर सकता है। जिसका निराकरण सबन्धित सम्पत्ति अधिकारी द्वारा आनलाईन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

1.6.14. Face book एवं Twitter पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई ।

1.6.15. Online leave application

1.6.16. Online service book entry

1.6.17. Integration with Banks & MOU

**1.7 इस पर मंडल की निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई गई है :–**

1.7.1. मंडल की समस्त ऑनलाईन योजनायें ई–पंजीयन/ई–ऑफर – Live

1.7.2. मंडल द्वारा जारी की गई निविदाओं की जानकारी – Live

1.7.3. मंडल की त्रैमासिक पत्रिका "आशियाना"

1.7.4. मंडल की वर्तमान आवासीय एवं अटल आश्रय योजनायें

1.7.5. मंडल की प्रस्तावित योजनायें

1.7.6. मंडल की पूर्ण हो चुकी योजनायें

1.7.7. मंडल को प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र

**2. माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण (31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति में)**

| अनु.क्र. | न्यायालयों का नाम | प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली | 19 |
| 2. | मान. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली | 10 |
| 3. | मान. उच्च न्यायालय | 697 |
| 4. | अवमानना प्रकरण | 28 |
| 5. | राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल | 242 |
| 6. | मान. मध्यप्रदेश मध्यस्थम् अधिकरण विंध्याचल भवन भोपाल | 06 |
| 7. | मान. राजस्व मण्डल | 05 |
| 8. | मान. रेरा | 17 |
| 9. | रेरा अपीले | 09 |
| 10 | मान. जिला न्यायालय | 240 |
| 11 | मान. जिला उपभोक्ता फोरम | 154 |
| 12 | हरित अभिकरण एन.जी.टी. | 01 |
| 13 | मान. औद्योगिक न्यायालय | 00 |
| 14 | मान. श्रम न्यायालय | 23 |

## 3. मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास लंबित प्रकरणों का विवरण (31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

3.1 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों द्वारा प्राप्त शिकायते।

| क्रमांक | विभाग अंतर्गत लंबित प्रकरण | प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों द्वारा प्राप्त शिकायतें | 26 |
| 2. | लोकायुक्त कार्यालय म.प्र.भोपाल से प्राप्त शिकायतों की सूची | 24 |
| 3. | लोकायुक्त कार्यालय में विचाराधीन प्रकरणों की सूची जिसमें पेशी दी जाती है | 08 |
| 4. | सी.बी.आई. से संबंधित प्रकरणों की संख्या | 00 |
| 5. | सक्रिय जॉच के लंबित प्रकरणों की सूची | 82 |
| 6. | निराकृत प्रकरणों की सूची | 02 |

## 4. कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

4.1 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी–2003 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है।

4.2 इस सेल की स्थापना दिनांक से 31 दिसम्बर 2019 तक **5004** शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से म.प्र. शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई, जिसमें से **4607 (92.06 प्रतिशत)** शिकायतों का निराकरण किया गया है।

## 5. गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ

(अ) मण्डल के निर्माणाधीन सिविल एव विद्युत कार्यो के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 26/04/2019 को तकनीकी चैकलिस्ट जारी की गई।

(ब) क्वालिटी मॉनीटरिंग एवं क्वॉलिटी एश्योरेंस विषय पर श्री जयवर्धन सिंह, मान. मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास, म.प्र. शासन के मुख्य आतिथ्य एवं श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास के विशेष आतिथ्य तथा आयुक्त महोदया के मार्गदर्शन में दिनांक 07/06/2019 को कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(स) म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण तथा समय पर पूर्णता सुनिश्चित किये जाने हेतु "Quality Reference Handbook on Assuring Quality and Timely Delivery of Construction Projects" तैयार की गई है, जिसका विमोचन किया जाकर माह दिसम्बर, 2019 में प्रकाशन किया जा चुका है।

## 6. मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

6.1. दिनांक 01 मई 2017 से प्रदेश में भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण म.प्र. (रेरा) अस्तित्व में आया। प्राधिकरण के नियमानुसार समस्त निर्माणाधीन, प्रस्तावित रियल स्टेट योजनाओं का नियमानुसार पंजीयन रेरा में कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंध में मण्डल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए समय–सीमा में 86 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत कराया एवं दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक 09 पंजीकृत कराया गया। योजनाओं में रेरा नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है ।

6.2. मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनसामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने, निक्षेप कार्य की दृष्टि से वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर 2019 तक विभिन्न आवासीय योजना लागत रू. **10872.11 लाख** स्वीकृत की गई हैं।

## 7. महत्वपूर्ण आवासीय योजनाओं वर्ष 2019–20 में स्वीकृत निविदाओं की जानकारी (31 दिसम्बर, 2019) तक

| क्र. | कार्य का नाम | निविदा राशि (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | वृत्त क्रमांक–1 भोपाल (निक्षेप कार्य) | |
| 1 | ग्राम खिलचीपुर जिला राजगढ़ में होडा माता मंदिर के निर्माण/जीर्णोद्वार, विकास कार्य की निविदा। | 412.05 |
| 2 | माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय बिशनखेड़ी भोपाल परिसर के विभिन्न भवनों आन्तरिक फर्निशिंग, फर्निचर, कास्ट इन सिटू फर्निचर की निविदा। | 3643.32 |
| | **योग** | **4055.37** |
| | ग्वालियर ( अटल आश्रय योजना/निक्षेप कार्य) | |
| 3 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एस.ए.एफ. ग्राउण्ड मुरैना में 12 एफ, 9 एच एवं 9 जी (एस.+3) कार्य की निविदा। | 740.46 |
| 4 | अटल आश्रय योजनान्तर्गत गिरनार परिसर गिरगांव ग्वालियर में 36 ई.डब्ल्यू.एस., 72 एल.आई.जी., 5 दुकानें एवं विकास कार्य की निविदा। | 899.21 |
| | योग | 1639.67 |
| | वृत्त– जबलपुर (निक्षेप कार्य) | |
| 5 | नरसिंहपुर जिला पंचायत के अन्तर्गत व्यावसायिक काम्पलैक्स के निर्माण कार्य की निविदा। | 618.55 |
| | योग | 618.55 |
| | वृत्त सागर (स्व–वित्तीय एवं मण्डल आवासीय योजना) | |
| 6 | पं. दीनदयाल नगर सागर में एच.आई.जी.–बी, 18 एम.आई.जी.–ए, 22 एम.आई.जी.–बी, 10 एल.आई.जी.–ए एवं 13 एल.आई.जी.–बी भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य की निविदा। | 935.01 |
| | योग | 935.01 |
| | वृत्त इंदौर | |
| 7 | ओल्ड पलासिया इन्दौर में कामकाजी महिलाओं हेतु 100 शैय्या छात्रावास भवन के निर्माण कार्य की निविदा। | 504.39 |
| | योग | 504.39 |
| | स्वयं वित्तीय योजना<br>अटल आश्रय योजना<br>निक्षेप कार्य<br><br>वृत्त स्तर एवं संभाग स्तर से स्वीकृत निविदा राशि रू.<br>महायोग | 935.01 लाख<br>899.21 लाख<br>5918.77 लाख<br>7752.99 लाख<br>3119.12 लाख<br>**10872.11 लाख** |

## 8. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी

8.1 प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि के उचित उपयोग तथा आवास समस्या हल करने के लिए राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रीडेन्सीफिकेशन) योजना प्रारंभ की गई है।

8.2 मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुनर्धत्वीकरण योजनाओं से प्रदेश में विकास/रोजगार/ अधोसंरचना संबंधी सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

## 9. प्रमुखता

9.1 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से वृहद परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

9.2 अटल आश्रय योजनांतर्गत अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

शासन से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रियायती दर पर शासकीय भूमि प्राप्त कर अटल आश्रय येाजना क्रियान्वित की जा रही है।

| क्रमांक | विवरण | योजनाएं | कुल इकाइयां |
|---|---|---|---|
| 1. | पूर्ण योजनाएं | 11 | 1095 |
| 2. | निर्माणाधीन योजनाएं | 11 | 4782 |
| 3. | पंजीयनरत योजनाएं | 24 | 5733 |
| | **योग** | 46 | 11610 |

9.3 मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

9.4 यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

9.5 मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारू रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 31 दिसम्बर 2019 **तक** 02 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं।

## 10. शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेन्सी

10.1 मण्डल के द्वारा अपनी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के अलावा म.प्र. शासन/केन्द्र शासन के अन्य विभागों के लिये डिपोजिट वर्क एवं कन्सलटेन्ट एजेन्सी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2019–2020 मे (31दिसम्बर 2019 तक) की प्रगतिशील योजनाएं निम्नलिखित हैः–

## 11. शासकीय विभागों हेतु निक्षेप निर्माण कार्य

### 11.1 निक्षेप निर्माण कार्य

| क्र. | निक्षेपकर्ता विभाग | कार्यो का विवरण | कार्यो की संख्या | स्वीकृत राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग | इन्दौर, भोपाल, एवं जबलपुर आई.टी.पार्क का विकास एवं निर्माण | 05 | 5393.26 |
| 2. | कौशल विकास विभाग | मेगा आई.टी.आई. भवन | 16 | 28296.17 |
| 3. | तकनीकी शिक्षा विभाग | पॉलिटेक्निक कालेज के मुख्य भवन एवं छात्रावासों का निर्माण | 02 | 683.85 |
| 4. | जनसंपर्क विभाग | विशनखेड़ी, भोपाल विश्वविद्यालय परिसर का विकास एवं निर्माण | 05 | 16451.86 |
| 5. | उच्च शिक्षा विभाग | महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का निर्माण आई.ई.एच.ई (एक्सीलेंस कालेज) | 08 | 347.14 |
| 6. | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 300 बिस्तरीय अस्पताल मुरैना समस्त निर्माण कार्य | 01 | 50.5 |
| 7. | धर्मस्व विभाग | मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य | 46 | 3253.03 |
| 8. | उद्योग विभाग | 6 जिलों में उद्योग विभाग के कार्य | 01 | 59.6 |
| 9. | पशुपालन विभाग के विभिन्न जिलों के कार्य | – | 11 | 345.51 |
| 10. | स्वास्थ्य विभाग | चरक अस्पताल उज्जैन में स्टॉफ क्वाटर्स 30 शैय्या स्वास्थ केन्द्र ग्वालियर स्टाफ क्वाटर्स मुरैना | 03 | 5887.3 |
| 11. | राजस्व विभाग | पन्ना एवं सिंगरौली कलेक्ट्रेट भवन एवं जी.ए.डी. क्वाटर्स | 01 | 152.86 |
| 12. | हस्तशिल्प विभाग | (सी.एफ.सी. एवं जीर्णोद्धार) | 03 | 228.34 |
| 13. | रेशम विभाग | बीविंग सेंटर | 01 | 81.65 |
| 14. | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | क्षेत्रीय कार्यालय मण्डीदीप | 01 | 215.84 |
| 15. | महिला एवं बाल विकास विभाग | भोपाल में काम काजी महिलाओं के लिए 100 शैया छात्रावास का निर्माण कार्य | 02 | 522.49 |
| 16. | रेरा एवं सामान्य प्रशासन विभाग | रेरा आंतरिक भवन के साज–सज्जा का कार्य | 06 | 1043.31 |
| 17. | सूक्ष्म एवं लघु मध्यम इंटरप्राइजेस | | 04 | 764.85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | पिछडा वर्ग विभाग | | 02 | 54.06 |
| 19 | आदिवासी कल्याण विभाग | | 02 | 72.62 |
| | | कुल योग | 121 | 64007.90 |
| | | | **करोड मे** | **640.07** |

## 11.2 पूर्ण निक्षेप कार्यो की स्थिति

| क्र. | निक्षेपकर्ता विभाग का नाम | पूर्ण योजनाएं | कुल योजनाएं | कुल राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कौशल विकास विभाग | मेगा आई.टी.आई. भवन | 3 | 324.92 |
| 2 | धर्मस्व विभाग | मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य | 15 | 84.40 |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग | 30 शैय्या स्वास्थ केन्द्र ग्वालियर स्टाफ क्वाटर्स मुरैना | 02 | 131.95 |
| 4 | उच्च शिक्षा विभाग | महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का निर्माण आई.ई.एच.ई (एक्सीलेंस कालेज) | 04 | 29.16 |
| 5 | जनसंपर्क विभाग | माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय | 02 | 116.06 |
| 6 | पशुपालन विभाग के विभिन्न जिलों के कार्य | – | 08 | 16.96 |
| 7 | महिला एवं बाल विकास विभाग | भोपाल में कामकाजी महिलाओं के लिए 100 शैय्या छात्रावास का निर्माण कार्य | 01 | 32.12 |
| 8 | आदिवासी कल्याण विभाग | – | 01 | 168.86 |
| | | **कुल** | **36** | **904.43** |

## 11.3 पुनर्घनत्वीकरण योजनाओं की स्थिति :–

| क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पूर्ण पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं | 02 |
| 2 | प्रगतिशील पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं | 06 |
| 3 | डी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं | 06 |
| 4 | पी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं | 11 |
| 5 | पी.पी.आर अनुमोदन हेतु प्रस्तावित | 05 |
| | **कुल योजनाऐं** | **30** |

**11.4 पूर्ण पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं :–**

| क्र | योजना का नाम/स्वीकृत आफर (रू. करोड में) | शासकीय संरचनाए/लागत | प्रगति |
|---|---|---|---|
| 1 | रीवा शहर में बाल भारती स्कूल के सामने स्थित 16734.00 वर्ग मीटर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना/ रू. 37.00 | नवीन कलेक्ट्रेट भवन आदि /रू. 18.60 करोड | योजना पूर्ण, अंतिम मूल्याकंन किया जा रहा है। |
| 2 | रीवा शहर में एसपी बंगले के सामने स्थित 4718.00 वर्ग मीटर वर्ग मीटर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना/ रू. 24.24 | आडिटोरियम एवं कुलपति निवास/ रू. 17.00 करोड | ––तदैव–– |

## भाग –तीन

**1. बजट**

1.1 मण्डल एक स्व वित्त पोषित संस्था है, मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं, निक्षेप एवं पुनर्धनत्वीकरण योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

1.1.1. मण्डल के अंतिम लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 विधान सभा पटल पर माह 18 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया ।

1.1.2. मण्डल गठन के पश्चात् वर्ष 2019–20 में सर्वाधित शुद्ध लाभ रू.20.00 करोड़ संभावित है, (आयकर पश्चात्)।

1.1.3. हितग्राहियों को आवास सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 6 राष्ट्रीयकृत बैंक व 6 वित्तीय संस्थानों (माईक्रो फायनेन्स) के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।

1.1.4. एन.एच.बी. एवं शासकीय ऋण की प्रीमेच्युर भुगतान एवं समस्त देयताओं का भुगतान कर मण्डल ऋणमुक्त संस्थान बन गया।

1.1.5. एन.पी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2005 के पश्चात सेवा में आने मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा काटी गई राशि एन.पी.एस. में जमा की जा रही है।

1.1.6. वित्तीय वर्ष 2019–20 पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 अनुमानित बजट अनुमोदन हेतु संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

1.1.7. वित्तीय वर्ष 2018–2019 संचालक मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

## भाग – चार

**1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**

(अ) अटल आश्रय योजना

(ब) पुनर्घनत्वीकरण योजना

(स) पी एम ए वाई (PMAY)

## भाग – पांच

### 1. सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) 01 अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 22 प्रश्न प्राप्त हुए (06 तारांकित प्रश्न, 13 अतारांकित प्रश्न, आश्वासन 00 ध्यानाकर्षण 03 अभ्यावेदन 00 राज्य सभा 00, शून्य काल सूचना 00 एवं 00 लोक सभा प्रश्न)। मण्डल द्वारा समय–सीमा में प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(ब) वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर 2019 तक स्थानांतरण/पदोन्नति/नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारीः–

| क्र. | विवरण | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | तृतीय श्रेणी | चतुर्थ श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्थानांतरण | 10 | 48 | 40 | 18 |
| 2 | पदोन्नति | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | नियुक्ति | 00 | 00 | 12 | 01 |

(स) वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर 2019 तक विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | दिसम्बर 2019 तक जॉच संस्थित शेष प्रकरण | 25 |
| 2 | दिसम्बर 2019 तक प्राप्त जॉच प्रतिवेदन | 18 |
| 3 | निराकृत प्रकरण | 6 |

## भाग – छः

### 1. राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

1.1 राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती नीता गुप्ता, लेखा अधिकारी (चालू प्रभार) एवं श्रीमती आरती नायक, वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मण्डल में कुल 144 महिला कर्मी है।

## भाग – सात

### 1. पहल 2019–2020 में 31 दिसम्बर 2019 तक विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु प्रयास एवं योजनाओं की भौतिक/ वित्तीय उपलब्धियॉ

- विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु ई–आफर, ई–पंजीयन के माध्यम से योजनाओं के पंजीयन/ऑफर आमंत्रित किये जा रहे है। निविदाओं का आमंत्रण ई–टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है।

- प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणीयों के भवन, भूखण्ड निर्मित किये जाते है व केन्द्र शासन व राज्य शासन के विभिन्न शासकीय एवं अर्ध–शासकीय विभागों हेतु निर्माण कार्यो का निक्षेप योजनांतर्गत निष्पादन किया जाता है।

- म.प्र.राज्य की रीयल एस्टेट पालिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तदोपरान्त शासन द्वारा माह अक्टूबर 2019 में ग्लोबल इनवेस्टर समिट में रियल एस्टेट पालिसी का विमोचन किया गया।
- विगत एक वर्ष में मण्डल द्वारा 20 आवासीय योजनाओं (लागत रू.336.00 करोड़) का निर्माण कार्य पूर्ण किए गये हैं ।
- विभिन्न शहरों में 10 मेगा आई.टी.आई. कार्य के अंतर्गत रू.56.00 करोड़ का निर्माण कार्य पूर्ण किया।
- आध्यात्म विभाग के 60 निर्माण कार्य पूर्ण किये।
- मण्डल की समस्त भूमि का सत्यापन एवं रिकार्ड का संधारण किया जा रहा है।
- म.प्र. के 10 बड़े शहरों में कौशल्य विकास विभाग के 10 मेगा आई.टी.आई. (लागत रू. 300.00 करोड़) के निर्माण प्रारम्भ किये गये।
- आध्यात्म विभाग के 240 निर्माण कार्य। (लागत रू.60.00 करोड़) प्रारम्भ किये गये।
- इंदौर जिले की महू तहसील की पुनर्घनत्वीकरण योजना का कार्य पूर्ण।
- इंदौर में आई.टी. पार्क का निर्माण पूर्ण किया।
- मण्डल की आवासीय योजनाओं के चयन हेतु प्रोजेक्ट एप्रेजल फ्रेमवर्क का निर्धारण किया गया।
- रेरा नियमों के परिपालन हेतु रेरा एप्रेजल फ्रेम वर्क का निर्धारण किया गया एवं मण्डल की संपत्ति विनियम से संबंधित नीतियों, परिपत्रों एवं गाईड लाईन में संशोधन किया गया।
- रिक्त पदों पर उपयंत्रियों एवं कार्यालय सहायकों की भर्ती की गई।
- सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सर्विसबुक शतप्रतिशत आनलाईन की गई।
- सभी आवंटियों के आनलाईन लीज एवं संपत्ति खातों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।
- सभी वित्तीय लेन देन आनलाईन केवल माध्यम से किये जा रहे है।
- निर्माण कार्य में विलंब हेतु मैदानी अधिकारियों के दायित्व का निर्धारण तथा समय पूर्व कार्य करने पर अधिकारियों व ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने की नीति का प्रारूप तैयार किया गया।
- मण्डल मुख्यालय भोपाल में गुणवत्ता नियंत्रण एवं नवीन तकनीक प्रकोष्ठ का गठन किया गया।
- मण्डल के निर्माण कार्यो के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु चैक लिस्ट को जारी की गई।
- क्वॉलिटी मॉनिटरिंग एवं क्वॉलिटी एश्योरेन्स विषय पर मण्डल के समस्त मैदानी अधिकारियों हेतु कार्य शाला का आयेाजन किया गया।
- माह दिसम्बर 2019 में मण्डल के अधिकारियों द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जयपुर में PIR Dry wall technology से निर्मित भवनों का अवलोकन किया गया।

- मण्डल के निर्माण कार्यो की मॉनीटरिंग हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट की नवीन तकनीक एवं गेंट चार्ट तथा आनलाईन पी.एम.आई.एस. का उपयोग करते हुए रियल टाईम बेसिस पर मॉनीटरिंग की जा रही है।

- मण्डल की संपत्तियों के प्रसार, तथा मण्डल आवंटियों की सुविधा एवं शिकायतों की जानकारी एवं त्वरित निराकरण हेतु ट्वीटर तथा फेसबुक का उपयोग प्रारंभ किया गया।

- 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक आनलाईन ई–आफर/ई–पंजीयन के माध्यम से मण्डल को पंजीयन राशि के रूप में राशि रू. 45.72 करोड़ प्राप्ति हुई।

- दरों का युक्तियुक्तकरण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय

- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय

- 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टस् में cost effectiveness परीक्षण अनिवार्य

- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर संपत्ति का विक्रय

- मण्डल तकनीकी कर्मियों को QUALITY CONTROL पर प्रशिक्षण

- मार्केटिंग सैल की स्थापना

- मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना

- उपयंत्री/सहायक यंत्रीयों को लेखा परीक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।

## 2. संरक्षात्मक उपाय

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण रखा जाता है। आरक्षित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके इसको प्रभावी बनाने के लिये विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

## 3. स्थानीय निकायों को कालोनी हस्तांतरण

3.1 वर्ष 2019–20 में (31 दिसम्बर 2019 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगर निकायों को हस्तांतरित कालोनियों की सूची :–

| क्र. | कालोनी का नाम एवं स्थान | स्वीकृत राशि (रू.लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | बाबा बैजनाथ नगर आगर मालवा (उज्जैन) | 36.00 |
| 2. | एकता परिसर अटल आश्रय छिन्दवाडा | 89.51 |
| | **योग** | **125.51** |

———

# मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

## भाग–एक

### 1. विभागीय संरचना

1.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय विंध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं। अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 4 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिक्ति जिलाध्यक्ष दर पर एक कम्प्यूटर टाइपिस्ट एवं अस्थाई रूप से म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के से.नि. लेखापाल को दिनांक 20.12.2019 से एक मुश्त मासिक दर पर नियुक्त किया गया है।

### 2. अधीनस्थ कार्यालय

2.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म. प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

### 3. निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं

3.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

### 4. निगम के दायित्व

4.1 राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

### 5. निगम से संबंधित सामान्य जानकारी

5.1 निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

5.2 वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

5.3 सामान्य रूप से म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

### 6. सामान्य या प्रमुख विशेषताएं

6.1 निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।

**महत्वपूर्ण सांख्यकी**

| क्रमांक | उपलब्धियॉं | हिग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|
| 01. | निर्मित आवास उपलब्ध कराना | 238 |
| 02. | विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना | 2,868 |

## भाग–दो

**1. बजट**

1.1 निगम एक स्ववित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

1.2 मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्त वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 200.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

1.3 निगम के वित्तीय वर्ष 2019–2020 एवं के खातों का अकेंक्षण का कार्य कराया जा रहा है।

## भाग–तीन

**1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**

**(अ) राज्य योजनाएं**

(अ).1 निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अंतर्गत दिसंबर, 2017 तक ग्वालियर, मंदसौर, नीमच (भू–खण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी, रीवा, दमोह एवं रतलाम, झाबुआ में लगभग रूपए 2,915.20 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 250 भू–खण्डों तथा विभिन्न श्रेणी के 46 भवनों का आवंटन किया गया तथा इस वर्ष विभिन्न श्रेणी के 168 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

(अ).2 महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसंबर, 2015 तक निगम द्वारा प्रदेश के 03 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 421 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रूपए 870.54 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रूपए 377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

**(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :– निरंक।**

**(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :– निरंक।**

**(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :– निरंक।**

## भाग–चार

**1. सामान्य प्रशासनिक विषय**

(अ) जॉच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों की जानकारी निरंक है। नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के संबंध में जानकारी भाग – एक विभागीय संरचना शीर्षक अनुसार है।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के संबंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 तक मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 01 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुआ। निगम द्वारा प्राप्त प्रश्न के संबंध में वॉछित जानकारी समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त विधानसभा से संबंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2019–2020 के अंतर्गत माह जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2019 तक इस निगम के एक न्यायालयीन प्रकरण दर्ज नही हुआ है। पूर्व के न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है। एवं सभी प्रकरणों में निगम की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त है

## भाग–पाँच

**1. अभिनव योजना** निरंक।

## भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

## भाग–सात

**1. महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी**

1.1 निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अंतर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू–खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2015–16 में 21 आवासीय भू–खण्डों इस प्रकार कुल 406 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

## भाग–आठ

**1. सारांश**

1.1 इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह, रतलाम एवं झाबुआ में विभिन्न श्रेणी के 2868 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में संबंधित सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रूपए 1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू–खण्डों के विकास का कार्य प्रारंभ /पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

————————

परिशिष्ट–एक

## संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

| स.क्र. | पदनाम | स्वीकृत पद संख्या | भरे पद संख्या | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | आयुक्त | 01 | 01 | 00 |
| 2 | अपर आयुक्त | 03 | 03 | 00 |
| 3 | अपर आयुक्त/अपर संचालक (फायर) | 01 | 00 | 01 |
| 4 | अपर संचालक | 03 | 02 | 01 |
| 5 | संयुक्त संचालक | 06 | 06 | 00 |
| 6 | उप संचालक | 08 | 04 | 04 |
| 7 | उप संचालक (फायर) | 01 | 00 | 01 |
| 8 | सहायक संचालक | 11 | 09 | 02 |
| 9 | सहायक संचालक (फायर) | 02 | 00 | 02 |
| 10 | लेखा अधिकारी | 01 | 01 | 00 |
| 11 | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | 04 | 03 | 01 |
| 12 | अधीक्षक | 09 | 05 | 04 |
| 13 | वरिष्ठ निज सहायक | 02 | 00 | 02 |
| 14 | निज सहायक | 04 | 01 | 03 |
| 15 | शीघ्रलेखक वर्ग–3 | 09 | 06 | 03 |
| 16 | सहायक वर्ग–1 | 19 | 13 | 06 |
| 17 | सहायक वर्ग–1 (फायर) | 01 | 00 | 01 |
| 18 | सहायक वर्ग–1 (सांख्ये.) | 01 | 01 | 00 |
| 19 | लेखापाल | 07 | 00 | 07 |
| 20 | लेखापाल चुंगी | 01 | 00 | 01 |
| 21 | सहायक वर्ग–2 | 27 | 18 | 09 |
| 22 | सहायक वर्ग–2 (फायर) | 01 | 00 | 01 |
| 23 | सहायक वर्ग–3 | 52 | 24 | 28 |
| 24 | सहायक वर्ग–3 (फायर) | 02 | 02 | 00 |
| 25 | वाहन चालक | 12 | 04 | 08 |
| 26 | दफ्तरी | 00 | 01 | 01 अधिक |
| 27 | भृत्य | 16 | 20 | 04 अधिक |
| 28 | भृत्य (फायर–आउटसोर्स) | 06 | 00 | 06 |
| | **योग** | **210** | **123** | **–** |

————————

## संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

| स.क्र. | पदनाम | स्वीकृत पद संख्या | भरे पद संख्या | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | संयुक्त संचालक | 10 | 08 | 02 |
| 2. | उप संचालक | 03 | 00 | 03 |
| 3. | सहायक संचालक | 10 | 06 | 04 |
| 4. | सहायक संचालक (फायर) | 04 | 00 | 04 |
| 5. | शीघ्रलेखक वर्ग–1 | 02 | 00 | 02 |
| 6. | शीघ्रलेखक वर्ग–2 | 05 | 00 | 05 |
| 7. | शीघ्रलेखक वर्ग–3 | 10 | 04 | 06 |
| 8. | अधीक्षक | 10 | 04 | 06 |
| 9. | सहायक वर्ग–1 | 20 | 15 | 05 |
| 10. | लेखापाल | 10 | 01 | 09 |
| 11. | सहायक वर्ग–2 | 30 | 16 | 14 |
| 12 | सहायक वर्ग–3 | 40 | 14 | 26 |
| 13 | सहायक वर्ग–3 (फायर) | 04 | 02 | 02 |
| 14 | वाहन चालक | 13 | 01 | 12 |
| 15 | भृत्य | 20 | 11 | 09 |
| | **योग** | **191** | **83** | **108** |

————————

## संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

| स.क्र. | पदनाम | स्वीकृत पद संख्या | भरे पद संख्या | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | प्रमुख अभियंता | 01 | 00 | 01 |
| 2. | मुख्य अभियंता | 01 | 01 | 00 |
| 3. | विशेष कर्त्तव्यस्थ अधि. | 03 | 02 | 01 |
| 4. | अधीक्षण यंत्री | 03 | 03 | 00 |
| 5. | कार्यपालन यंत्री | 06 | 06 | 00 |
| 6. | सहायक यंत्री | 06 | 06 | 00 |
| 7. | प्रशासकीय अधिकारी | 01 | 00 | 01 |
| 8. | सहायक संचालक | 01 | 01 | 00 |
| 9. | शीघ्रलेखक वर्ग–1 | 01 | 01 | 00 |
| 10. | शीघ्रलेखक वर्ग–2 | 02 | 02 | 00 |
| 11. | शीघ्रलेखक वर्ग–3 | 13 | 03 | 10 |
| 12. | उपयंत्री | 00 | 22 | 00 |
| 13. | सहायक अधीक्षक | 01 | 00 | 01 |
| 14. | सहायक वर्ग–1 | 10 | 00 | 10 |
| 15. | लेखापाल | 01 | 00 | 01 |
| 16. | सहायक वर्ग–2 | 10 | 03 | 07 |
| 17. | मानचित्रकार | 02 | 01 | 01 |
| 18. | स्टेनोटायपिस्ट | 01 | 00 | 01 |
| 19. | अंग्रेजी टायपिस्ट | 01 | 00 | 01 |
| 20. | अनुरेखक (ट्रेसर) | 01 | 00 | 01 |
| 21. | सहायक वर्ग–3 | 20 | 19 | 01 |
| 22. | व्यवस्थापक | 01 | 00 | 01 |
| 23. | इलेक्ट्रीशियन | 01 | 00 | 01 |
| 24. | वाहन चालक | 17 | 14 | 03 |
| 25. | भृत्य | 11 | 11 | 00 |
| 26. | चेनेमेन | 01 | 00 | 01 |
| 27. | माली | 03 | 01 | 02 |
| 28. | चौकीदार | 08 | 07 | 01 |
| 29. | मॉडलर | 02 | 00 | 02 |
| 30. | पंप अटेडेंट | 01 | 01 | 00 |
| 31. | वाटर मेन | 01 | 00 | 01 |
| 32. | सफाई कर्मचारी | 06 | 01 | 05 |
| | **योग** | **137** | **105** | |

————————

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

| क्रमांक | पदनाम | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अधीक्षण यंत्री | 10 | 0 | 10 |
| 2. | कार्यपालन यंत्री | 20 | 10 | 10 |
| 3. | विशेष कर्तव्यस्थ अधि. | 2 | 0 | 2 |
| 4. | सहायक यंत्री | 20 | 9 | 11 |
| 5. | मानचित्रकार | 7 | 1 | 6 |
| 6. | ट्रेसर | 7 | 0 | 7 |
| 7. | सहायक वर्ग–2 | 2 | 2 | 0 |
| 8. | सहायक वर्ग–3 | 14 | 14 | 0 |
| 9. | वाहन चालक | 7 | 3 | 4 |
| 10. | भृत्य | 14 | 14 | 0 |
| | चौकीदार | 8 | 4 | 4 |
| | योग | **111** | **57** | **54** |

————————

## जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

| क्र. | पदनाम | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परियोजना अधिकारी | 50 | 38 | 12 | प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। |
| 2 | सहायक परियोजना अधिकारी | 62 | 30 | 32 | प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। |
| 3 | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | 38 | 0 | 38 | प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। |
| 4 | आशुलिपिक/स्टेनो टाइपिस्ट | 50 | 9 | 41 | प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरे जाते हैं। |
| 5 | वाहन चालक | 25 | 15 | 10 | प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरे जाते हैं। |
| 6 | भृत्य | 88 | 20 | 68 | संविदा से भरे जाते हैं। |
| 7 | फर्राश सह चौकीदार | 35 | 12 | 23 | संविदा से भरे जाते हैं। |
| | योग | **348** | **124** | **224** | |

नोट :– रिक्त पदों पर जिला मुख्यालय की नगरीय निकायों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं।

————————

परिशिष्ट–दो

# प्रदेश के नगरीय निकायों की संभागवार/जिलावार सूची

| संभाग का नाम | जिले का नाम | नगर पालिक निगम | नगरपालिका परिषद | नगर परिषद |
|---|---|---|---|---|
| **1. चंबल** | 1. श्योपुरकलां | | 1. श्योपुरकलां | 1. विजयपुर<br>2. बड़ौदा |
| | 2. मुरैना | 1. मुरैना | 2. अम्बाह<br>3. पोरसा<br>4. सबलगढ़ | 3. जौरा<br>4. कैलारस<br>5. झुण्डपुरा<br>6. बामौर |
| | 3. भिण्ड | | 5. भिण्ड<br>6. गोहद | 7. मेहगांव<br>8. लहार<br>9. गोरमी<br>10. अकोड़ा<br>11. मिहोना<br>12. आलमपुर<br>13. दबोह<br>14. मौ<br>15. फूफकलां |
| **2. ग्वालियर** | 4. ग्वालियर | 2. ग्वालियर | 7. डबरा | 16. पिछोर<br>17. बिलौआ<br>18. आंतरी<br>19. भितरवार<br>20. मोहना |
| | 5. शिवपुरी | | 8. शिवपुरी | 21. करेरा<br>22. कोलारस<br>23. खनियाधाना<br>24. पिछोर<br>25. बदरवास<br>26. नरवर<br>27. बैराड<br>28. पोहरी*<br>29. मगरौनी* |
| | 6. गुना | | 9. गुना<br>10. राधोगढ़ | 30. चाचौडाबीनागंज<br>31. आरोन<br>32. कुंभराज<br>33. मधुसूदनगढ़* |
| | 7. अशोकनगर | | 11. अशोकनगर<br>12. चंदेरी | 34. मुंगावली<br>35. ईसागढ<br>36. शाढौरा<br>37. पिपरई* |
| | 8. दतिया | | 13. दतिया | 38. भांण्डेर<br>39. इंदरगढ़<br>40. सेवड़ा<br>41. बड़ोनी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. **उज्जैन** | 9. देवास | 3. देवास | | 42. कन्नौद<br>43. सोनकच्छ<br>44. खातेगांव<br>45. हाटपिपल्या<br>46. बागली<br>47. भौरासा<br>48. करनावद<br>49. काटाफोड़<br>50. लोहारदा<br>51. सतवास<br>52. टोंकखुर्द<br>53. पिपलरंवा<br>54. नेमावर |
| | 10. रतलाम | 4. रतलाम | 14. जावरा | 55. ताल<br>56. सैलाना<br>57. आलोट<br>58. नामली<br>59. बड़ावदा<br>60. पिपलौदा<br>61. धामनौद |
| | 11. शाजापुर | | 15. शाजापुर<br>16. शुजालपुर | 62. मक्सी<br>63. अकोदिया<br>64. पोलायकलां<br>65. पानखेडी |
| | 12. आगर | | 17. आगर | 66. नलखेड़ा<br>67. बडौद<br>68. कानड़<br>69. सुसनेर<br>70. सोयतकलां<br>71. बड़ागांव |
| | 13. मंदसौर | | 18. मंदसौर | 72. शामगढ़<br>73. सीतामऊ<br>74. पिपल्यामंडी<br>75. नारायणगढ़<br>76. मल्हारगढ़<br>77. भानपुरा<br>78. नगरी<br>79. गरोठ<br>80. सुवासरा |
| | 14. नीमच | | 19. नीमच | 81. मनासा<br>82. रामपुरा<br>83. जावद<br>84. जीरन<br>85. रतनगढ़<br>86. सिंगोली<br>87. डिकेन<br>88. कुकड़ेश्वर<br>89. नयागांव<br>90. अठाना<br>91. सरवनिया महाराज |
| | 15. उज्जैन | 5. उज्जैन | 20. बड़नगर | 92. तराना |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21. महिदपुर<br>22. खाचरोद<br>23. नागदा | 93. उन्हेल<br>94. माकडोन |
| **4. इंदौर** | 16. इंदौर | 6. इंदौर | | 95. देपालपुर<br>96. सांवेर<br>97. गौतमपुरा<br>98. बेटमा<br>99. राऊ<br>100. हातौद<br>101. मानपुर<br>102. महुगांव |
| | 17. धार | | 24. धार<br>25. मनावर<br>26. पीथमपुर | 103. राजगढ़<br>104. कुक्षी<br>105. बदनावर<br>106. धरमपुरी<br>107. धामनौद<br>108. सरदारपुर<br>109. मांडव<br>110. डही |
| | 18. अलीराजपुर | | 27. अलीराजपुर | 111. जोबट<br>112. भावरा |
| | 19. झाबुआ | | 28. झाबुआ | 113. थांदला<br>114. पेटलावद<br>115. रानापुर<br>116. मेघनगर |
| | 20. पश्चिम निमाड़ (खरगौन) | | 29. खरगौन<br>30. सनावद<br>31. बड़वाह | 117. मण्डलेश्वर<br>118. कसरावद<br>119. भीकनगांव<br>120. महेश्वर<br>121. करही एवं पांडल्याखुर्द |
| | 21. बड़वानी | | 32. सेंधवा<br>33. बड़वानी | 122. अंजड़<br>123. राजपुर<br>124. खेतिया<br>125. पानसेमल<br>126. पलसूद<br>127. निवाली बुजुर्ग* |
| | 22. पूर्व निमाड़ (खंडवा) | 7. खंडवा | | 128. मूंदी<br>129. पंधाना<br>130. ओंकारेश्वर<br>131. छनेरा |
| | 23. बुरहानपुर | 8. बुरहानपुर | 34. नेपानगर | 132. शाहपुर |
| **5. भोपाल** | 24. भोपाल | 9. भोपाल | 35. बैरसिया | |
| | 25. सीहोर | | 36. सीहोर<br>37. आष्टा | 133. इछावर<br>134. बुदनी<br>135. जावर<br>136. नसरूल्लागंज<br>137. रेहटी<br>138. कोठरी<br>139. शाहगंज |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 26. रायसेन | | 38. रायसेन<br>39. बेगमगंज<br>40. मण्डीदीप | 140. औबेदुल्लागंज<br>141. सुल्तानपुर<br>142. बरेली<br>143. बाड़ी<br>144. सांची<br>145. उदयपुरा<br>146. सिलवानी<br>147. गैरतगंज |
| | 27. राजगढ़ | | 41. राजगढ<br>42. नरसिंहगढ़<br>43. सारंगपुर<br>44. ब्यावरा | 148. जीरापुर<br>149. कुरावर<br>150. खिलचीपुर<br>151. तलेन<br>152. बोड़ा<br>153. खुजनेर<br>154. पचोर<br>155. सुठालिया<br>156. माचलपुर<br>157. छापीहेड़ा |
| | 28. विदिशा | | 45. विदिशा<br>46. गंज बासौदा<br>47. सिरोंज | 158. कुरवाई<br>159. लटेरी<br>160. शमशाबाद |
| **6. नर्मदापुरम्** | 29. बैतूल | | 48. बैतूल<br>49. आमला<br>50. सारणी<br>51. मुलताई | 161. बैतूल बाजार<br>162. भैंसदेही<br>163. आठनेर<br>164. चिचोली |
| | 30. होशंगाबाद | | 52. होशंगाबाद<br>53. इटारसी<br>54. सिवनीमालवा<br>55. पिपरिया | 165. बाबई<br>166. सोहागपुर<br>167. बनखेड़ी |
| | 31. हरदा | | 56. हरदा | 168. टिमरनी<br>169. खिड़किया |
| **7. सागर** | 32. सागर | 10. सागर | 57. बीना इटावा<br>58. खुरई<br>59. गढ़ाकोटा<br>60. रेहली<br>61. देवरी<br>62. मकरोनिया बुजुर्ग | 170. राहतगढ़<br>171. बंडा<br>172. शाहपुर<br>173. शाहगढ |
| | 33. दमोह | | 63. दमोह<br>64. हटा | 174. तेंदुखेड़ा<br>175. पथरिया<br>176. हिन्डोरिया<br>177. पटेरा |
| | 34. पन्ना | | 65. पन्ना | 178. अमानगंज<br>179. देवेन्द्र नगर<br>180. अजयगढ़<br>181. ककरहटी<br>182. पवई<br>183. गुन्नौर* |
| | 35. छतरपुर | | 66. छतरपुर<br>67. नौगांव<br>68. महाराजपुर | 184. धुवारा<br>185. सटई<br>186. बारीगढ़ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 187. बिजावर<br>188. गढ़ीमल्हरा<br>189. बक्सवाहा<br>190. चंदला<br>191. बड़ामल्हरा<br>192. हरपालपुर<br>193. लवकुशनगर<br>194. खजुराहो<br>195. राजनगर |
| | 36. टीकमगढ़ | | 69. टीकमगढ़ | 196. बल्देवगढ़<br>197. खरगापुर<br>198. पलेरा<br>199. जतारा<br>200. लिधोराखास<br>201. बड़ागांव<br>202. कारी |
| | 37. निवाड़ी | | | 203. निवाड़ी<br>204. पृथ्वीपुर<br>205. जैरोनखालसा<br>206. तरीचरकलां<br>207. ओरछा |
| **8. जबलपुर** | 38. जबलपुर | 11. जबलपुर | 70. पनागर<br>71. सिहोरा | 208. बरेला<br>209. भेड़ाघाट<br>210. शाहपुरा<br>211. पाटन<br>212. मझौली<br>213. कटंगी |
| | 39. कटनी | 12. मुड़वारा कटनी | | 214. बरही<br>215. कैमोर<br>216. विजयराधवगढ़ |
| | 40. नरसिंहपुर | | 72. नरसिंहपुर<br>73. गाडरवारा<br>74. करेली<br>75. गोटेगांव | 217. तेंदूखेड़ा<br>218. सालीचौका<br>219. सांईखेडा<br>220. चीचली |
| | 41. छिन्दवाड़ा | 13. छिंदवाड़ा | 76. पांढुर्ना<br>77. जुन्नारदेव जामई<br>78. डोंगर परासिया<br>79. दमुआ<br>80. चौरई<br>81. अमरवाड़ा<br>82. सौंसर | 221. हर्रई<br>222. लोधीखेड़ा<br>223. न्यूटन चिखली<br>224. चांदामेटा बुटारिया<br>225. मोहगांव<br>226. बडकुही<br>227. पिपलानारायणवार<br>228. बिछुआ<br>229. चांद |
| | 42. सिवनी | | 83. सिवनी | 230. लखनादौन<br>231. बरघाट |
| | 43. मंडला | | 84. मंडला<br>85. नैनपुर | 232. बम्हनीबंजर<br>233. निवास<br>234. बिछिया |
| | 44. डिण्डोरी | | | 235. डिण्डोरी<br>236. शाहपुरा |
| | 45. बालाघाट | | 86. बालाघाट | 237. कटंगी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 87. वारासिवनी<br>88. मलाजखंड | 238. बैहर<br>239. लांजी |
| **9. रीवा** | 46. रीवा | 14. रीवा | | 240. बैंकुंठपुर<br>241. मउगंज<br>242. त्यौंथर<br>243. हनुमना<br>244. चाकघाट<br>245. गोविन्दगढ.<br>246. नईगढ़ी<br>247. सिरमौर<br>248. मनगवां<br>249. सेमरिया<br>250. गुढ़ |
| | 47. सिंगरौली | 15. सिंगरौली | | |
| | 48. सीधी | | 89. सीधी | 251. चुरहट<br>252. रामपुरनेकिन<br>253. मझोली |
| | 49. सतना | 16. सतना | 90. मैहर | 254. नागौद<br>255. बिरसिंहपुर<br>256. जैतवारा<br>257. कोटर<br>258. कोठी<br>259. अमरपाटन<br>260. रामपुर–बघेलान<br>261. उचेहरा<br>262. चित्रकूट<br>263. न्यू रामनगर |
| **10. शहडोल** | 50. उमरिया | | 91. उमरिया<br>92. पाली | 264. चंदिया<br>265. नौरोजाबाद |
| | 51. शहडोल | | 93. शहडोल<br>94. धनपुरी | 266. बुढ़ार<br>267. ब्यौहारी<br>268. जयसिंहनगर<br>269. खाण्ड |
| | 52. अनूपपुर | | 95. अनूपपुर<br>96. कोतमा<br>97. पसान<br>98. बिजूरी | 270. जैतहरी<br>271. अमरकंटक<br>272. वनगवां (राजनगर) |

| | |
|---|---|
| **नगर पालिक निगम** | **16** |
| **नगरपालिका परिषद** | **98** |
| **नगर परिषद** | **272** |
| **योग** | **386** |

*नव गठित नगर परिषद्।

————————

परिशिष्ट–तीन (एक)

## संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
## वित्तीय वर्ष 2019–20 का बजट

(राशि करोड़ में)

| स. क्र. | मांग संख्या | मुख्य शीर्ष | योजना क्रमांक | योजना का नाम | बजट प्रावधान वर्ष 2019–20 (प्रथम अनुपूरक अनुमान सहित) | व्यय 31 दिसम्बर 2019 तक व्यय | व्यय का प्रतिशत | शेष (6–7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | **राजस्व** | | | | |
| 1 | 22 | 2217 | 1263 | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (दीनदयाल अन्त्योंदय योजना (NULM) | 98.75 | 87.17 | 88 | 11.58 |
| 2 | 22 | 2217 | 7706 | स्वच्छ भारत अभियान | 215.00 | 105.55 | 49 | 109.45 |
| 3 | 22 | 2217 | 1238 | Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) | 2000.00 | 1111.74 | 56 | 888.26 |
| 4 | 22 | 2217 | 1237 | Hosing For All | 4200.00 | 867.88 | 21 | 3332.12 |
| 5 | 22 | 2217 | 7056 | Fire Services | 18.19 | 6.55 | 36 | 11.64 |
| 6 | 22 | 2217 | 7147 | लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे/अध्ययन | 0.18 | 0.10 | 56 | 0.08 |
| 7 | 22 | 2217 | 6022 | Mass Rapid Transport system survey | 9.09 | 5.09 | 56 | 4.00 |
| 8 | 22 | 2217 | 6047 | प्रशिक्षण | 5.00 | 1.8000 | 36 | 3.20 |
| 9 | 22 | 2217 | 0179 | सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना | 0.59 | 0.21 | 36 | 0.38 |
| 10 | 22 | 2217 | 7704 | Dedicated Urban Transport Fund (DUTF) | 5.45 | 2.55 | 47 | 2.90 |
| 11 | 22 | 2217 | 2045 | शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का ब्याज अनुदान | 4.55 | 1.00 | 22 | 3.55 |
| 12 | 22 | 2217 | 0681 | रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी | 2.00 | 1.12 | 56 | 0.88 |
| 13 | 22 | 2217 | 1947 | रियल एस्टेट रेगुलेशन एवं विकास, अपीलीय अधिकरण | 2.00 | 1.12 | 56 | 0.88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 2215 | 1249 | प्रदेश की जलमल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य | 18.19 | 10.18 | 56 | 8.01 |
| 15 | 22 | 2217 | 2288 | नगरीय क्षेत्रों में तीर्थ यात्री कर को समाप्त कर क्षतिपूर्ति अनुदान | 0.91 | 0.51 | 56 | 0.40 |
| 16 | 22 | 2217 | 5373 | युवा स्वाभिमान योजना | 150.00 | 22.39 | 15 | 127.61 |
| 17 | 64 | 2217 | 7146 | मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना | 44.37 | 25.30 | 57 | 19.07 |
| 18 | 64 | 2217 | 7145 | मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना | 16.55 | 9.11 | 55 | 7.44 |
| 19 | 64 | 2217 | 7144 | मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन | 14.55 | 7.82 | 54 | 6.73 |
| 20 | 64 | 2217 | 7707 | मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना | 16.00 | 8.96 | 56 | 7.04 |
| 21 | 64 | 2217 | 7709 | मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आर्थिक कल्याण योजना | 8.00 | 4.48 | 56 | 3.52 |
| 22 | 64 | 2217 | 1425 | पंजीयन एवं मुद्राक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय | 400.00 | 332.3200 | 83 | 67.68 |
| 23 | 22/64 | 2217 | 7357 | झीलों और तालाबों का संरक्षण एवं संवर्द्धन | 30.89 | 13.01 | 42 | 17.88 |
| 24 | 22/64 | 2217 | 7029 | राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान | 5.45 | 4.8147 | 88 | 0.64 |
| 25 | 22/64 | 2217 | 7039 | शहरी सुधार कार्यक्रम | 50.00 | 22.91 | 46 | 27.09 |
| 26 | 22 | 2217 | 0852 | दीनदयाल रसोई घर योजना | 10.0003 | 0.00 | 0 | 10.00 |
| 27 | 22 | 2217 | 5468 | पेयजल का अधिकार | 10.0000 | 0.00 | 0 | 10.00 |
| 28 | 22 | 2217 | 5394 | ग्वारीघाट में केबल ब्रिज निर्माण | 0.0001 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | 22 | 2217 | 5475 | नर्मदा रिवर फ्रंट विकास | 0.0001 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | 22 | 2217 | 9488 | मुख्यमत्री अधोसंरचना विकास (फेस–3) (प्रथम अनुपूरक में प्राप्त) | 10.0000 | 0.00 | 0 | 10.00 |
| | | | | **योग** | **7345.71** | **2653.69** | 36 | **4692.02** |
| **पूंजीगत** | | | | | | | | |
| 31 | 22 | 4217 | 7705 | Smart City | 525.00 | 300.00 | 57 | 225.00 |
| 32 | 22 | 4217/ 6217 | 7711 | M.P.Urban Development Project ( MPUDP) (World Bank) | 240.00 | 59.00 | 25 | 181.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 4217 | 5374 | M.P. Urban Services Improvement Programme ( MPUSIP) Phase-II | 10.00 | 7.00 | 70 | 3.00 |
| 34 | 22/64 | 2217/ 4217/ 6217 | 7336 | M.P. Urban Services Improvement Programme ( MPUSIP) (EAP) (ADB) | 488.19 | 233.69 | 48 | 254.50 |
| 35 | 22/64 | 4217/ 6217 | 1262 | M.P.Urban Sanitation and Environment Sector Project ( MPUSEP)- EAP (KFW) | 100.00 | 50.00 | 50 | 50.00 |
| 36 | 22/64 | 2217/ 4217 | 6440 | शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण (GEF) | 4.55 | 2.5467 | 56 | 2.00 |
| 37 | 22 | 4217 | 5372 | Super Mini Smart City | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 |
| 38 | 22 | 4217/ 6217 | 2043 | Metro Rail | 100.00 | 70.00 | 70 | 30.00 |
| 39 | 22 | 6217 | 9492 | उज्जैन स्मार्ट सिटी हेतु भारत सरकार से प्रदाय ऋण/सहायता (प्रथम अनुपूरक में प्राप्त) | 8.0000 | 0.00 | 0 | 8.00 |
| | | | | **योग** | **1525.74** | **722.24** | 47 | **803.50** |
| | | | | **महायोग** | **8871.45** | **3375.92** | 38 | **5495.53** |

———

परिशिष्ट–तीन (दो)

## संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
## वित्तीय वर्ष 2019–20 का बजट

(राशि करोड़ में)

| स. क्र. | मांग संख्या | मुख्य शीर्ष | योजना क्रमांक | योजना का नाम | बजट प्रावधान वर्ष 2019–20 (प्रथम अनुपूरक सहित) | व्यय 31 दिसम्बर 2019 तक | व्यय का प्रतिशत | शेष (6–7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | **राजस्व** | | | | |
| 1 | 64 | 2217 | 1239 | 14वां वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान | 1242.36 | 621.18 | 50 | 621.18 |
| 2 | 64 | 2217 | 1325 | 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान | 717.33 | 0.00 | 0 | 717.33 |
| 3 | 22 | 2217 | 6148-53-000 | स्थानीय निकाय संचालनालय | 0.50 | 0.00 | 0 | 0.50 |
| 4 | 22 | 2217 | 5831 | म.प्र.सफाई कामगार आयोग का गठन (वेतन भत्ते) | 0.0400 | 0.01 | 16 | 0.03 |
| 5 | 22 | 2217 | 6148 | नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय (वेतन भत्ते) | 14.69 | 9.93 | 68 | 4.76 |
| 6 | 22 | 2217 | 6286 | लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान | 0.0004 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 22 | 2217 | 7300 | स्व.सुशील चंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना | 0.0001 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 22 | 2217 | 7400 | सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये | 0.0065 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| 9 | 22 | 2217 | 7406 | म.प्र. राज्य केश शिल्पी मण्डल | 0.0200 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| 10 | 22 | 2217 | 7407 | म.प्र.राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल | 0.0200 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| 11 | 22 | 2217 | 7408 | म.प्र.राज्य सिलाई कला मण्डल | 0.0100 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| 12 | 64 | 3604 | 2181 | नगरीय जल प्रदाय योजनाएं (जल संधारण) | 22.40 | 15.68 | 70 | 6.72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 64 | 3604 | 6062 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति | 0.40 | 0.00 | 0 | 0.40 |
| 14 | 64 | 3604 | 6063 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान | 0.40 | 0.00 | 0 | 0.40 |
| 15 | 64 | 3604 | 6602 | स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान | 6.65 | 2.39 | 36 | 4.26 |
| 16 | 64 | 3604 | 7333 | निर्यातकर – क्षतिपूर्ति | 134.07 | 74.46 | 56 | 59.61 |
| 17 | 64 | 3604 | 7398 | नगरीय निकायों के लिए स्वच्छता पुरस्कार योजना | 10.24 | 1.32 | 13 | 8.92 |
| 18 | 64 | 3604 | 7668 | स्थानीय निकायों को मूलभत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) | 398.12 | 221.84 | 56 | 176.28 |
| 19 | 64 | 3604 | 8017 | वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान | 228.46 | 115.18 | 50 | 113.28 |
| 20 | 64 | 3604 | 8018 | प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण | 3200.00 | 2460.00 | 77 | 740.00 |
| 21 | 64 | 3604 | 8860 | वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण | 914.82 | 504.56 | 55 | 410.26 |
| 22 | 64 | 3604 | 9436 | यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान | 93.99 | 52.63 | 56 | 41.36 |
| 23 | 64 | 3604 | 4035 | पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण | 202.00 | 113.12 | 56 | 88.88 |
| 24 | 22 | 3604 | 1240 | दुर्घटना में मृत सफाई कर्मियों को क्षतिपूर्ति अनुदान | 0.2000 | 0.10 | 50 | 0.10 |
| | | | | **योग** | **7186.73** | **4192.40** | 58 | **2994.33** |
| | | | | **पूंजीगत** | | | | |
| 25 | 64 | 3604 | 5728 | पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज | 13.67 | 0.00 | 0 | 13.67 |
| 26 | 64 | 3604 | 3115 | भू–अर्जन हेतु मुआवजा | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| | | | | **योग** | **13.68** | **0.00** | **0.00** | **13.68** |
| | | | | **महायोग** | **7200.41** | **4192.40** | **58.34** | **3008.01** |

————————

परिशिष्ट–चार

## अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(रूपये करोड में)

| क्र. | निकाय का नाम | जल प्रदाय | सीवरेज | स्टार्म वाटर ड्रेन | लोक परिवहन | हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास | कुल | कुल व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इन्दौर | 593.72 | 273.35 | 0 | 40 | 24.99 | **932.06** | **541.73** |
| 2 | भोपाल | 438.96 | 442 | 130.38 | 51.91 | 22.24 | **1085.49** | **631.98** |
| 3 | जबलपुर | 143.34 | 362.31 | 0 | 30 | 17.58 | **553.23** | **180.93** |
| 4 | ग्वालियर | 320.65 | 381.3 | 19.14 | 25 | 9.88 | **755.97** | **326.11** |
| 5 | उज्जैन | 0 | 402.01 | 0 | 15 | 7.5 | **424.51** | **131.39** |
| 6 | देवास | 22.51 | 0 | 10.17 | 10 | 3.61 | **46.29** | **11.86** |
| 7 | मुरैना | 0 | 138.16 | 0 | 8 | 2 | **148.16** | **95.78** |
| 8 | सतना | 41.5 | 191.56 | 14.47 | 8 | 4.46 | **259.99** | **90.98** |
| 9 | सागर | 0 | 299.1 | 0 | 0 | 4.5 | **303.6** | **117.38** |
| 10 | रतलाम | 0 | 123.85 | 12.09 | 8 | 3 | **146.94** | **84.14** |
| 11 | रीवा | 35.58 | 199.37 | 18.55 | 10 | 0.83 | **264.33** | **89.32** |
| 12 | कटनी | 24.1 | 96.5 | 0 | 10 | 3.01 | **133.61** | **39.16** |
| 13 | सिंगरौली | 41.51 | 110.46 | 0 | 8 | 3 | **162.97** | **52.66** |
| 14 | छिंदवाड़ा | 73.56 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | **82.06** | **53.09** |
| 15 | बुरहानपुर | 0 | 92.8 | 0 | 6 | 1.68 | **100.48** | **62.3** |
| 16 | खण्डवा | 53.11 | 0 | 0 | 6 | 1.74 | **60.85** | **52.89** |
| 17 | भिण्ड | 0 | 84.16 | 0 | 4 | 1.3 | **89.46** | **60.7** |
| 18 | गुना | 29.88 | 81.09 | 0 | 4 | 2.5 | **117.47** | **31.11** |
| 19 | शिवपुरी | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | **20.81** | **7.33** |
| 20 | विदिशा | 0 | 97.44 | 0 | 0 | 1.99 | **99.43** | **64.01** |
| 21 | छतरपुर | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | **77.2** | **28.42** |
| 22 | मंदसौर | 55.26 | 0 | 5.7 | 0 | 2.14 | **63.1** | **48.96** |
| 23 | खरगौन | 0 | 61.19 | 0 | 0 | 1.25 | **62.44** | **39.85** |
| 24 | नीमच | 16.18 | 62.03 | 0 | 0 | 1.98 | **80.19** | **60.42** |
| 25 | पीथमपुर | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | **85.22** | **77.39** |
| 26 | दमोह | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 2.23 | **9.96** | **1.17** |
| 27 | होशंगाबाद | 47.67 | 0 | 9.97 | 0 | 0.77 | **58.41** | **37.12** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | सीहोर | 12.83 | 66 | 0 | 0 | 1.14 | **79.97** | **79.05** |
| 29 | बैतूल | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | **32.55** | **32.12** |
| 30 | सिवनी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0.00** | **0.00** |
| 31 | दतिया | 18.66 | 55.24 | 0 | 0 | 0 | **73.9** | **46.67** |
| 32 | नागदा | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | **14.07** | **11.27** |
| 33 | डबरा | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | **45.62** | **0.51** |
| 34 | ओंकारेश्वर | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0.74 | **4.408** | **1.2** |
| | **योग** | **2,238.25** | **3,619.92** | **228.20** | **253.58** | **134.80** | **6,474.75** | **3,189.00** |

# अमृत मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति

| क्र. | निकाय का नाम | कार्य का नाम | परियोजना की राशि (रू.करोड में) | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इन्दौर | जल प्रदाय पैकेज–1 (इन्दौर) | 280.00 | कार्य प्रगति पर है, 75.66 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय पैकेज–2 (इन्दौर) | 287.17 | कार्य प्रगति पर है, 62.74 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय पैकेज–3 (इन्दौर) | 26.55 | कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज पैकेज–1 (इन्दौर) | 183.60 | कार्य प्रगति पर है, 59.6 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज पैकेज–2 (इन्दौर) | 89.75 | कार्य प्रगति पर है, 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 2 | भोपाल | जल प्रदाय (भोपाल एक्सटेंडेड ऐरिया) | 263.71 | कार्य प्रगति पर है, 84.4 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय (कोलार–ग्रेविटी मेन) | 145.18 | कार्य प्रगति पर है, 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय (भौंरी) | 19.34 | कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज (भोज वेटलैड) | 145.00 | कार्य प्रगति पर है, 42.85 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज (शाहपुरा झील) | 135.00 | कार्य प्रगति पर है, 23.03 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज (कोलार) | 162.00 | कार्य प्रगति पर है, 31.08 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 3 | जबलपुर | जल प्रदाय | 143.34 | कार्य प्रगति पर है, 63.62 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 362.31 | कार्य प्रगति पर है, 24.34 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 4 | ग्वालियर | जल प्रदाय पैकेज–1 (रॉ वाटर) | 42.30 | कार्य प्रगति पर है, 77.89 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय पैकेज–2 | 278.35 | कार्य प्रगति पर है, 40.62 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज पैकेज–1 (मुरार) | 207.97 | कार्य प्रगति पर है, 64.51 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज पैकेज–2 (लस्कर) | 173.33 | कार्य प्रगति पर है, 60.11 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 5 | उज्जैन | सीवरेज | 402.01 | कार्य प्रगति पर है, 38.7 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 6 | देवास | जल प्रदाय | 22.51 | कार्य प्रगति पर है, 50.64 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 7 | मुरैना | सीवरेज | 138.16 | कार्य प्रगति पर है, 67.98 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 8 | सतना | जल प्रदाय | 41.50 | कार्य प्रगति पर है, 29.58 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 191.56 | कार्य प्रगति पर है, 14.03 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 9 | सागर | सीवरेज | 299.10 | कार्य प्रगति पर है, 42.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 10 | रतलाम | सीवरेज | 123.85 | कार्य प्रगति पर है, 72.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 11 | रीवा | जल प्रदाय | 35.58 | कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 199.37 | कार्य प्रगति पर है, 18.02 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 12 | कटनी | जल प्रदाय | 24.10 | कार्य प्रगति पर है, 78.1 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 96.50 | कार्य प्रगति पर है, 18.4 प्रतिशत कार्य पूर्ण |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | सिंगरौली | जल प्रदाय | 41.51 | कार्य प्रगति पर है, 86.47 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 110.46 | कार्य प्रगति पर है, 15.23 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 14 | छिंदवाड़ा | जल प्रदाय | 73.56 | कार्य प्रगति पर है, 76.75 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 15 | बुरहानपुर | सीवरेज | 92.80 | कार्य प्रगति पर है, 74 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 16 | खण्डवा | जल प्रदाय पैकेज–1 | 12.6 | कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय पैकेज–2 | 14.49 | कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय पैकेज–3 | 14.49 | कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय पैकेज–4 | 10.00 | कार्य पूर्ण |
| 17 | भिण्ड | सीवरेज | 84.16 | कार्य प्रगति पर है, 68.64 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 18 | गुना | जल प्रदाय | 29.88 | कार्य प्रगति पर है, 56.1 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 81.09 | कार्य प्रगति पर है, 23.48 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 19 | शिवपुरी | जल प्रदाय | 19.70 | कार्य प्रगति पर है, 43.76 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 20 | विदिशा | सीवरेज | 97.44 | कार्य प्रगति पर है, 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 21 | छतरपुर | जल प्रदाय | 75.45 | कार्य प्रगति पर है, 57.93 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 22 | मंदसौर | जल प्रदाय | 55.26 | कार्य प्रगति पर है, 92.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 23 | खरगौन | सीवरेज | 61.50 | कार्य प्रगति पर है, 79 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 24 | नीमच | जल प्रदाय | 16.18 | कार्य प्रगति पर है, 97.6 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 62.03 | कार्य प्रगति पर है, 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 25 | पीथमपुर | जल प्रदाय | 84.7 | कार्य प्रगति पर है, 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 26 | होशंगाबाद | जल प्रदाय | 43.34 | कार्य पूर्ण |
| 27 | सीहोर | जल प्रदाय | 12.83 | कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 66.00 | कार्य पूर्ण |
| 28 | बैतूल | जल प्रदाय | 24.99 | कार्य पूर्ण |
| | | जल प्रदाय (बेराज निर्माण) | 6.93 | कार्य पूर्ण |
| 29 | दतिया | जल प्रदाय | 18.66 | कार्य पूर्ण |
| | | सीवरेज | 55.24 | कार्य प्रगति पर है, 64.23 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 30 | नागदा | जल प्रदाय | 12.84 | कार्य पूर्ण |
| 31 | डबरा | जल प्रदाय | 44.62 | कार्य प्रगति पर है, 5 प्रतिशत कार्य पूर्ण |

1. हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास की 32 शहरों में कुल 92 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 20 शहरों की 43 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं। शेष परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।

2. स्टार्म वॉटर एवं ड्रेन की 9 शहरों में कुल 23 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 8 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, शेष का कार्य प्रगतिरत हैं।

3. लोक परिवहन की 18 शहरों में 28 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 1 परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष का कार्य प्रगतिरत हैं।

————————

परिशिष्ट–पांच

## यूआईडीएसएसएमटी अन्तर्गत नगरीय निकायों में स्वीकृत योजनाओं की सूची

(राशि रू. लाख में)

| क्र. | निकाय का नाम | स.क्र | योजना का नाम | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नगरपालिका परिषद्, विदिशा | 1 | जल प्रदाय योजना | 1557.52 |
| | | 2 | सीवरेज | 218.00 |
| | | 3 | सड़क | 73.58 |
| 2 | नगरपालिका परिषद्, इटारसी | 4 | जल प्रदाय योजना | 1467.83 |
| | | 5 | सड़क | 844.57 |
| 3 | नगर परिषद्, बुदनी | 6 | जल प्रदाय योजना | 194.60 |
| | | 7 | सड़क | 504.20 |
| | | 8 | सीवरेज | 195.05 |
| 4 | नगर परिषद्, रेहटी | 9 | जल प्रदाय योजना | 276.48 |
| | | 10 | सड़क | 211.60 |
| | | 11 | सीवरेज | 143.48 |
| 5 | नगरपालिका परिषद्, सीहोर | 12 | जल प्रदाय योजना | 1454.52 |
| 6 | नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा | 13 | जल प्रदाय योजना | 709.47 |
| 7 | नगरपालिका परिषद्, सिरोंज | 14 | जल प्रदाय योजना | 622.95 |
| 8 | नगरपालिका परिषद्, आष्टा | 15 | जल प्रदाय योजना | 980.40 |
| | | 16 | सड़क | 541.28 |
| 9 | नगर परिषद्, नसरूल्लागंज | 17 | जल प्रदाय योजना | 488.96 |
| | | 18 | सड़क | 365.39 |
| 10 | नगरपालिका परिषद्, होशंगाबाद | 19 | जल प्रदाय योजना | 1615.26 |
| 11 | नगरपालिका परिषद्, हरदा | 20 | जल प्रदाय योजना | 1735.00 |
| 12 | नगरपालिका परिषद्, गढ़ाकोटा | 21 | जल प्रदाय योजना | 596.36 |
| | | 22 | सडक | 143.76 |
| 13 | नगरपालिका परिषद्, दमोह | 23 | जल प्रदाय योजना | 874.20 |
| | | 24 | जीर्ण–शीर्ण पाईप लाईन को बदलना | 62.35 |
| | | 25 | गजानन वितरण नलिका का उन्नयन | 130.17 |
| | | 26 | तालाब संरक्षण | 53.00 |
| | | 27 | सडक | 418.97 |
| | | 28 | जलप्रदाय फेस– 2 | 3715.95 |
| 14 | नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़ | 29 | जल प्रदाय योजना | 983.18 |
| 15 | नगरपालिका परिषद्, रहली | 30 | जल प्रदाय योजना | 602.35 |
| 16 | नगरपालिका परिषद्, छतरपुर | 31 | जल प्रदाय योजना | 1593.80 |
| 17 | नगरपालिका परिषद्, पन्ना | 32 | जल प्रदाय योजना | 1808.37 |
| 18 | नगर निगम, सागर | 33 | सीवरेज | 7661.55 |
| 19 | नगरपालिका परिषद्, जावरा | 34 | जल प्रदाय योजना | 663.00 |
| 20 | नगर निगम, रतलाम | 35 | जल प्रदाय योजना | 3265.10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | नगर निगम, देवास | 36 | जल प्रदाय योजना | 5837.00 |
| | | 37 | जल प्रदाय योजना–2 | 3975.00 |
| | | 38 | सीवरेज | 14062.53 |
| | | 39 | सड़क | 1254.50 |
| 22 | नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर | 40 | जल प्रदाय योजना | 1745.32 |
| | | 41 | सड़क | 499.00 |
| 23 | नगरपालिका परिषद्, मंदसौर | 42 | जलस्त्रोत उन्नयन | 1552.45 |
| | | 43 | जलप्रदाय | 5636.37 |
| 24 | नगरपालिका परिषद्, आगर | 44 | जल प्रदाय योजना | 1005.80 |
| 25 | नगरपालिका परिषद्, शाजापुर | 45 | जल प्रदाय योजना | 996.00 |
| 26 | नगर निगम, खण्डवा | 46 | जल प्रदाय योजना | 10672.30 |
| 27 | नगरपालिका परिषद्, सनावद | 47 | जल प्रदाय योजना | 729.68 |
| 28 | नगरपालिका परिषद्, मलाजखंड | 48 | जल प्रदाय योजना | 525.42 |
| | | 49 | सड़क एवं नाली | 829.43 |
| | | 50 | नाला निर्माण | 27.60 |
| 29 | नगर निगम, कटनी | 51 | जल प्रदाय योजना | 4080.95 |
| | | 52 | सड़क | 4567.00 |
| 30 | नगरपालिका परिषद्, डबरा | 53 | जल प्रदाय योजना | 1441.84 |
| | | 54 | जल स्त्रोत उन्नयन | 1112.10 |
| 31 | नगर निगम, ग्वालियर | 55 | सीवरेज, | 6650.00 |
| 32 | नगरपालिका परिषद्, शिवपुरी | 56 | जल प्रदाय योजना | 5964.66 |
| | | 57 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 649.76 |
| 33 | नगर निगम, रीवा | 58 | जल प्रदाय योजना | 1427.87 |
| 34 | नगरपालिका परिषद्, पार्ढुना | 59 | जल प्रदाय योजना | 4611.62 |
| | | 60 | सड़क फेस– 2 | 2063.75 |
| | | 61 | सड़क | 2054.76 |
| 35 | नगर निगम, छिन्दवाड़ा | 62 | जल प्रदाय योजना | 5732.87 |
| | | 63 | सड़क | 5352.70 |
| | | 64 | सड़क एवं नाली फेस– 2 | 2736.76 |
| | | 65 | आर.यू.बी. | 1245.82 |
| | | 66 | तालाब संरक्षण | 382.87 |
| 36 | नगरपालिका परिषद्, डोंगर परासिया | 67 | जल प्रदाय योजना | 3013.33 |
| | | 68 | सड़क | 1098.03 |
| | | 69 | सड़क एवं नाली | 1206.37 |
| 37 | नगरपालिका परिषद्, सौसर | 70 | जल प्रदाय योजना | 1930.22 |
| | | 71 | सड़क | 2332.73 |
| 38 | नगर परिषद्, पिपलानारायणवार | 72 | जल प्रदाय योजना | 81.20 |
| | | 73 | जल प्रदाय योजना फेस–2 | 773.34 |
| | | 74 | सड़क | 408.09 |
| 39 | नगरपालिका परिषद्, चौरई | 75 | जल प्रदाय योजना | 886.38 |
| | | 76 | सड़क | 189.17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | नगरपालिका परिषद्, पिपरिया | 77 | जल प्रदाय योजना | 2408.11 |
| | | 78 | सड़क | 385.46 |
| 41 | नगरपालिका परिषद्, बैतुल | 79 | जल प्रदाय योजना | 3262.07 |
| 42 | नगरपालिका परिषद्, मुलताई | 80 | जल प्रदाय योजना | 1929.60 |
| | | 81 | सड़क | 723.34 |
| 43 | नगरपालिका परिषद्, खुरई | 82 | जल प्रदाय योजना | 3662.82 |
| | | 83 | सड़क | 457.60 |
| 44 | नगरपालिका परिषद्, बीना | 84 | जल प्रदाय योजना | 3875.50 |
| 45 | नगरपालिका परिषद्, सीधी | 85 | जल प्रदाय योजना | 2118.55 |
| 46 | नगर परिषद्, खिरकिया | 86 | जल प्रदाय योजना | 1225.70 |
| 47 | नगरपालिका परिषद्, महिदपुर | 87 | जल प्रदाय योजना | 1683.75 |
| 48 | नगर परिषद्, जुन्नारदेव | 88 | सड़क | 345.96 |
| | | 89 | जलप्रदाय | 2432.07 |
| 49 | नगरपालिका परिषद्, अमरवाड़ा | 90 | जलप्रदाय | 1609.30 |
| | | 91 | सड़क | 424.16 |
| | | 92 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 128.80 |
| 50 | नगर निगम, सतना | 93 | जलप्रदाय | 8087.57 |
| 51 | नगरपालिका परिषद्, सबलगढ़ | 94 | सड़क | 459.10 |
| | | 95 | ड्रेनेज | 980.94 |
| 52 | नगरपालिका परिषद्, करेली | 96 | सड़क | 444.47 |
| | | 97 | जलप्रदाय | 3550.77 |
| 53 | नगरपालिका परिषद्, आमला | 98 | सड़क | 477.66 |
| 54 | नगरपालिका परिषद्, दमुआ | 99 | सड़क | 652.52 |
| | | 100 | सड़क एवं नाली | 611.30 |
| | | 101 | जलप्रदाय | 1479.19 |
| 55 | नगरपालिका परिषद्, मनावर | 102 | सड़क | 475.15 |
| | | 103 | जलप्रदाय | 1125.60 |
| 56 | नगरपालिका परिषद्, वारासिवनी | 104 | जलप्रदाय | 2232.00 |
| | | 105 | सड़क | 810.96 |
| 57 | नगरपालिका परिषद्, अनूपपुर | 106 | जलप्रदाय | 1521.22 |
| 58 | नगरपालिका परिषद्, बेगमगंज | 107 | जलप्रदाय | 1392.22 |
| 59 | नगर परिषद्, चुहरट | 108 | सड़क | 232.10 |
| 60 | नगर परिषद्, हर्रई | 109 | सड़क | 177.27 |
| | | 110 | जलप्रदाय | 873.87 |
| | | 111 | सड़क एवं नाली | 324.93 |
| 61 | नगर परिषद्, चाँदामेटा | 112 | सड़क | 321.30 |
| | | 113 | जलप्रदाय | 1432.20 |
| 62 | नगर परिषद्, चित्रकुट | 114 | जलप्रदाय | 1319.68 |
| 63 | नगर परिषद्, बरकुही | 115 | जलप्रदाय | 1211.82 |
| | | 116 | सड़क | 476.42 |
| 64 | नगर परिषद्, शमशाहबाद | 117 | जलप्रदाय | 882.47 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | नगर परिषद्, बैकुंठपुर | 118 | जलप्रदाय | 732.75 |
| 66 | नगर परिषद्, तेंदुखेड़ा (नरसिंहपुर) | 119 | जलप्रदाय | 1028.64 |
| 67 | नगर परिषद्, शाहगंज | 120 | जलप्रदाय | 436.45 |
| | | 121 | सड़क | 477.96 |
| 68 | नगर परिषद्, शामगढ़ | 122 | जलप्रदाय | 2374.00 |
| 69 | नगर परिषद्, हिन्डोरिया | 123 | जलप्रदाय | 1138.34 |
| 70 | नगर परिषद्, आठनेर | 124 | सड़क | 217.90 |
| | | 125 | जलप्रदाय | 1309.00 |
| 71 | नगरपालिका परिषद्, गुना | 126 | जलप्रदाय | 7140.42 |
| 72 | नगरपालिका परिषद्, राजगढ़ | 127 | जलप्रदाय | 1907.76 |
| 73 | नगर परिषद्, राजपुर | 128 | सड़क | 489.00 |
| 74 | नगर परिषद्, मण्डलेश्वर | 129 | जलप्रदाय | 799.29 |
| | | 130 | सड़क | 659.08 |
| 75 | नगरपालिका परिषद्, सिवनी | 131 | जलप्रदाय | 4735.80 |
| 76 | नगर परिषद्, जीरन | 132 | जलप्रदाय | 549.92 |
| 77 | नगर परिषद्, मल्हारगढ़ | 133 | जलप्रदाय | 548.92 |
| 78 | नगर परिषद्, पिपल्यामण्डी | 134 | जलप्रदाय | 968.72 |
| | | 135 | सड़क | 487.50 |
| 79 | नगर परिषद्, रामपुरा | 136 | जलप्रदाय | 1956.37 |
| 80 | नगर परिषद्, सुवासरा | 137 | जलप्रदाय | 1764.30 |
| 81 | नगर परिषद्, भेड़ाघाट | 138 | सड़क | 603.40 |
| 82 | नगर परिषद्, सिंगौली | 139 | सड़क | 264.71 |
| 83 | नगर परिषद्, लोधीखेड़ा | 140 | सड़क | 417.33 |
| | | 141 | जलप्रदाय | 611.76 |
| 84 | नगर परिषद्, सोनकच्छ | 142 | सड़क | 499.00 |
| 85 | नगर परिषद्, मोहगांव | 143 | सड़क | 462.18 |
| | | 144 | जलप्रदाय | 848.87 |
| 86 | नगर परिषद्, पिपलरवां | 145 | सड़क | 364.70 |
| | | 146 | जलप्रदाय | 964.22 |
| 87 | नगर परिषद्, न्यूटन चिखली | 147 | सड़क | 604.25 |
| | | 148 | सड़क एवं नाली | 163.30 |
| | | 149 | जलप्रदाय | 1055.90 |
| 88 | नगर परिषद्, चंदेरी | 150 | सड़क | 614.85 |
| 89 | नगर परिषद्, मुंगावली | 151 | जलप्रदाय | 1070.40 |
| | | 152 | सड़क | 550.00 |
| 90 | नगर परिषद्, कोलारस | 153 | सड़क | 1234.03 |
| 91 | नगर परिषद्, पृथ्वीपुर | 154 | सड़क | 504.80 |
| 92 | नगरपालिका परिषद्, पोरसा | 155 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 236.47 |
| | | 156 | जलप्रदाय | 959.25 |
| 93 | नगर निगम, सिंगरौली | 157 | जलप्रदाय | 7795.24 |
| 94 | नगरपालिका परिषद्, कोलार | 158 | जलप्रदाय | 5210.42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | नगरपालिका परिषद्, बड़वाह | 159 | जलप्रदाय | 1704.96 |
| 96 | नगरपालिका परिषद्, मण्डला | 160 | सड़क एवं नाली | 133.22 |
| 97 | नगरपालिका परिषद्, चाचौड़ा–बीनागंज | 161 | सड़क एवं नाली | 134.27 |
| 98 | नगर परिषद्, ईसागढ़ | 162 | सड़क | 629.40 |
| 99 | नगर परिषद्, चिचौली | 163 | सड़क | 200.00 |
| 100 | नगरपालिका परिषद्, देवरी | 164 | जलप्रदाय | 2301.68 |
| 101 | नगरपालिका परिषद्, बालाघाट | 165 | जलप्रदाय | 4283.00 |
| 102 | नगरपालिका परिषद्, कोतमा | 166 | जलप्रदाय | 1799.58 |
| 103 | नगरपालिका परिषद्, नीमच | 167 | जलस्त्रोत उन्नयन | 1545.98 |
| 104 | नगर परिषद्, लांजी | 168 | सड़क | 815.88 |
| | | 169 | जलप्रदाय | 1825.00 |
| 105 | नगर परिषद्, लखनादौन | 170 | सड़क | 519.37 |
| 106 | नगर परिषद्, बैहर | 171 | सड़क | 405.61 |
| 107 | नगर परिषद्, सतवास | 172 | जलप्रदाय | 1397.40 |
| 108 | नगर परिषद्, बाड़ी | 173 | जलप्रदाय | 785.60 |
| 109 | नगर परिषद्, सिरमौर | 174 | जलप्रदाय | 980.00 |
| 110 | नगर परिषद्, भैंसदेही | 175 | सड़क | 483.00 |
| 111 | नगर परिषद्, पाटन | 176 | सड़क | 329.60 |
| 112 | नगर परिषद्, डही | 177 | जलप्रदाय | 931.80 |
| 113 | नगर परिषद्, बल्देवगढ़ | 178 | जलप्रदाय | 1264.80 |
| 114 | नगर परिषद्, शाहपुरा | 179 | जलप्रदाय | 1368.66 |
| **कुल योग** | | | | **284936.37** |

———————

परिशिष्ट–छः

# मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत स्वीकृत योजनाओं की सूची

(राशि रू. लाख में)

| क्र. | निकाय का नाम | जनसंख्या 2011 | योजना की स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नगर परिषद् राजगढ़ (धार) | 20668 | 898.25 |
| 2 | नगर परिषद् बदनावर | 20917 | 952.31 |
| 3 | नगर परिषद् मुंदी | 12889 | 578.92 |
| 4 | नगर परिषद् पंधाना | 13694 | 998.00 |
| 5 | नगर परिषद् भीकनगांव | 16217 | 760.93 |
| 6 | नगर परिषद् बाबई | 16741 | 951.62 |
| 7 | नगर परिषद् खिलचीपुर | 18928 | 999.36 |
| 8 | नगर परिषद् गुढ़ | 14608 | 793.00 |
| 9 | नगर परिषद् ताल | 14913 | 777.01 |
| 10 | नगर परिषद् टोंकखुर्द | 7979 | 484.15 |
| 11 | नगर परिषद् करनावद | 11266 | 950.22 |
| 12 | नगर परिषद् डिण्डोरी | 21323 | 843.00 |
| 13 | नगर पालिका धार | 93917 | 2174.54 |
| 14 | नगर परिषद् कुक्षी | 28331 | 1846.08 |
| 15 | नगर पालिका बड़वानी | 55504 | 1990.05 |
| 16 | नगर पालिका नीमच | 128561 | 3367.75 |
| 17 | नगर पालिका मण्डला | 55133 | 2471.17 |
| 18 | नगर पालिका गंजबासौदा | 78289 | 4216.00 |
| 19 | नगर पालिका रायसेन | 44162 | 3317.60 |
| 20 | नगर पालिक निगम रीवा | 235654 | 2262.95 |
| 21 | नगर परिषद् नौरोजाबाद | 21883 | 1581.00 |
| 22 | नगर परिषद् उन्हेल | 14774 | 1116.00 |
| 23 | नगर पालिका अशोकनगर | 81828 | 1326.71 |
| 24 | नगर परिषद् खनियाधाना | 15877 | 566.00 |
| 25 | नगर परिषद् नामली | 9774 | 595.41 |
| 26 | नगर पालिका शहडोल | 86681 | 3614.19 |
| 27 | नगर परिषद् तरीचरकलां | 7674 | 1493.03 |
| 28 | नगर परिषद् निवाडी | 23724 | 2103.40 |
| 29 | नगर पालिका, नरसिंहपुर | 59966 | 3217.95 |
| 30 | नगर परिषद् सांवेर | 16150 | 851.28 |
| 31 | नगर परिषद् ओरछा | 11511 | 578.23 |
| 32 | नगर परिषद् सिंगौली | 9523 | 891.42 |
| 33 | नगर परिषद् बड़ौनी | 10309 | 456.36 |
| 34 | नगर पालिका पीथमपुर | 126200 | 2766.99 |
| 35 | नगर पालिका सिवनीमालवा | 30100 | 2286.19 |
| 36 | नगर पालिका बैरसिया | 30951 | 1745.98 |
| 37 | नगर परिषद् औबेदुल्लागंज | 22845 | 1343.63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | नगर पालिका सारंगपुर | 37435 | 1353.08 |
| 39 | नगर परिषद् त्यौंथर | 17039 | 1046.86 |
| 40 | नगर परिषद् हनुमना | 16771 | 1035.34 |
| 41 | नगर परिषद् पाली | 22324 | 1169.33 |
| 42 | नगर परिषद् पथरिया | 21026 | 2228.20 |
| 43 | नगर पालिका नौगांव | 40580 | 2780.67 |
| 44 | नगर पालिका पलेरा | 17493 | 1268.93 |
| 45 | नगर परिषद् खाचरौद | 34191 | 1628.63 |
| 46 | नगर परिषद् जावद | 17129 | 1108.26 |
| 47 | नगर पालिका सबलगढ़ | 40333 | 2120.03 |
| 48 | नगर पालिका अम्बाह | 47177 | 2721.45 |
| 49 | नगर परिषद् सरदारपुर | 7293 | 405.49 |
| 50 | नगर परिषद् चाकघाट | 10678 | 453.36 |
| 51 | नगर परिषद् सेमरिया | 13446 | 808.48 |
| 52 | नगर परिषद् शाहगढ़ | 16300 | 895.45 |
| 53 | नगर परिषद् बड़ावदा | 8700 | 691.55 |
| 54 | नगर परिषद् तराना | 24908 | 799.20 |
| 55 | नगर परिषद् रतनगढ़ | 7994 | 563.28 |
| 56 | नगर परिषद् मनासा | 26551 | 780.85 |
| 57 | नगर परिषद् बड़ागांव | 7217 | 964.40 |
| 58 | नगर परिषद् बड़ौद | 13834 | 844.38 |
| 59 | नगर परिषद् नलखेड़ा | 16690 | 480.33 |
| 60 | नगर पालिक निगम, ग्वालियर | 1054420 | 480.00 |
| 61 | नगर परिषद् बैहर | 16651 | 84.24 |
| 62 | नगर परिषद् ओंकारेश्वर | 10063 | 720.14 |
| 63 | नगर परिषद् सुल्तानपुर | 10268 | 787.35 |
| 64 | नगर परिषद् चुरहट | 14962 | 776.14 |
| 65 | नगर परिषद् बण्डा | 30966 | 547.83 |
| 66 | नगर परिषद् नारायणगढ़ | 10191 | 425.90 |
| 67 | नगर परिषद् धरमपुरी | 16363 | 911.35 |
| 68 | नगर परिषद् मानपुर | 7621 | 488.88 |
| 69 | नगर परिषद् हातौद | 10425 | 648.67 |
| 70 | नगर परिषद् राऊ | 36055 | 932.77 |
| 71 | नगर परिषद् पलसूद | 10113 | 676.26 |
| 72 | नगर परिषद् जीरापुर | 21724 | 876.35 |
| 73 | नगर पालिक निगम सागर | 274556 | 133.38 |
| 74 | नगर परिषद् भितरवार | 19096 | 958.69 |
| 75 | नगर परिषद्, रानापुर | 12371 | 1955.01 |
| 76 | नगर परिषद्, थांदला | 15756 | 1368.13 |
| 77 | नगर परिषद् महूँगांव | 30012 | 1078.40 |
| 78 | नगर परिषद्, अंजड़ | 26289 | 1095.01 |
| 79 | नगर परिषद्, कुरवई | 15487 | 1243.42 |
| 80 | नगर पालिका मण्डीदीप | 59677 | 1307.77 |
| 81 | नगर परिषद् जयसिंहनगर | 8233 | 1012.71 |
| 82 | नगर परिषद् धनपुरी | 45156 | 1645.82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 83 | नगर परिषद् गोविन्दगढ़ | 10547 | 1127.32 |
| 84 | नगर परिषद, बिजुरी | 32682 | 1686.10 |
| 85 | नगर परिषद् अमानगंज | 13886 | 2029.59 |
| 86 | नगर परिषद् अकौदिया | 11652 | 1129.64 |
| 87 | नगर परिषद् सीतामऊ | 14056 | 2146.68 |
| 88 | नगर परिषद्, कन्नौद | 17744 | 2002.64 |
| 89 | नगर परिषद्, लखनादौन | 17302 | 1592.39 |
| 90 | नगर परिषद् शाहपुरा | 13601 | 1283.15 |
| 91 | नगर परिषद्, बामौर | 32838 | 1500.41 |
| 92 | नगर परिषद्, नरवर | 19385 | 1001.62 |
| 93 | नगर परिषद्, भाण्डेर | 25204 | 1370.75 |
| 94 | नगर पालिका चंदेरी | 33081 | 1129.95 |
| 95 | नगर परिषद् कुम्भराज | 19707 | 1481.71 |
| 96 | नगर परिषद्, चिचौली | 9278 | 595.83 |
| 97 | नगर परिषद् तलेन | 10588 | 638.52 |
| 98 | नगर परिषद् ब्यावरा | 49093 | 939.79 |
| 99 | नगर परिषद् छापीहेड़ा | 8501 | 517.27 |
| 100 | नगर परिषद् माचलपुर | 9556 | 569.41 |
| 101 | नगर परिषद्, बुधनी | 16808 | 697.37 |
| 102 | नगर परिषद् भानपुरा | 21000 | 914.86 |
| 103 | नगर परिषद् पिपलौदा | 7302 | 448.25 |
| 104 | नगर परिषद्, कानड़ | 10457 | 656.43 |
| 105 | नगर परिषद्, भुआ बिछिया | 10423 | 708.47 |
| 106 | नगर परिषद्, चाचौड़ा बीनागंज | 21785 | 964.12 |
| 107 | नगर पालिका झाबुआ | 36000 | 4762.66 |
| 108 | नगर परिषद्, खेतिया | 15739 | 2121.72 |
| 109 | नगर पालिका विदिशा | 155954 | 3355.91 |
| 110 | नगर परिषद् सिलवानी | 18623 | 1755.64 |
| 111 | नगर परिषद्, बरेली | 31579 | 2659.18 |
| 112 | नगर परिषद्, नरसिंहगढ़ | 32229 | 2389.87 |
| 113 | नगर परिषद्, सुठालिया | 10596 | 1076.36 |
| 114 | नगर परिषद्, बुढ़ार | 19276 | 1535.93 |
| 115 | नगर पालिक निगम रीवा | 235654 | 2455.11 |
| 116 | नगर परिषद्, मझौली | 11907 | 1638.57 |
| 117 | नगर परिषद् उचेहरा | 18377 | 1414.32 |
| 118 | नगर पालिका उमरिया | 33102 | 1559.51 |
| 119 | नगर पालिका दमोह | 139415 | 2634.75 |
| 120 | नगर परिषद् लवकुशनगर | 22075 | 1481.00 |
| 121 | नगर निगम रतलाम | 264914 | 2392.99 |
| 122 | नगर परिषद्, सोनकच्छ | 16532 | 1076.08 |
| 123 | नगर परिषद्, सोयतकलां | 14471 | 1250.80 |
| 124 | नगर परिषद् बैहर | 16651 | 1042.31 |
| 125 | नगर परिषद्, नैनपुर | 22618 | 2123.69 |
| 126 | नगर परिषद्, बरघाट | 11700 | 1141.63 |
| 127 | नगर परिशद्, गाडरवाड़ा | 47000 | 2559.78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 128 | नगर परिषद्, गोटेगांव | 38090 | 2337.76 |
| 129 | नगर परिषद्, मौ | 20147 | 2193.93 |
| 130 | नगर परिषद्, इंदरगढ़ | 23045 | 2325.55 |
| 131 | नगर परिषद् जोबट | 11976 | 1251.92 |
| 132 | नगर परिषद्, गैरतगंज | 18184 | 1756.89 |
| 133 | नगर परिषद्, इछावर | 14582 | 1015.77 |
| 134 | नगर परिषद्, नागौद | 22568 | 1879.03 |
| 135 | नगर पालिका बड़नगर | 36438 | 2090.42 |
| 136 | नगर परिषद् कोलारस | 19781 | 1780.68 |
| 137 | नगर परिषद्, नईगढ़ी | 10404 | 751.05 |
| 138 | नगर पालिका, गढ़ाकोटा | 32726 | 627.28 |
| 139 | नगर पालिका, खुरई | 51108 | 228.80 |
| 140 | नगर परिषद् भौरासा (पुनरीक्षित) | 12166 | 711.68 |
| 141 | नगर पालिका सीहोर | 109118 | 251.05 |
| 142 | नगर परिषद् बिछुआ | 6678 | 519.64 |
| 143 | नगर परिषद्, मुंगावली | 26192 | 317.95 |
| 144 | नगर परिषद्, कटंगी (पुनरीक्षित) | 16143 | 1465.06 |
| 145 | नगर परिषद्, लांजी | 13782 | 1871.38 |
| 146 | नगर परिषद् अमरकंटक | 8416 | 1256.20 |
| 147 | नगर परिषद् रामपुर बघेलान | 13636 | 1304.90 |
| 148 | नगर पालिका आष्टा | 53184 | 1804.00 |
| 149 | नगर परिषद् नसरूल्लागंज | 23783 | 266.26 |
| 150 | नगर पालिका, इटारसी | 99300 | 1934.20 |
| 151 | नगर परिषद्, उदयपुरा | 18236 | 895.00 |
| 152 | नगर परिषद्, ओरछा (फेज–2) | 11511 | 353.51 |
| 153 | नगर पालिका पांढुर्ना | 45479 | 3894.13 |
| 154 | नगर परिषद् खिलचीपुर (फेज– 2) | 18928 | 364.34 |
| 155 | नगर परिषद्, लांजी (बैराज) | 13782 | 616.29 |
| योग | | | **210093.20** |

परिशिष्ट–सात

एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं की अद्यतन स्थिति

(राशि रूपये लाख में)

| क्र. | निकाय का नाम | योजना लागत | मुक्त की गई राशि | भौतिक प्रगति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेंधवा | 2141.74 | 2064.00 | कार्य पूर्ण। |
| 2 | डीकेन | 558.20 | 538.00 | कार्य पूर्ण। |
| 3 | पृथ्वीपुर | 1450.44 | 1398.00 | कार्य पूर्ण। |
| 4. | दतिया | 2225.90 | 1745.00 | कार्य पूर्ण। |
| 5 | लटेरी | 1052.04 | 825.00 | कार्य पूर्ण। |
| 6 | महेश्वर | 1187.00 | 930.00 | कार्य पूर्ण। |
| 7. | अलीराजपुर | 1337.00 | 1337.00 | कार्य पूर्ण। |
| 8. | सीहोर बैराज | 700.00 | 700.00 | कार्य पूर्ण। |
| 9. | गरोठ | 1507.00 | 1507.00 | कार्य पूर्ण। |
| 10. | सैलाना | 486.00 | 486.00 | कार्य पूर्ण। |
| 11. | ब्यौहारी | 3100.00 | 3100.00 | कार्य पूर्ण। |
| | **योग–** | **15745.32** | **14630.00** | |

———